



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे

2020-21



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

**Dedicated to Truth in Public Interest**

राजस्थान सरकार



विनियोग लेखे

वर्ष **2020-2021** के लिए

राजस्थान सरकार



## विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21
001. राज्य विधान मंडल	22-23
002. मंत्रि परिषद्	24
003. सचिवालय	25-27
004. जिला प्रशासन	28-29
005. प्रशासनिक सेवाएं	30-33
006. न्याय प्रशासन	34-36
007. निर्वाचन	37-38
008. राजस्व	39-40
009. वन	41-48
010. विविध सामान्य सेवाएं	49
011. विविध सामाजिक सेवाएं	50-52
012. अन्य कर	53-56
013. आबकारी	57
014. बिक्री कर	58-60
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	61-64
016. पुलिस	65-72
017. कारागार	73-74
018. जन-सम्पर्क	75-76
019. लोक निर्माण कार्य	77-91
020. आवास	92-94
021. सड़कें एवं पुल	95-106
022. क्षेत्र का विकास	107-111

023.	श्रम तथा रोजगार	112-117
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	118-142
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	143-145
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	146-169
027.	पेय जल योजना	170-195
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	196-198
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	199-210
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	211-282
031.	पुर्नवास एवं सहायता	283
032.	नागरिक आपूर्ति	284-286
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	287-304
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	305-319
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	320-325
036.	सहकारिता	326-328
037.	कृषि	329-343
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	344-345
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	346-350
040.	राजकीय उपक्रम	351
041.	सामुदायिक विकास	352-355
042.	उद्योग	356-360
043.	खनिज	361-363
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	364-365
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	366
046.	सिंचाई	367-386
047.	पर्यटन	387-389
048.	विद्युत्	390-394
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	395
050.	ग्रामीण रोजगार	396
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	397-458
परिशिष्ट – व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण		460-461

## विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक प्रभारित	17,44,83	..	15,83,01
ब्याज अदायगियां प्रभारित	2,54,94,20,41	..	2,52,01,81,23
लोक सेवा आयोग प्रभारित	42,18,61	..	38,29,58
लोक ऋण प्रभारित	..	4,10,63,12,47	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत प्रभारित	87,37,07 57,01	.. ..	78,92,01 19,73
002. मंत्रिपरिषद् दत्तमत	15,81,02	..	11,07,09
003. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	2,98,79,45 86	.. ..	2,65,36,92 86
004. जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	5,61,89,74 1,79	.. ..	5,25,82,07 1,73
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	2,72,76,36 6	1 ..	2,12,79,27 ..
006. न्याय प्रशासन दत्तमत प्रभारित	11,23,56,38 1,56,37,67	.. ..	10,20,19,44 1,41,05,13
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	3,17,67,93 2	.. ..	2,75,65,47 ..



## लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	1,61,82	..	..	..
..	2,92,39,18	..	..	..
..	3,89,03	..	..	..
4,10,22,98,45	..	40,14,02	..	..
..	8,45,06	..	..	..
..	37,28	..	..	..
..	4,73,93	..	..	..
..	33,42,53	..	..	..
..	..	..	..	..
..	36,07,67	..	..	..
..	6	..	..	..
..	59,97,09	1	..	..
..	6	..	..	..
..	1,03,36,94	..	..	..
..	15,32,54	..	..	..
..	42,02,46	..	..	..
..	2	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
		(₹ सहस्र में)	
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	8,84,86,91 4	.. ..	7,41,73,59 ..
009. वन दत्तमत प्रभारित	9,42,14,57 1,20,00	1,02,48,39 ..	7,99,25,26 1,03,85
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	5,56,12,78	..	4,40,52,00
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	58,33,22 13,42	4,15,64 ..	42,67,95 13,39
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	8,60,57,78 1,99	31,00,07 ..	7,08,38,98 1,98
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,73,66,06 1	1 ..	1,52,09,54 ..
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	14,96,28,70 6	8,25 ..	14,06,71,88 ..
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	2,33,91,70,05 12,00,04	.. ..	2,24,32,41,79 7,20,69
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	69,08,11,70 30,00	1,60,16,85 ..	63,85,06,02 29,08
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	2,02,03,67 5,96	.. ..	1,93,36,78 5,93

## लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	1,43,13,32	..	..	..
..	4	..	..	..
82,92,39	1,42,89,31	19,56,00	..	..
..	16,15	..	..	..
..	1,15,60,78	..	..	..
1,05,75	15,65,27	3,09,89	..	..
..	3	..	..	..
4,87,10	1,52,18,80	26,12,97	..	..
..	1	..	..	..
..	21,56,52	1	..	..
..	1	..	..	..
8,25	89,56,82	..	..	..
..	6	..	..	..
..	9,59,28,26	..	..	..
..	4,79,35	..	..	..
1,20,37,86	5,23,05,68	39,78,99	..	..
..	92	..	..	..
..	8,66,89	..	..	..
..	3	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	1,58,45,36 1	.. ..	1,32,92,79 ..
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	5,63,99,47 45,18	10,33,73,19 ..	4,37,09,63 21,05
020. आवास दत्तमत प्रभारित	74,55,34 1	79,50,04 ..	57,85,73 ..
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	27,45,23,29 1,28,36	42,38,47,54 ..	15,57,08,97 1,00,30
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	23,36,93 3	2,04,55,94 2,10	18,82,40 ..
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	12,12,28,57 4	26,00,00 ..	10,39,93,61 ..
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	3,20,96,19,37 3,23,68	11,14,21,27 ..	2,97,12,30,01 2,52,51
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	3,15,12,86 3	.. ..	2,75,60,43 ..
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	1,07,11,31,11 80,17	2,17,79,47 ..	97,82,31,45 9,27

## लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	25,52,57	..	..	..
..	1	..	..	..
4,68,55,70	1,26,89,84	5,65,17,49	..	..
..	24,13	..	..	..
32,43,15	16,69,61	47,06,89	..	..
..	1	..	..	..
29,43,41,19	11,88,14,32	12,95,06,35	..	..
..	28,06	..	..	..
1,24,50,86	4,54,53	80,05,08	..	..
2,06	3	4	..	..
6,27,80	1,72,34,96	19,72,20	..	..
..	4	..	..	..
9,16,28,49	23,83,89,36	1,97,92,78	..	..
..	71,17	..	..	..
..	39,52,43	..	..	..
..	3	..	..	..
1,53,51,21	9,28,99,66	64,28,26	..	..
..	70,90	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	41,37,88,72 1,70,48	33,12,49,48 ..	37,35,13,93 1,66,01
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम दत्तमत प्रभारित	9,16,40,30 1	3,06,00,00 ..	8,72,70,09 ..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास दत्तमत प्रभारित	64,25,41,15 3,23	14,79,26,30 17	50,47,40,45 3,21
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास दत्तमत प्रभारित	1,43,90,94,30 2,59	34,38,36,81 ..	1,31,73,56,31 2,56
031. पुनर्वास एवं सहायता	..	..	..
032. नागरिक आपूर्ति दत्तमत प्रभारित	6,06,79,69 8,68	4,24,62 ..	5,87,91,23 8,38
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण दत्तमत प्रभारित	89,88,88,24 8,06	2,82,63,09 ..	86,97,85,83 7,76
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत दत्तमत प्रभारित	59,01,25,76 1	.. ..	49,46,02,09 ..

## लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
26,74,07,02	4,02,74,79	6,38,42,46	..	..
..	4,47	..	..	..
1,49,94,00	43,70,21	1,56,06,00	..	..
..	1	..	..	..
14,18,70,75	13,78,00,70	60,55,55	..	..
16	2	1	..	..
21,59,07,67	12,17,37,99	12,79,29,14	..	..
..	3	..	..	..
..	..	..	..	..
84,21	18,88,46	3,40,41	..	..
..	30	..	..	..
2,59,19,19	2,91,02,41	23,43,90	..	..
..	30	..	..	..
..	9,55,23,67	..	..	..
..	1	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
		(₹ सहस्र में)	
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं दत्तमत	5,22,22,97	2,01,18,98	3,82,96,79
036. सहकारिता दत्तमत	39,26,25,01	5,03,13	36,42,17,66
प्रभारित	1	..	..
037. कृषि दत्तमत	35,14,52,76	2,05,39,48	31,58,83,34
प्रभारित	12,64	..	12,47
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण दत्तमत	1,32,91,07	1,74,65	1,29,50,14
प्रभारित	4	..	..
039. पशुपालन एवं चिकित्सा दत्तमत	15,00,19,04	68,74,01	14,18,80,67
प्रभारित	2,46	..	2,46
040. राजकीय उपक्रम दत्तमत	1,31,53	1	1,19,71
प्रभारित	1	..	..
041. सामुदायिक विकास दत्तमत	66,02,71,02	2,39,75	44,32,19,51
प्रभारित	7,42	..	7,41
042. उद्योग दत्तमत	3,09,56,11	54,87,06	2,56,17,81
प्रभारित	3	..	..
043. खनिज दत्तमत	1,62,97,57	2,06,52,67	1,26,91,03
प्रभारित	4	..	..



## लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
2,01,11,24	1,39,26,18	7,74	..	..
2,86,08	2,84,07,35	2,17,05	..	..
..	1	..	..	..
1,81,55,43	3,55,69,42	23,84,05	..	..
..	17	..	..	..
40,65	3,40,93	1,34,00	..	..
..	4	..	..	..
67,58,05	81,38,37	1,15,96	..	..
..	..	..	..	..
- 24,50	11,82	24,51	..	..
..	1	..	..	..
2,39,75	21,70,51,51	..	..	..
..	1	..	..	..
26,29,78	53,38,30	28,57,28	..	..
..	3	..	..	..
72,59,95	36,06,54	1,33,92,72	..	..
..	4	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण दत्तमत प्रभारित	30,17,95 1,82	50,00 ..	26,81,91 1,81
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत	..	..	..
046. सिंचाई दत्तमत प्रभारित	22,60,29,35 3,74,67	23,45,12,34 10,09	20,62,90,45 3,57,98
047. पर्यटन दत्तमत प्रभारित	53,55,59 1	31,18,10 ..	24,31,94 ..
048. विद्युत दत्तमत	1,04,27,41,73	13,33,43,89	88,15,72,60
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	15,07	..	6,95
050. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	22,89,01,36	10,29,70	21,42,96,75
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत	1,72,03,81,94	46,54,92,80	1,54,87,34,46
योग			
दत्तमत	17,63,56,93,92	2,51,56,53,54	15,78,75,52,73
प्रभारित	2,57,36,22,50	4,10,63,24,83	2,54,15,49,37
कुल योग	20,20,93,16,42	6,62,19,78,37	18,32,91,02,10

## लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	3,36,04	50,00	..	..
..	1	..	..	..
..	..	..	..	..
18,59,85,24	1,97,38,90	4,85,27,10	..	..
10,08	16,69	1	..	..
24,59,63	29,23,65	6,58,47	..	..
..	1	..	..	..
3,00,04,52	16,11,69,13	10,33,39,37	..	..
..	8,12	..	..	..
10,29,70	1,46,04,61	..	..	..
26,81,51,11	17,16,47,48	19,73,41,69	..	..
<b>1,69,46,99,22</b>	<b>1,84,81,41,19</b>	<b>82,09,54,32</b>	..	..
<b>4,10,23,10,75</b>	<b>3,20,73,13</b>	<b>40,14,08</b>	..	..
<b>5,79,70,09,97</b>	<b>1,88,02,14,32</b>	<b>82,49,68,40</b>	..	..

## 2020-21 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

अनुदान पर आधिक्य का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
-----शून्य-----			

## 2020-21 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2020-21 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	दत्तमत		
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
	( ₹ सहस्र में )		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	15,78,75,52,73	1,69,46,99,22	17,48,22,51,95
<b>घटाइये :</b> वसूलियों का योग	49,81,61,36	11,85,61,20	61,67,22,56
	<b>15,28,93,91,37</b>	<b>1,57,61,38,02</b>	<b>16,86,55,29,39</b>
	प्रभारित		
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
	( ₹ सहस्र में )		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,54,15,49,37	4,10,23,10,75	6,64,38,60,12
<b>घटाइये :</b> वसूलियों का योग	..	..	..
	<b>2,54,15,49,37</b>	<b>4,10,23,10,75</b>	<b>6,64,38,60,12</b>

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 460-461 पर दिया गया है ।

## भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियां के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 17.11.2021

स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक  
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	17,44,83	17,44,83	15,83,01	- 1,61,82
अनुपूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2021)

1,59,98

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

**राजस्व**

- ₹ 1,61.82 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1.84 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
103. पारिवारिक स्थापना			
(01) गृह स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	5,93.06	5,21.81	5,21.61
घु.	- 71.25		
			- 0.20

₹ 71.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	2,54,94,19,89		
अनुपूरक	52	2,54,94,20,41	2,52,01,81,23 - 2,92,39,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			2,84,80,80
टिप्पणी तथा टीका :			

राजस्व

1. ₹ 2,92,39.18 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 7,58.38 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	42,18,61			
अनुपूरक	..	42,18,61	38,29,58	- 3,89,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,87,66

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. ₹ 3,89.03 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1.37 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और  
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	1,76,22,74,33	4,10,63,12,47	4,10,22,98,45	- 40,14,02
अनुपूरक	2,34,40,38,14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				40,14,03

टिप्पणी तथा टीका :

पूंजी

- ₹ 40,14.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से वर्ष के दौरान लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु लिया गया ₹ 2,34,40,38.14 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	87,37,07	87,37,07	78,92,01	– 8,45,06
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				8,15,10
<b>प्रभारित</b>				
मूल	57,01	57,01	19,73	– 37,28
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				37,28
<b>टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 8,45.06 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 29.96 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(04) भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा-प्रतिबद्ध				
मू .	3,50.00	73.34	73.34	..
पु .	– 2,76.66			

31 मार्च 2021 को ₹ 2,76.66 लाख का प्रावधान कोरोना महामारी को देखते हुए भूतपूर्व सदस्यों द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा का कम लाभ उठाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 001 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
103. विधान मण्डल सचिवालय			
(01) विधान मण्डल			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	42,88.33		
		38,50.80	
पु .	- 4,37.53		
		38,50.79	- 0.01

₹ 4,37.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) कोरोना महामारी के कारण सेमिनार/प्रशिक्षण आदि का आयोजन नहीं होने तथा (iii) 2020-21 के दौरान मिनी-क्लाउड पर व्यय नहीं होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 002 – मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2013. मंत्रिपरिषद्**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	15,81,02			
		15,81,02	11,07,09	- 4,73,93
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,73,80

**टिप्पणियां तथा टीकारं:**

**राजस्व**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

<b>शीर्ष</b>		<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय (₹ लाख में)</b>	<b>आधिक्य + बचत -</b>
<b>2013. मंत्रिपरिषद्</b>				
101. मंत्रियों और उप-मंत्रियों का वेतन				
(01) संस्थापन व्यय				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	5,50.00			
		3,93.12	3,93.12	..
पु.	- 1,56.88			
31 मार्च 2021 को ₹ 1,56.88 लाख का प्रावधान मंत्रीमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,37.73 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 19.15 लाख) किया गया।				
104. मनोरंजन और सत्कार भत्ते				
(01) मंत्री परिषद पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते				
[01] मंत्री परिषद पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते-प्रतिबद्ध				
मू.	4,00.00			
		2,54.82	2,54.82	..
पु.	- 1,45.18			
31 मार्च 2021 को ₹ 1,45.18 लाख का प्रावधान मंत्रीमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होने से सत्कार भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
800. अन्य व्यय				
(04) मोटर कारों का संधारण और परिचालन -प्रतिबद्ध				
मू.	4,00.00			
		3,07.28	3,07.28	..
पु.	- 92.72			

31 मार्च 2021 को ₹ 92.72 लाख का प्रावधान मंत्रीमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होने से वाहनों के संधारण पर कम व्यय होने तथा कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा की संख्या कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 003 – सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं,  
2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं और  
3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,98,79,44			
अनुपूरक	1	2,98,79,45	2,65,36,92	- 33,42,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				33,42,44
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	84	86	86	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 18,99.59 लाख, ₹ 61,34.53 लाख, ₹ 21,92.95 लाख, ₹ 54,35.10 लाख तथा ₹ 33,42.53 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.49 प्रतिशत से 17.90 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं				
090. सचिवालय				
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)				
[02] सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध				
मू.	6,00.01			
पु.	- 1,89.97	4,10.04	4,09.99	- 0.05

31 मार्च 2021 को ₹ 1,89.97 लाख का प्रावधान त्योहारों तथा प्रदर्शनियों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 003 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[07] निवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली (सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)-प्रतिबद्ध			
मू.	6,49.63	4,25.65	4,25.63
पु.	- 2,23.98		
₹ 2,23.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 0.02
090. सचिवालय			
(02) कार्मिक विभाग			
[01] कार्मिक विभाग (कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामलात, स्टेट मिशन के वेतन तथा भत्ते)-प्रतिबद्ध			
मू.	67,90.65	57,76.96	57,76.96
पु.	- 10,13.69		
₹ 10,13.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तो पर कम व्यय हुआ क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने, (ii) रेक्सों के माध्यम से किराए पर लिए गए सुरक्षा गार्डों, होमगार्डों तथा सलाहकार सेवाओं के लिए अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों के बिल माह मार्च, 2021 में पारित नहीं होने, (iii) मैन विद् मशीन कम अनुबन्धित करने के कारण कम्प्यूटर तथा संचार पर कम व्यय होने तथा (iv) कम्प्यूटर और प्रिंटर की खरीद के लिए जारी निविदाओं को अंतिम रूप न देने को आरोपित की गयी।			..
090. सचिवालय			
(06) राजस्व विभाग एवं देवस्थान विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	10,55.00	9,08.50	9,08.50
पु.	- 1,46.50		
₹ 1,46.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी थी।			..
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[10] राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी-प्रतिबद्ध			
मू.	10,81.46	8,93.36	8,93.36
पु.	- 1,88.10		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,88.10 लाख का प्रावधान मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तो पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी थी।			..



अनुदान संख्या 003 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(07) कृषिमय सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	11,70.00		
		10,16.02	
पु.	- 1,53.98		10,16.02
			..

₹ 1,53.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तो पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी थी।

अनुदान संख्या 004 – जिला प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2053. जिला प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,61,89,74	5,61,89,74	5,25,82,07	- 36,07,67
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
				35,58,95
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	1,79	1,73	- 6
अनुपूरक	1,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
				6

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 36,07.67 लाख की अन्तिम बचत में से राशि ₹ 48.72 लाख अनुभ्यर्पित रही जो मुख्यतः राजकीय लेखे में ₹ 47.40 लाख जमा कराने के कारण थी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2053. जिला प्रशासन				
094. अन्य स्थापनाएँ				
(01) सब डिवीजनल स्थापनाएं-प्रतिबद्ध				
मू.	93,75.37	83,01.20	82,98.42	- 2.78
पु.	- 10,74.17			

₹ 10,74.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 004 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
101. आयुक्त			
(01) आयुक्त			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	15,90.05		
		14,01.33	14,01.34
पु.	- 1,88.72		+ 0.01

₹ 1,88.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग,  
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,  
2062. सतर्कता और  
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
पूंजी – 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,72,76,36	2,72,76,36	2,12,79,27	- 59,97,09
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				59,34,95
<b>प्रभारित</b>				
मूल	6	6	..	- 6
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 59,97.09 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 62.14 लाख अनुभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 12,08.71 लाख, ₹ 21,85.89 लाख, ₹ 27,10.14 लाख, ₹ 42,84.12 लाख तथा ₹ 59,97.09 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.86 प्रतिशत से 21.99 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 005 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग			
103. कर्मचारी चयन आयोग			
(01) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड- प्रतिबद्ध			
मू.	18,04.07		
पु.	- 2,35.03	15,69.04	15,26.38
			- 42.66

₹ 2,35.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) बोर्ड द्वारा पटवारी सीधी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराने, (ii) मार्च, 2018 से बोर्ड के सदस्य का वेतन निर्धारण नहीं होने तथा (iii) सचिव तथा सहायक विधि सलाहकार के स्थानान्तरण होने के कारण पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।

₹ 42.66 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 42.67 लाख जमा कराने के कारण रही ।

2062. सतर्कता

103. लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त  
(01) लोकायुक्त सचिवालय-प्रतिबद्ध

मू.	8,44.89			
पु.	- 3,00.72	5,44.17	5,44.17	..

31 मार्च 2021 को ₹ 3,00.72 लाख का प्रावधान लोकायुक्त तथा सचिव आदि सहित विभिन्न संवर्गों में 22 पदों के रिक्त रहने तथा मार्च, 2020 में कार्मिक विभाग द्वारा 26 पदों को समाप्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

003. प्रशिक्षण  
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर  
[02] फर्म प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	11,59.50			
पु.	- 5,72.67	5,86.83	5,86.53	- 0.30

31 मार्च 2021 को ₹ 5,72.67 लाख का प्रावधान (i) (अ) 2019 बैच के आर.ए.एस. अधिकारियों का प्रशिक्षण समय पूर्व समाप्त कर पदस्थापन शीघ्र किये जाने, (ब) 2020 बैच के आर.ए.एस. अधिकारियों जिनका बैच नहीं आने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) ऑन लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण आर.ए.एस. प्रशिक्षुओं के लिए यात्रा तथा सेमिनारों का आयोजन कम होने तथा (iv) आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन नहीं करने के कारण भोजन, आवास एवं अन्य सुविधाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 005 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(01) राज्य गैराज तथा आटोमोबाइल विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	52,53.12	41,91.96	41,91.21
पु.	- 10,61.16		

₹ 10,61.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग में प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध कार्यरत चालकों के वेतन का निर्धारण नहीं होना, (ii) वर्ष के दौरान लॉकडाउन के कारण प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ड्राइवरों को कार्यमुक्त करना, (iii) आयोग/निगम/बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने के कारण कार्यालय वाहनों के संचालन और रखरखाव पर कम व्यय तथा (iv) पंचायती राज चुनाव आचार संहिता लागू होने को आरोपित की गयी।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(02) गाड़ियों का एककीकरण-प्रतिबद्ध			
मू.	42,56.01	38,28.88	38,24.27
पु.	- 4,27.13		

₹ 4,27.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध कार्यरत चालकों का सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने, (ii) पदों के रिक्त रहने तथा (iii) कोविड-19 के कारण विधायकों द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(05) किराए पर वायुयान/हेलिकॉप्टर-प्रतिबद्ध			
मू.	20,00.00	8,03.10	8,03.10
पु.	- 11,96.90		

31 मार्च 2021 को ₹ 11,96.90 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए अति विशिष्ट लोगों द्वारा चार्टर्ड उड़ान का उपयोग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,78.28 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,18.62 लाख) किया गया।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(01) राजकीय अतिथियों पर व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,00.00	1,90.07	1,89.66
पु.	- 2,09.93		

31 मार्च 2021 को ₹ 2,09.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(08) राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई-प्रतिबद्ध			
मू.	5,40.50	2,55.87	2,55.87
पु.	- 2,84.63		

₹ 2,84.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यालय व्ययों तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 005 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(09) परिधि गृह			
[01] विश्राम भवन राजस्थान-प्रतिबद्ध			
मू.	46,55.02		
		36,95.94	36,90.54
पु.	- 9,59.08		- 5.40
31 मार्च 2021 को ₹ 9,59.08 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों, मेस व्यवस्था तथा कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5.40 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(10) राजस्थान भवन, नई दिल्ली			
[01] राजस्थान भवन, नई दिल्ली –प्रतिबद्ध			
मू.	7,82.51		
		6,01.10	5,94.21
पु.	- 1,81.41		- 6.89
₹ 1,81.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों और कार्यालय व्ययों पर कम व्यय होने के कारण आरोपित की गयी। यद्यपि जिसके तथा ₹ 6.89 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(12) चाणक्यपुरी, नई दिल्ली गेस्ट हाउस			
[01] चाणक्यपुरी, नई दिल्ली गेस्ट हाउस –प्रतिबद्ध			
मू.	3,55.22		
		2,02.91	2,02.91
पु.	- 1,52.31		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,52.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,23,56,38	11,23,56,38	10,20,19,44	– 1,03,36,94
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,56,37,67	1,56,37,67	1,41,05,13	– 15,32,54
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
15,28,77				
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,03,36.94 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 37.67 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2014. न्याय प्रशासन				
105. सिविल और सेशन न्यायालय				
(02) व्यवहार तथा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,83,35.58	1,61,42.49	1,61,37.10	– 5.39
पु.	– 21,93.09			
105. सिविल और सेशन न्यायालय				
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,82,58.11	1,64,13.75	1,64,09.31	– 4.44
पु.	– 18,44.36			



**अनुदान संख्या 006 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(09) अनुसूचित जाति और जन जाति (अत्याचार निवारण) के लिए विशेष न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	20,45.49	16,97.21	16,97.12
पु.	- 3,48.28		
			- 0.09
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(17) ग्राम न्यायालय			
मू.	13,27.13	11,62.88	11,62.04
पु.	- 1,64.25		
			- 0.84
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 45,49.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य संवर्ग में पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का कम उपभोग करने को आरोपित की गई।			
शीर्ष "2014-105 (02) और (03)" के अंतर्गत ₹ 9.83 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 9.85 लाख जमा कराने के कारण रही।			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(11) एन.डी.पी.एस. प्रकरणों के लिए विशेष न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,37.35	6,27.61	6,27.59
पु.	- 1,09.74		
			- 0.02
31 मार्च 2021 को ₹ 1,09.74 लाख का प्रावधान न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य संवर्ग में पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का कम उपभोग करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(19) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय			
[01] जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,33,80.35	3,96,60.92	3,96,43.70
पु.	- 37,19.43		
			- 17.22
₹ 37,19.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य संवर्ग में पदों के रिक्त रहने, (ii) न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का कम उपभोग करने, (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए यात्रा में कटौती, (iv) जल, विद्युत तथा टेलीफोन इत्यादि पर कम व्यय, (v) संवर्ग-घ कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध होम गार्ड्स की सेवा लेने से अनुमान से कम राशि के बिल प्राप्त होने तथा (vi) चालकों के रिक्त पदों के विरुद्ध रेक्सो के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता नहीं करवाये जाने को आरोपित की गयी।			
₹ 17.22 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 17.22 लाख जमा होने के कारण रही।			

**अनुदान संख्या 006 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2014. न्याय प्रशासन			
114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसल)			
(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा-प्रतिबद्ध			
मू.	66,54.11		
		60,25.42	- 1.13
पु.	- 6,28.69	60,24.29	

₹ 6,28.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

117. परिवार न्यायालय

(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा-प्रतिबद्ध

मू.	36,99.93		
		31,51.87	- 0.62
पु.	- 5,48.06	31,51.25	

₹ 5,48.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य संवर्ग में पदों के रिक्त रहने, न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का कम उपभोग करने तथा परिवार न्यायालयों में कार्यरत काउंसलर की सेवाओं का विस्तार नहीं होने को आरोपित की गई।

**प्रभारित**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2014. न्याय प्रशासन			
102. उच्च न्यायालय			
(01) उच्च न्यायालय प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	1,56,37.64		
		1,41,08.90	- 3.77
पु.	- 15,28.74	1,41,05.13	

31 मार्च 2021 को ₹ 15,28.74 लाख का प्रावधान (i) माननीय न्यायाधीशों के पदों एवं अन्य पदों के रिक्त रहने, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए यात्रा में कटौती होने, (iii) (क) कोविड-19 महामारी को देखते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने, (ख) राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन में भू-निर्माण कार्यों, उद्यान एवं पौधों के विकास कार्यों की निविदा के रद्द होने तथा (ग) नवीन भवन में अनुमान से कम बिजली उपभोग के बिल प्राप्त होने के कारण, कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने तथा iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में दैनिक वादों की सूची का कम मुद्रण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 007 - निर्वाचन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2015. निर्वाचन और  
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,79,72,21	3,17,67,93	2,75,65,47	- 42,02,46
अनुपूरक	37,95,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				39,63,67
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च, 2021 में ग्राम पंचायत के चुनावों पर व्यय तथा चुनाव विभाग के वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 37,95.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 42,02.46 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,38.79 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन				
103. निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण				
(01) चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध				
मू.	50,00.00	41,49.24	41,17.73	- 31.51
पु.	- 8,50.76			

₹ 8,50.76 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 31.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 007 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय			
[02] महानिर्वाचन-प्रतिबद्ध			
मू.	1,65,00.00		
अ.	35,00.00	1,68,02.48	1,66,34.37
पु.	- 31,97.52		- 1,68.11

मार्च, 2021 में ग्राम पंचायतों के चुनावों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 35,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 31,97.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं कराने को आरोपित की गयी। यद्यपि, बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

₹ 1,68.11 लाख की अंतिम बचत (राजकीय खाते में जमा करायी गयी राशि ₹ 66.89 लाख सहित) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 008 - राजस्व

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व और  
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	8,84,86,91		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	8,84,86,91	7,41,73,59	- 1,43,13,32
<b>प्रभारित</b>			
मूल	4		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	4	..	- 4
<b>टिप्पणियां तथा टीकारं:</b>			
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2021)

राशि (31 मार्च 2021)

टिप्पणियां तथा टीकारं:

- ₹ 1,43,13.32 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 16.15 लाख अनुअभ्यर्पित रही जो मुख्यतः ₹ 18.60 लाख राजकीय खाते में जमा कराने के कारण थी।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,01,71.85 लाख, ₹ 81,02.85 लाख, ₹ 82,35.98 लाख, ₹ 1,24,35.91 लाख तथा ₹ 1,43,13.32 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.88 प्रतिशत से 23.60 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये लेकिन विभागों द्वारा वर्ष के दौरान बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य			
(01) प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	7,28.75		
पु.	- 2,21.77		
	5,06.98	5,08.52	+ 1.54

₹ 2,21.77 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 008 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य (02) जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	51,92.16		
पु.	- 23,59.96	28,32.20	28,33.26 + 1.06
31 मार्च 2021 को ₹ 23,59.96 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
103. भू-अभिलेख (02) जिला व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,74,31.94		
पु.	- 1,08,31.37	6,66,00.57	6,65,85.37 - 15.20
₹ 1,08,31.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, मजदूरी तथा यात्रा शुल्क पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
₹ 15.20 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 15.22 लाख जमा कराने के कारण रही ।			
800. अन्य व्यय (01) कृषि गणना योजना			
मू.	3,70.32		
पु.	- 2,91.51	78.81	78.80 - 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 2,91.51 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2020 से कृषि जनगणना के लेखे में मानदेय के संबंध में निधियां जारी करने के पैटर्न में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित की गयी, जिसके अनुसार राशि सीधे विभाग के चालू खाते में 06.07.2020 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से जमा की गई थी इसलिए राज्य सरकार द्वारा बजट से व्यय नहीं किया गया।			
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
099. राजस्व बोर्ड (01) मण्डल और उसकी स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	28,94.49		
पु.	- 5,56.95	23,37.54	23,34.95 - 2.59
₹ 5,56.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 009 – वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी – 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,85,26,96	9,42,14,57	7,99,25,26	- 1,42,89,31
अनुपूरक	1,56,87,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,41,24,14
<b>प्रभारित</b>				
मूल	50,00	1,20,00	1,03,85	- 16,15
अनुपूरक	70,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				13,15
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	72,41,41	1,02,48,39	82,92,39	- 19,56,00
अनुपूरक	30,06,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				19,61,90

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,42,89.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 1,56,87.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 1,42,89.31 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,65.17 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 79,58.79 लाख, ₹ 86,45.74 लाख, ₹ 1,04,71.32 लाख, ₹ 95,70.31 लाख तथा ₹ 1,42,89.31 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.99 प्रतिशत से 15.17 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)**

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य निदेशन			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	33,12.97		
पु.	- 4,53.70		
	28,59.27	28,52.80	- 6.47

₹ 4,53.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 162 पदों के रिक्त रहने, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा (iii) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम होने को आरोपित की गयी।

₹ 6.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	5,11,19.93		
पु.	- 38,61.97		
	4,72,57.96	4,71,20.60	- 1,37.36

₹ 38,61.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 2,836 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) प्रारम्भिक अनुमान से कम संख्या में कार्यभारित कर्मचारियों को लगाने के परिणामस्वरूप मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 1,37.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)। यद्यपि, इसमें राजकीय खाते में वापस जमा किए गए ₹ 78.55 लाख शामिल है।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) ईंधन तथा लकड़ी कोयला व्यापार योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	12,03.07		
पु.	- 2,79.29		
	9,23.78	9,19.71	- 4.07

₹ 2,79.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने और कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण वन लकड़ी के परिवहन, संग्रह और वितरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 4.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



## अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(26) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय वन विकास अभिकरण			
मू.	1,58.70	..	..
पु.	- 1,58.70		

31 मार्च 2021 को ₹ 1,58.70 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. वानिकी  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(01) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग  
[01] संस्थापन-प्रतिबद्ध

मू.	18,08.55	9,17.13	9,15.98	- 1.15
पु.	- 8,91.42			

31 मार्च 2021 को ₹ 8,91.42 लाख का प्रावधान कुछ जिला परिषदों से वर्ष 2019-20 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा 2020-21 के मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप संबंधित जिला परिषदों के पी.डी. खातों में निधियां हस्तांतरित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव  
110. वन्य जीव परिरक्षण  
(02) बाघ परियोजना, सरिस्का

मू.	8,81.07	11,17.01	11,16.76	- 0.25
अ.	7,48.57			
पु.	-5,12.63			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में मुआवजा जारी करने हेतु लिया गया ₹ 7,48.57 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, मुआवजा कम जारी किये जाने के कारण ₹ 5,12.63 लाख की प्रत्याशित बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव  
110. वन्य जीव परिरक्षण  
(11) वन्य जीव क्षेत्रों का संधारण  
[01] राज्य वन्यजीवन संरक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	69,79.27	53,38.41	53,29.46	- 8.95
पु.	- 16,40.86			

31 मार्च 2021 को ₹ 16,40.86 लाख का प्रावधान स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 8.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
112. सार्वजनिक उद्यान			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	20,05.30		
अ.	13,00.00	21,85.36	21,85.36
पु.	- 11,19.94		..

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा मरम्मत एवं रखरखाव हेतु लिया गया ₹ 13,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 11,19.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2021)।

04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास  
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)  
(01) प्रतिकरात्मक वनरोपण  
[01] प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत व्यय

मू.	4,75.00			
अ.	26,33.25	23,23.51	23,39.15	+ 15.64
पु.	-7,84.74			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वृक्षारोपण के लिए सहायतार्थ अनुदान जारी करने हेतु लिया गया ₹ 26,33.25 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 7,84.74 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹15.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास  
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)  
(02) जलागम क्षेत्र योजना  
[01] जलागम क्षेत्र योजना के तहत व्यय

मू.	2,00.00			
पु.	-2,00.00	..	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास  
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)  
(03) समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना  
[01] समेकित वन्य जीवन प्रबन्धन योजना के तहत व्यय

मू.	2,00.00			
अ.	8,47.64	3,53.77	3,53.65	- 0.12
पु.	- 6,93.87			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना हेतु लिया गया ₹ 8,47.64 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 6,93.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	51,00.00		
अ.	1,01,58.15	1,15,08.60	1,14,80.87
पु.	- 37,49.55		- 27.73

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना हेतु लिया गया ₹ 1,01,58.15 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 37,49.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 24,35.28 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 13,14.27 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत तथा ₹ 27.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास  
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)  
(05) प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय  
[01] प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय

मू.	1,00.01			
पु.	- 1,00.01			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,00.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास  
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)  
(06) अन्य  
[01] अन्य के तहत व्यय

मू.	1,15.00			
पु.	- 1,08.80	6.20	6.20	

31 मार्च 2021 को ₹ 1,08.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(01) बाघ परियोजना, रणथम्भौर			
मू.	8,62.97		
पु.	2,78.36	11,41.33	11,40.23
			- 1.10

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,78.36 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(06) इको ट्यूरिज्म का विकास			
मू.	50.00		
		1,80.61	
पु.	1,30.61	1,80.61	..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,30.61 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021) ।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 19,56.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 30,06.98 लाख अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था ।
- ₹ 19,56.00 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में , ₹ 19,61.90 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 13,20.50 लाख, ₹ 12,99.00 लाख, ₹ 40,03.16 लाख, ₹ 18,62.45 लाख तथा ₹ 19,56.00 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.00 प्रतिशत से 38.29 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(01) परिभ्रांशित वनों का पुनरारोपण			
मू.	8,31.94		
अ.	1,21.58	8,40.35	
पु.	- 1,13.17		- 5.96

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वृक्षारोपण हेतु लिया गया ₹ 1,21.58 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

31 मार्च 2021 को ₹ 1,13.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 5.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(11) जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक			
मू.	12,53.96		
अ.	2,16.38	12,73.06	12,70.77
पु.	- 1,97.28		- 2.29

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वृक्षारोपण हेतु लिया गया ₹ 2,16.38 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 1,97.28 लाख का प्रावधान जलवायु परिवर्तन तथा मरु प्रसार को रोकने हेतु कम वृक्षारोपण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

- 01. वानिकी
- 101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण
- (12) एकीकृत वन सुरक्षा योजना
- [01] सुरक्षा एवं विकास कार्य

मू.	3,03.00			
पु.	- 1,84.50	1,18.50	1,18.50	..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,84.50 लाख का प्रावधान लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

- 01. वानिकी
- 102. समाज तथा फार्म वानिकी
- (14) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य

मू.	4,24.87			
अ.	21,02.95	22,63.76	22,83.66	+ 19.90
पु.	- 2,64.06			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वनीकरण कार्य हेतु लिया गया ₹ 21,02.95 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 2,64.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 19.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

- 02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
- 110. वन्य जीव
- (01) वन क्षेत्रों का संधारण

मू.	6,25.00			
अ.	4,81.44	4,80.59	4,87.03	+ 6.44
पु.	- 6,25.85			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वनीकरण कार्य हेतु लिया गया ₹ 4,81.44 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 6,25.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,69.16 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,56.69 लाख) किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 6.44 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 009 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(06) बाघ परियोजना रणथम्भौर			
मू.	65.02		
अ.	84.62	20.48	20.49
पु.	- 1,29.16		+ 0.01

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वनीकरण कार्य हेतु लिया गया ₹ 84.62 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 1,29.16 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव  
110. वन्य जीव  
(17) प्रोजेक्ट लेपर्ड  
[01] विकास कार्य

मू.	3,00.00			
पु.	- 1,58.68	1,41.32	1,41.32	..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,58.68 लाख का प्रावधान लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं**  
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,56,12,78			
अनुपूरक	..	5,56,12,78	4,40,52,00	- 1,15,60,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,15,61,05

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,15,60.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,15,61.05 लाख का अभ्यर्ण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2075. विविध सामान्य सेवाएं				
104. विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेशन तथा पुरस्कार				
(01) सैन्य कर्मचारी वर्ग को वीरता के लिए पारितोषिक-प्रतिबद्ध				
मू.	4,00.00			
पु.	- 2,04.25	1,95.75	1,95.75	..
₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैन्य कर्मियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए अनुमानित था।				
31 मार्च 2021 को ₹ 2,04.25 लाख का प्रावधान कम संख्या में मामलों प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण				
(01) मद 8235-117 गारंटी मोचन निधि को अन्तरण-प्रतिबद्ध				
मू.	5,50,00.00			
पु.	- 1,12,66.43	4,37,33.57	4,37,33.58	+ 0.01

31 मार्च 2021 को ₹ 1,12,66.43 लाख का प्रावधान जनवरी से दिसम्बर 2020 के दौरान प्राप्त वास्तविक गारंटी शुल्क को गारंटी मोचन निधि में अंतरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और  
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण  
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान  
 पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	58,33,21	58,33,22	42,67,95	- 15,65,27
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				15,53,05
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	13,42	13,39	- 3
अनुपूरक	13,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,15,64	4,15,64	1,05,75	- 3,09,89
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,09,90

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 15,65.27 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 12.22 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
2. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 18,95.83 लाख, ₹ 28,94.92 लाख, ₹ 12,16.97 लाख, ₹ 15,43.99 लाख तथा ₹ 15,65.27 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 17.95 प्रतिशत से 31.10 प्रतिशत के बीच थी। इन निरन्तर बचतों के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।



अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्त अक्षयनिधि अधिनियमों का प्रशासन			
(01) देवस्थान तथा धर्मपुरा-प्रतिबद्ध			
मू.	21,75.82		
पु.	- 5,72.72	16,03.10	16,01.67
			- 1.43

₹ 5,72.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मितव्ययिता उपायों और राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा डिजिटलीकरण कार्य के बिल प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय

(02) तीर्थ यात्रा योजना

[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

मू.	10,46.83			
पु.	- 4,17.97	6,28.86	6,28.87	+ 0.01

31 मार्च 2021 को ₹ 4,17.97 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बकाया बिलों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,51.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 66.74 लाख) किया गया।

800. अन्य व्यय

(03) ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरूत्थान हेतु सहायता

मू.	3,54.72			
पु.	- 1,16.48	2,38.24	2,38.24	..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,16.48 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती एवं वित्त विभाग द्वारा मार्च, 2021 तक ₹ 1,16.48 लाख में से ₹ 75.00 लाख की राशि जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(12) विज्ञान एवं तकनीक

[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	7,74.42			
पु.	- 1,24.38	6,50.04	6,48.36	- 1.68

₹ 1,24.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 011 - (समाप्त)

### पूंजी

#### दत्तमत

1. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 25,95.72 लाख, ₹ 16,04.48 लाख, ₹ 5,63.77 लाख, ₹ 6,96.14 लाख तथा ₹ 3,09.89 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 59.21 प्रतिशत से 75.14 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,75.22	42.25	42.26
पु.	- 1,32.97		+ 0.01

31 मार्च 2021 को ₹ 1,32.97 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती एवं वित्त विभाग द्वारा मार्च, 2021 तक ₹ 1,13.66 लाख में से ₹ 80.44 लाख की राशि जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय

800. अन्य व्यय
- (02) विज्ञान एवं तकनीक

मू.	1,80.00	28.09	28.09	..
पु.	- 1,51.91			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,51.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,  
2041. वाहन कर,  
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और  
3055. सड़क परिवहन  
पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और  
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,60,57,78	8,60,57,78	7,08,38,98	- 1,52,18,80
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,59,34,91
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	1,99	1,98	- 1
अनुपूरक	1,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	31,00,07	31,00,07	4,87,10	-26,12,97
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				26,12,97

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,52,18.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,59,34.91 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 80,24.66 लाख, ₹ 69,51.68 लाख, ₹ 1,28,82.14 लाख, ₹ 97,80.88 लाख तथा ₹ 1,52,18.80 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.17 प्रतिशत से 17.68 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2041. वाहन कर			
001. निदेशन और प्रशासन			
(04) संचालन परिवहन			
[01] मुख्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	12,80.89	11,13.92	11,13.87
पु .	- 1,66.97		
			- 0.05

₹ 1,66.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

101. संग्रहण प्रभार			
(04) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू .	84,16.05	65,67.53	65,65.94
पु .	- 18,48.52		
			- 1.59

₹ 18,48.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा आर्थिक उपायों के कारण कार्यालय व्ययों में कटौति को आरोपित की गयी।

3055. सड़क परिवहन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(12) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/ रियायती यात्राओं की राशि का पुनर्भरण			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू .	2,00,00.00	79,89.91	79,89.91
पु .	- 1,20,10.09		
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,20,10.19 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण बसों का संचालन बंद होने से निगम की बसों में यात्री भार में उल्लेखनीय कमी होने के परिणामतः मुफ्त और रियायती यात्रा के उपयोग के वित्तीय भार में कमी होने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 73,33.26 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 46,76.83 लाख) किया गया।

800. अन्य व्यय			
(08) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू .	63,04.02	21,74.28	21,74.25
पु .	- 41,29.74		
			- 0.03

₹ 41,29.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण सड़क सुरक्षा गतिविधियों की व्यय सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
01. स्टाम्प- न्यायिक			
101. स्टाम्पों की लागत			
(01) स्टाम्प मुद्रण			
[01] ज्यूडिशियल स्टाम्प का मुद्रण -प्रतिबद्ध			
मू .	3,00.00		
	6,05.94	6,05.94	..
पु .	3,05.94		
02. स्टाम्प- न्यायिकेत्तर			
101. स्टाम्पों की लागत			
(01) स्टाम्प मुद्रण			
[01] नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का मुद्रण -प्रतिबद्ध			
मू .	20,00.00		
	61,02.91	61,02.91	..
पु .	41,02.91		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,08.85 लाख की अतिरिक्त निधियां ज्यूडिशियल तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्पों की अधिक मांग होने तथा बकाया बिलों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्ष में अन्तिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौति अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क			
(03) जोड़िये-मद 2040-001(05) एवं 101-(03)			
से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक			
व्यय -प्रतिबद्ध			
मू .	11,21.26		
	8,49.72	10,18.13	+ 1,68.41
पु .	- 2,71.54		

31 मार्च 2021 को ₹ 2,71.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,68.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)

### पूँजी

#### दत्तमत

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,01,00.02 लाख, ₹ 93,50.03 लाख, ₹ 3,76.28 लाख, ₹ 11,15.50 लाख तथा ₹ 26,12.97 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 10.38 प्रतिशत से 92.57 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
050. भूमि तथा भवन			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] सिविल कार्य			
मू.	30,00.01		
पु .	- 25,37.91	4,62.10	4,62.10
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 25,37.91 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा 33 जिलों में यातायात पाकों के निर्माण के अनुमान प्रस्तुत नहीं करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 013 – आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2039. राज्य उत्पाद शुल्क  
पूंजी – 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,73,66,06			
अनुपूरक	..	1,73,66,06	1,52,09,54	– 21,56,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				21,56,55
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	– 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

### पूंजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	– 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

### टिप्पणी तथा टीका:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
<b>शीर्ष</b>				
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	24,33.43			
पु.	– 9,84.11	14,49.32	14,49.32	..

₹ 9,84.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मीडिया प्लान के अनुमोदन नहीं होने के कारण विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार पर कम व्यय होने तथा (ii) राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण माह मार्च, 2020 के वेतन भुगतान को आंशिक रूप से स्थगित करने, राज्य सरकार द्वारा 2020-21 में देय समर्पण अवकाश के नकद भुगतान पर रोक लगाने एवं मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

### अनुदान संख्या 014 - बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर और  
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार  
पूंजी - 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,17,15,90	14,96,28,70	14,06,71,88	- 89,56,82
अनुपूरक	4,79,12,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				88,65,66
<b>प्रभारित</b>				
मूल	6	6	..	- 6
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2	8,25	8,25	..
अनुपूरक	8,23			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 89,56.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में ₹ 4,79,12.80 लाख का अनुपूरक अनुदान मुख्य रूप से निवेश सहाय्य की अदायगी और जल संरक्षण उपकर निधि में जल संरक्षण उपकर से सम्बन्धित प्राप्तियों के संग्रहण को हस्तांतरित करने हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- ₹ 89,56.82 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 91.16 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।



अनुदान संख्या 014 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
101. संग्रहण प्रभार			
(02) अन्य जिला कार्यकारी कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू. 1,69,49.24	1,46,52.24	1,46,52.24	..
पु. - 22,97.00			
₹ 22,97.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (iii) वापसी योग्य राशि पर देय ब्याज से संबंधित दावों की आपत्तियों का निपटान नहीं होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए संविदा सेवाओं, बिजली, पानी, टेलीफोन और पत्रिकाओं, इत्यादि पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[05] एम्प्लॉयमेन्ट जनरेशन सब्सिडि			
मू. 26,48.14	15,22.11	15,22.11	..
पु. - 11,26.03			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[08] एम्प्लायमेन्ट जनरेशन सब्सिडि (रिप्स-2014)			
मू. 13,66.56	5,86.64	5,86.64	..
पु. - 7,79.92			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 19,05.95 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान एम्प्लायमेन्ट जनरेशन सब्सिडि के प्रकरणों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार			
001. निदेशन एवं प्रशासन			
(04) मद 2040-001(08) से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय			
[01] आनुपातिक व्यय का स्थानांतरण-प्रतिबद्ध			
मू. 40,20.58	33,65.61	33,37.72	- 27.89
पु. - 6,54.97			

## अनुदान संख्या 014 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार			
101. संग्रहण प्रभार			
(02) शीर्ष 2040-101(05) से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय			
[01] आनुपातिक व्यय का स्थानांतरण-प्रतिबद्ध			
मू.	95,86.45		
पु.	- 19,53.11		
	76,33.34	75,70.15	+ 63.19

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 26,08.08 लाख का प्रावधान "बिक्री कर", "विद्युत कर", "मनोरंजन कर" तथा "वस्तु एवं सेवा कर" के तहत राजस्व प्राप्ति के उनके संग्रह के अनुपात में स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना के आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया तथा जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 91.08 लाख की अंतिम बचत भी रही।

अनुदान संख्या 015 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,33,91,70,05	2,33,91,70,05	2,24,32,41,79	- 9,59,28,26
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				8,82,85,25
<b>प्रभारित</b>				
मूल	12,00,04	12,00,04	7,20,69	- 4,79,35
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,00,04

**टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 9,59,28.26 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 76,43.01 लाख अन्अभ्यर्पित रही जिसमें ₹ 60,56.24 लाख राजकीय खाते में वापस जमा कराये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01. सिविल				
102. पेंशन का सारांशीकृत मूल्य				
(01) पेंशन का सारांशीकृत मूल्य				
[01] कर्मचारियों की पेंशन का सारांशीकृत मूल्य-प्रतिबद्ध				
मू .	26,40,00.00	21,15,79.64	21,15,82.81	+ 3.17
पु.	- 5,24,20.36			

31 मार्च 2021 को ₹ 5,24,20.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,23,12.26 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,01,08.10 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
104. उपदान			
(01) राज्य कर्मचारियों को उपदान-प्रतिबद्ध			
मू.	29,70,00.00	26,96,20.68	26,93,90.55
पु.	- 2,73,79.32		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,73,79.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 2,30.13
₹ 2,30.13 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,99.09 लाख आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा राजकीय खाते में वापिस जमा कराये गये, ₹ 31.04 लाख की शेष रही बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. सिविल			
104. उपदान			
(02) कर्मचारियों के इयूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	12,00.00	3,30.91	3,30.91
पु.	- 8,69.09		
31 मार्च 2021 को ₹ 8,69.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
01. सिविल			
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन			
(01) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	6,60,00.00	5,92,42.18	5,91,57.42
पु.	- 67,57.82		
31 मार्च 2021 को ₹ 67,57.82 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 84.76
₹ 84.76 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 88.37 लाख राजकीय खाते में वापिस जमा कराने के कारण रही।			
01. सिविल			
111. विधायकों को पेंशन			
(01) राजस्थान के विधायकों को पेंशन			
[01] विधायकों को पेंशन एवं कौटुम्बिक पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	37,00.00	33,22.94	32,92.55
पु.	- 3,77.06		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,77.06 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा सूचित किये गये अनुसार पूर्व सदस्यों को पेंशन के वास्तविक भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 30.39
₹ 30.39 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 30.51 लाख राजकीय खाते में वापिस जमा कराने के कारण रही।			

## अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
115. छुट्टी नगदीकरण हितलाभ			
(01) सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हित लाभ			
[01] कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हित लाभ-प्रतिबद्ध			
मू.	17,05,00.00	14,08,62.64	14,07,81.94
पु.	- 2,96,37.36		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,96,37.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 80.70

₹ 80.70 लाख की अंतिम बचत मुख्यतः आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 78.42 लाख राजकीय खाते में वापिस जमा कराने के कारण रही।

01. सिविल			
800. अन्य व्यय			
(01) पेंशन हित लाभ भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का भुगतान -प्रतिबद्ध			
मू.	3,00.00	91.29	91.23
पु.	- 2,08.71		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,08.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 0.06

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रहा :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन			
(03) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	16,50.00	18,16.68	18,19.79
पु.	1,66.68		
01. सिविल			
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान-प्रतिबद्ध			
[01] राज्य सरकार का नियमित अंशदान-प्रतिबद्ध			
मू.	20,00,00.00	21,78,91.16	21,78,91.16
पु.	1,78,91.16		

**अनुदान संख्या 015 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
200. अन्य पेंशन			
(01) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान – प्रतिबद्ध			
मू.	38,00.00		
पु.	26,87.30		
	64,87.30	64,81.67	- 5.63

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,07,45.14 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**प्रभारित**

- ₹ 4,79.35 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,79.31 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
(01) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार			
[01] उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार (प्रभृत) – प्रतिबद्ध			
मू.	12,00.00		
पु.	- 2,00.00		
	10,00.00	7,20.69	- 2,79.31

31 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 2,79.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 016 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और  
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	69,08,11,61	69,08,11,70	63,85,06,02	- 5,23,05,68
अनुपूरक	9			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,89,75,15
<b>प्रभारित</b>				
मूल	20,04	30,00	29,08	- 92
अनुपूरक	9,96			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				93
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,38,75,54	1,60,16,85	1,20,37,86	- 39,78,99
अनुपूरक	21,41,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				39,78,98

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 5,23,05.68 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 33,30.53 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(01) आपराधिक शाखा			
[01] विशेष शाखा-प्रतिबद्ध			
मू.	1,56,72.34	1,38,21.64	1,38,09.45
पु.	- 18,50.70		
			- 12.19

₹ 18,50.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (iii) भर्ती हुए नये सिपाहियों के पदस्थापन में देरी होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यालय वाहनों के संचालन तथा रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 12.19 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 12.18 लाख जमा कराने के कारण रही ।

109. जिला पुलिस			
(01) सामान्य पुलिस			
[03] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वारंट/ वाहनों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू.	12,00.00	8,58.69	8,58.69
अ.	0.01		
पु.	- 3,41.32		
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 3,41.32 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

109. जिला पुलिस			
(06) यातायात पुलिस			
[01] यातायात व्यवस्था-प्रतिबद्ध			

मू.	1,75,07.00	1,45,87.50	1,45,86.85
पु.	- 29,19.50		
			- 0.65

31 मार्च 2021 को ₹ 29,19.50 लाख का प्रावधान (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा (iii) भर्ती हुए नये सिपाहियों के पदस्थापन में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली			
[01] सामान्य पुलिस-प्रतिबद्ध			
मू.	8,31,67.62	7,38,81.47	7,18,09.40
पु.	- 92,86.15		- 20,72.07

₹ 92,86.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (iii) भर्ती हुए नये सिपाहियों के पदस्थापन में देरी होने, (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए एक जिले/राज्य से दूसरे जिले/राज्य की यात्रा पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण यात्रा व्यय पर कम व्यय होने, (v) कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन चिकित्सा बिल जमा नहीं कराने तथा (vi) कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यालय व्यय, विशेष सेवाओं और कार्यालय वाहनों के रखरखाव और संचालन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 20,72.07 लाख की अंतिम बचत (राजकीय खाते में जमा राशि ₹ 62.03 लाख सहित) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

109. जिला पुलिस  
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली  
[03] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-प्रतिबद्ध

मू.	28,53.50	23,03.01	23,03.01	..
पु.	- 5,50.49			

₹ 5,50.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा (iii) भर्ती हुए नये सिपाहियों के पदस्थापन में देरी होने को आरोपित की गयी।

109. जिला पुलिस  
(11) सामान्य पुलिस  
[01] सामान्य पुलिस निष्पादन-प्रतिबद्ध

मू.	36,43,40.53	34,17,03.85	34,15,11.50	- 1,92.35
पु.	- 2,26,36.68			

₹ 2,26,36.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (iii) भर्ती हुए नये सिपाहियों के पदस्थापन में देरी होने, (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए एक जिले/राज्य से दूसरे जिले/राज्य की यात्रा पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण यात्रा व्यय पर कम व्यय होने तथा (v) कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यालय व्यय, मशीनरी एवं उपकरणों, वर्दी तथा मानदेय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 1,92.35 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 1,95.87 लाख जमा होने के कारण रही।

## अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
113. पुलिस कार्मिकों का कल्याण			
(01) पुलिस विभाग के कार्मिकों हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	17,75.00	15,82.89	15,82.89
पु.	- 1,92.11		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,92.11 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए सहायतार्थ अनुदान (गैर वेतन) कम जारी करने तथा कर्मचारियों तथा श्रम कल्याण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(01) वितंतु (विशेष पुलिस)-प्रतिबद्ध			
मू.	87,03.04	72,51.97	72,48.07
अ.	0.01		
पु.	- 14,51.08		
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(03) कम्प्यूटर-प्रतिबद्ध			
मू.	12,51.20	9,72.48	9,72.47
अ.	0.01		
पु.	- 2,78.73		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 17,29.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (iii) भर्ती हुए नये सिपाहियों के पदस्थापन में देरी होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए मशीनरी तथा उपकरणों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			- 3.90
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(09) स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एस.पी.सी.)			
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण			
मू.	3,56.80	0.68	0.68
पु.	- 3,56.12		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,56.12 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण, यात्रा तथा सेमिनार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
800. अन्य व्यय			
(01) पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड			
मू.	5,00.01	2,28.47	2,28.47
पु.	- 2,71.54		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,71.54 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए मशीनरी तथा उपकरणों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..

## अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
107. होम गार्ड			
(01) नगरीय गृह रक्षा			
मू.	66,89.90	59,39.76	59,39.76
पु.	- 7,50.14		..

₹ 7,50.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) छः कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम कम आयोजित करने को आरोपित की गयी।

107. होम गार्ड  
(02) सीमा गृह रक्षा

मू.	22,49.81	19,18.38	19,18.35	- 0.03
पु.	- 3,31.43			

₹ 3,31.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) एक कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम कम आयोजित करने को आरोपित की गयी।

107. होम गार्ड  
(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना  
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत  
शहरी गृह रक्षा हेतु राशि

मू.	1,50.35	20.93	20.93	..
पु.	- 1,29.42			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,29.42 लाख का प्रावधान पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

107. होम गार्ड  
(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना  
[02] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत  
सीमा गृह रक्षा हेतु राशि

मू.	1,50.84	..	..	..
पु.	- 1,50.84			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,50.84 लाख का समस्त प्रावधान पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

**अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)**

3. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान में कटौती/आवर्द्धन अनावश्यक/ अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(01) समान्य पुलिस			
[04] रेलवे वारंट-प्रतिबद्ध			
मू.	6,00.00	..	2,99.06 + 2,99.06
पु.	- 6,00.00		

31 मार्च 2021 को ₹ 6,00.00 लाख का समस्त प्रावधान रेल यात्रा पर व्यय का निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रेलवे से प्राप्त रेल वारंट का समायोजन कार्यालय महालेखाकार द्वारा किया गया।

यद्यपि, वर्ष के दौरान ₹ 2,99.06 लाख के रेलवे वारंट प्राप्त हुए और बिना प्रावधान के राज्य के खातों में समायोजित किये गये। रेलवे वारंट के ऐसे समायोजन मई, 2020 से प्रत्येक माह में किये गये और कार्यालय महालेखाकार द्वारा संबंधित नियंत्रक विभाग को भी सूचित किया गया।

109. जिला पुलिस  
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली  
[04] यातायात पुलिस-प्रतिबद्ध

मू.	1,24,36.50	1,41,38.41	1,28,79.62	- 12,58.79
पु.	17,01.91			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,01.91 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) नवनियुक्त कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण करने, (ii) बकाया दावों के भुगतान करने, (iii) नवनियुक्त सिपाहियों की परिवीक्षा पूरी होने तथा (iv) मानदेय पर अधिक व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 12,58.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 21,41.31 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 4,70.27 लाख, ₹ 29,60.32 लाख, ₹ 34,48.37 लाख, ₹ 67,09.08 लाख तथा ₹ 39,78.99 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल प्रावधान की 11.27 प्रतिशत से 31.84 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[02] सामान्य पुलिस			
मू.	59,67.01	35,98.77	35,98.77
पु.	- 23,68.24		..

31 मार्च 2021 को ₹ 23,68.24 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए मशीनरी तथा उपकरणों पर निधियों के कम उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

207. राज्य पुलिस  
(01) पुलिस आधुनिकीकरण  
[03] वितंतु पुलिस

मू.	8,20.68	4,03.32	4,03.32	..
पु.	- 4,17.36			

31 मार्च 2021 को ₹ 4,17.36 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए मशीनरी तथा उपकरणों पर निधियों के कम उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

207. राज्य पुलिस  
(01) पुलिस आधुनिकीकरण  
[04] कम्प्यूटर पुलिस

मू.	21,00.02	3,12.03	3,12.03	..
पु.	- 17,87.99			

₹ 17,87.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए कम्प्यूटरीकरण पर निधियों के कम उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया।

211. पुलिस आवास  
(01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण  
निगम लिमिटेड के माध्यम से  
[90] निर्माण कार्य

मू.	20,10.00	15,66.00	15,66.00	..
पु.	- 4,44.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 4,44.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 016 - (समाप्त)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(02) जिला पुलिस			
[01] सामान्य पुलिस			
मू.	0.02		
अ.	21,41.31	31,53.55	..
पु.	10,12.22		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,12.22 लाख की अतिरिक्त निधियां अधिक वाहनों के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 017 – कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,99,35,11	2,02,03,67	1,93,36,78	– 8,66,89
अनुपूरक	2,68,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				8,43,31
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	5,96	5,93	– 3
अनुपूरक	5,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,68.56 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 8,66.89 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 23.58 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
3. बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत रहे आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
<b>2056. जेल</b>				
<b>001. निदेशन और प्रशासन</b>				
<b>(01) प्रशासन</b>				
<b>[01] मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध</b>				
मू.	12,33.87	10,59.47	10,58.71	– 0.76
पु.	– 1,74.40			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,74.40 लाख का प्रावधान (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से समर्पित अवकाश के नकदीकरण के बिलों का भुगतान न होने, (iii) बंदी कल्याण कोष और कर्मचारी कल्याण कोष की व्यय सीमा में कमी और कोविड-19 महामारी को देखते हुए त्यौहार और खेल गतिविधियों का कम आयोजन होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी के कारण अदालत के समक्ष कैदियों की कम पेशी होने के परिणामस्वरूप यात्रा पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(01) मुख्य जेल-प्रतिबद्ध			
मू.	95,02.17		
अ.	2,68.56	90,44.20	90,25.66
पु.	- 7,26.53		- 18.54

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,68.56 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 7,26.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से समर्पित अवकाश के नकदीकरण के बिलों का भुगतान न होने, (iii) केन्द्रीय कारागृहों में स्वच्छता व्यवस्था के लिए निविदा नहीं होने तथा (iv) नये प्रहरियों की नियुक्ति होने के कारण रिक्त पदों के विरुद्ध होम गार्ड्स स्वयं सेवकों की भर्ती नहीं होने के परिणामस्वरूप संविदा सेवाओं पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 18.54 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 18.70 लाख जमा कराने के कारण रही।

101. जेल  
(06) जेलों में विडियों कांफ्रेंसिंग सुविधा

मू.	4,80.01			
		2,42.33	2,42.17	- 0.16
पु.	- 2,37.68			

31 मार्च 2021 को ₹ 2,37.68 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए क्रय किये जाने वाले उपकरणों के लिए राज्य समिति द्वारा विनिर्देश के निर्धारण में देरी, (ii) निविदा की मंजूरी के बाद भी फर्म द्वारा समय पर हार्डवेयर वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करने और आपूर्ति की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुसार नहीं होने, (iii) हार्डवेयर मर्दों के रखरखाव के लिए 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किये जाने तथा (iv) राजकाम्प के स्तर पर से कार्य लंबित होने के कारण स्थानीय क्षेत्र कनेक्टिविटी के लिये राजकाम्प इंफो सर्विस लिमिटेड को भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,18.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18.84 लाख) किया गया।



अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	99,18,79	1,58,45,36	1,32,92,79	- 25,52,57
अनुपूरक	59,26,57			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				25,52,56
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 25,52.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2021 में विज्ञापन, बिक्री, प्रचार और विस्तार पर व्यय की पूर्ति के लिए लिया गया ₹ 59,26.57लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार				
60. अन्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) निदेशन तथा प्रशासन				
[01] निदेशालय संस्थापन-प्रतिबद्ध				
मू.	84,44.13	1,20,75.72	1,20,75.71	- 0.01
अ.	59,26.57			
पु.	- 22,94.98			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा विज्ञापन, बिक्री, प्रचार और विस्तार पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 59,26.57 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 22,94.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 244 स्वीकृत पदों में से 96 पदों के रिक्त रहने, (ii) कोरोना महामारी के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान न करना तथा (iii) कोविड-19 महामारी के कम प्रभाव के कारण वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रिंट मीडिया/आउटडोर मीडिया के माध्यम से विज्ञापन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 018 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार			
60. अन्य			
106. क्षेत्र प्रचार			
(01) जिला स्तर पर क्षेत्र प्रचार			
[01] जिला स्तर पर क्षेत्र प्रचार-प्रतिबद्ध			
मू.	9,12.79		
		7,17.74	
पु.	- 1,95.05		
		7,17.73	- 0.01

₹ 1,95.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 175 स्वीकृत पदों में से 81 पदों के रिक्त रहने तथा कोरोना महामारी के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 019 - लोक निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2059. लोक निर्माण कार्य

- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय और  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,63,99,46			
अनुपूरक	1	5,63,99,47	4,37,09,63	- 1,26,89,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,27,05,21
<b>प्रभारित</b>				
मूल	5,00			
अनुपूरक	40,18	45,18	21,05	- 24,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				24,13
<b>पूँजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,33,73,16			
अनुपूरक	3	10,33,73,19	4,68,55,70	- 5,65,17,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				5,63,52,66

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. ₹ 1,26,89.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 1,27,05.21 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
2. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 67,32.22 लाख, ₹ 47,36.46 लाख, ₹ 62,47.55 लाख, ₹ 1,13,54.92 लाख तथा ₹ 1,26,89.84 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 10.14 प्रतिशत से 22.50 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,79,79.41		
पु.	- 67,18.92	2,12,60.49	2,12,60.24
			- 0.25

31 मार्च 2021 को ₹ 67,18.92 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 66,38.38 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 80.54 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[11] प्रधान कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	60,47.78		
पु.	- 7,64.31	52,83.47	52,83.47
			..

₹ 7,64.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
004. योजना तथा अनुसंधान			
(01) अनुसंधान-प्रतिबद्ध			
मू.	23,66.72		
पु.	- 4,12.24	19,54.48	19,72.90
			+ 18.42

31 मार्च 2021 को ₹ 4,12.24 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 18.42 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	13,74.50		
		10,20.82	10,20.83
			+ 0.01
पु.	- 3,53.68		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,53.68 लाख का प्रावधान मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए			
[01] विशेष एवं सामान्य-प्रतिबद्ध			
मू.	60,84.00		
		51,19.98	51,20.12
			+ 0.14
पु.	- 9,64.02		
31 मार्च 2021 को ₹ 9,64.02 लाख का प्रावधान मजदूरी, मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(04) पंजीयक, राजस्व मण्डल-प्रतिबद्ध			
मू.	5,00.00		
		1,99.69	1,99.69
			..
पु.	- 3,00.31		
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	9,00.00		
		5,39.02	5,38.91
			- 0.11
पु.	- 3,60.98		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 6,61.29 लाख का प्रावधान संशोधित अनुमानों में बजट सीमा में कटौती होने, दिनांक 23.3.2021 से 31.03.2021 तक नगर संभाग, अजमेर में प्राप्त ₹ 18.20 लाख के बिलों को पे-मेनेजर पर अपलोड न किये जाने के कारण ऋण सीमा का उपयोग नहीं हुआ और राजसंमद, बेगू, नोहर आदि संभागों में कार्यों की कम निविदा प्रीमियम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(08) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	3,00.00	84.00	84.00
पु.	- 2,16.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,16.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए फील्ड इंजीनियरों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के तकनीकी आंकलन में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(12) महानिरीक्षक, पुलिस विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	20,00.00	9,70.54	9,69.31
पु.	- 10,29.46		- 1.23

31 मार्च 2021 को ₹ 10,29.46 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	6,50.00	19.41	19.41
पु.	- 6,30.59		..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,30.59 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4. **उचन्त** - लघु शीर्ष "उचन्त" अस्थायी रूप से प्राप्तियों एवं संवितरणों को सम्मिलित करता है जो अंतरिम संव्यवहारों की प्रकृति के हैं। यद्यपि, उनको पूर्ण रूप देने और अंतिम रूप से लेखांकित करने के पूर्व मूल्यों का आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, "उचन्त" में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

(i) **स्टॉक** - इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः उप भाग स्टॉक, भण्डार में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किया जाता है जिसके द्वारा अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष को दर्शाता है।

(ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** - इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, भण्डार का मूल्य जो अभी अपलिखित नहीं किया गया हो तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

(iii) **वर्कशाप उचन्त** –सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

2020-21 में इस अनुदान में "उचन्त" लेन देनों का विश्लेषण "उचन्त" के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

"उचन्त" लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
स्टॉक	(+) 4,53.61	..	..	(+) 4,53.61
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,23.33	..	..	(+) 2,23.33
योग	(+) 6,76.94	..	..	(+) 6,76.94

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 5,65,17.49 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,64.83 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 8,98,16.59 लाख, ₹ 6,25,15.12 लाख, ₹ 4,64,45.00 लाख, ₹ 3,83,12.26 लाख तथा ₹ 5,65,17.49 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 41.41 प्रतिशत से 55.52 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	17,70.02	8,21.31	8,18.79
पु.	- 9,48.71		- 2.52

31 मार्च 2021 को ₹ 9,48.71 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

211. पुलिस आवास  
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से  
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	1,41.60	25.71	25.71	..
पु.	- 1,15.89			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,15.89 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	24,34.05		
		7,65.84	7,62.33
			- 3.51
पु .	- 16,68.21		
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू .	9,12.72		
		2,87.20	2,85.88
			- 1.32
पु .	- 6,25.52		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 22,93.73 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	16,56.12		
		15,17.72	14,96.09
			- 21.63
पु .	- 1,38.40		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,38.40 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, जिसके तथा ₹ 21.63 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं-सामान्य प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	10,48.15		
		8,15.87	8,15.80
			- 0.07
पु .	- 2,32.28		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,32.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			



## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू .	34,00.00		
पु .	- 14,29.16	19,70.84	19,70.84
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 14,29.16 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू .	5,00.00		
पु .	- 5,00.00	..	..
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू .	1,25,40.39		
पु .	- 68,43.07	56,97.32	56,88.87
			- 8.45

31 मार्च 2021 को ₹ 68,43.07 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 8.45 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[06] न्याय प्रशासन विभाग			
मू .	8,84.96		
पु .	- 1,20.26	7,64.70	7,64.66
			- 0.04

31 मार्च 2021 को ₹ 1,20.26 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेलें)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	11,44.16		
पु.	- 7,59.85	3,84.31	3,82.83
			- 1.48
31 मार्च 2021 को ₹ 7,59.85 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	56,87.04		
पु.	- 28,01.06	28,85.98	28,85.98
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 28,01.06 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[02] गृह रक्षा विभाग			
मू.	7,19.47		
पु.	- 3,19.47	4,00.00	4,00.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,19.47 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)			
मू.	4,42.48		
पु.	- 2,74.11	1,68.37	1,58.20
			- 10.17
31 मार्च 2021 को ₹ 2,74.11 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[02] पंजीयक, सहकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	1,58.40	..	..
पु.	- 1,58.40	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,58.40 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग)			
मू.	5,30.97	1,40.09	1,35.18
पु.	- 3,90.88		- 4.91
31 मार्च 2021 को ₹ 3,90.88 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)			
मू.	4,83.94	2,64.12	2,64.12
पु.	- 2,19.82		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,19.82 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू.	14,02.06	10,97.54	10,97.54
पु.	- 3,04.52		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,04.52 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)			
मू.	2,36.01	1.86	1.61
पु.	- 2,34.15		- 0.25
31 मार्च 2021 को ₹ 2,34.15 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)			
मू.	9,58.96		
पु.	- 6,44.74	3,14.22	3,14.22
31 मार्च 2021 को ₹ 6,44.74 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	2,51.42		
पु.	- 1,63.11	88.31	87.90
31 मार्च 2021 को ₹ 1,63.11 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 0.41
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(36) कार्मिक विभाग का निर्माण कार्य (सचिवालय)			
मू.	4,05.81		
पु.	- 2,32.19	1,73.62	1,73.62
31 मार्च 2021 को ₹ 2,32.19 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)			
मू.	3,63.72		
पु.	- 1,23.10	2,40.62	2,40.62
31 मार्च 2021 को ₹ 1,23.10 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(47) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन)			
मू.	1,14.90		
पु.	- 1,14.90	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,14.90 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)			
मू .	3,55.30		
	79.84	79.84	..
पु .	- 2,75.46		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,75.46 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	6,08.51		
	1,91.46	1,90.58	- 0.88
पु .	- 4,17.05		
31 मार्च 2021 को ₹ 4,17.05 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	10,61.95		
	4,95.49	4,95.49	..
पु .	- 5,66.46		
31 मार्च 2021 को ₹ 5,66.46 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	1,76.99		
	36.50	34.81	- 1.69
पु .	- 1,40.49		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,40.49 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
001. निदेशन और प्रशासन (चिकित्सा शिक्षा)			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,20.00	..	..
पु.	- 4,20.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 4,20.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,46.95	2.06	0.51
पु.	- 3,44.89	-	1.55

31 मार्च 2021 को ₹ 3,44.89 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,03.55	6,03.44	5,09.29
पु.	- 0.11	-	94.15

₹ 94.15 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,53.60	4,37.00	4,37.00
पु.	- 8,16.60	-	..

31 मार्च 2021 को ₹ 8,16.60 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105. एलोपैथी (05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर [90] निर्माण कार्य	मू. 7,59.67 पु. - 1,77.80	5,81.87	5,81.70 - 0.17
31 मार्च 2021 को ₹ 1,77.80 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105. एलोपैथी (11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय [90] निर्माण कार्य	मू. 4,79,35.00 पु. - 3,61,74.20	1,17,60.80	1,17,60.80 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,61,74.20 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,15,79.36 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 45,94.84 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03. पिछड़े वर्गों का कल्याण 277. शिक्षा (01) छात्रावास भवन निर्माण [90] निर्माण कार्य	मू. 1,77.00 पु. - 1,68.15	8.85	8.85 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,68.15 लाख का प्रावधान अपर्याप्त भूमि आंवटन तथा निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02. समाज कल्याण 102. बाल कल्याण (01) भवन [90] निर्माण कार्य	मू. 1,12.39 पु. - 1,10.38	2.01	2.00 - 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 1,10.38 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	3,74.17		
पु .	- 1,74.66	1,99.51	1,99.51 ..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,74.66 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	13,31.75		
पु .	27,32.08	40,63.83	40,63.83 ..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,32.08 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	1,06.54		
पु .	2,15.56	3,22.10	3,25.11 + 3.01

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,15.56 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	46,77.17		
पु .	12,34.28	59,11.45	59,11.45 ..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,34.28 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



अनुदान संख्या 019 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	2,65.49	4,53.33	4,53.33
पु .	1,87.84		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,87.84 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 020 - आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास  
पूंजी - 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	74,55,34	74,55,34	57,85,73	- 16,69,61
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
16,69,25				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
1				

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	79,50,01	79,50,04	32,43,15	- 47,06,89
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
47,06,74				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:****राजस्व****दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	16,05.05	12,44.34	..
पु.	- 3,60.71		

₹ 3,60.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(07) राजस्व विभाग के रिहायशी भवन-प्रतिबद्ध			
मू.	1,50.00	47.72	47.72
पु.	- 1,02.28		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,02.28 लाख का प्रावधान राजस्व विभाग के रिहायशी भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

05. साधारण पूल आवास  
053. रख रखाव तथा मरम्मत  
(08) पुलिस विभाग के रिहायशी भवन-प्रतिबद्ध

मू.	25,00.00	12,31.34	12,31.31	- 0.03
पु.	- 12,68.66			

31 मार्च 2021 को ₹ 12,68.66 लाख का प्रावधान पुलिस विभाग के रिहायशी भवन की मरम्मत एवं रख रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 10,84.61 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,84.05 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## पूँजी

## दत्तमत

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 8,36.59 लाख, ₹ 14,69.95 लाख, ₹ 8,99.43 लाख, ₹ 63,58.60 लाख तथा ₹ 47,06.89 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट का 35.50 प्रतिशत से 70.66 प्रतिशत तक रही। निरन्तर बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	53,09.73	12,28.24	12,28.24
पु.	- 40,81.49		..

31 मार्च 2021 को ₹ 40,81.49 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों की धीमी गति होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 38,46.55 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,34.94 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 020 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,24.77	98.26	98.26
पु.	- 3,26.51		..
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,59.30	36.84	36.85
पु.	- 1,22.46		+ 0.01

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 4,48.97 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(11) III एवं IV क्षेत्रों के आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,21.24	91.95	91.95
पु.	- 1,29.29		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,29.29 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 021 – सड़कों एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3054. सड़क तथा सेतु  
 पूंजी – 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	27,45,23,29			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		27,45,23,29	15,57,08,97	- 11,88,14,32
<b>प्रभारित</b>				
मूल	10,00			
अनुपूरक	1,18,36			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		1,28,36	1,00,30	- 28,06
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	42,38,47,54			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		42,38,47,54	29,43,41,19	- 12,95,06,35
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				

1. ₹ 11,88,14.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 12,85,37.89 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
2. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 1,43,84.87 लाख, ₹ 3,17,66.53 लाख, ₹ 3,06,30.27 लाख, ₹ 3,74,61.39 लाख तथा ₹ 11,88,14.32 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.98 प्रतिशत से 43.28 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु 03. राजकीय राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (01) संधारण एवं जीर्णोद्धार [01] सड़कों का संधारण-प्रतिबद्ध			
मू .	1,33,19.50	1,08,00.51	1,08,15.25
पु .	- 25,18.99		
			+ 14.74

31 मार्च 2021 को ₹ 25,18.99 लाख का प्रावधान मजदूरी, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 14.74 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

03. राजकीय राजमार्ग  
337. सड़क निर्माण कार्य  
(04) विश्व बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना  
[02] आधुनिकीकरण

मू .	2,12.00	7.99	7.99
पु .	- 2,04.01		
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,04.01 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
800. अन्य व्यय  
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार  
[01] जिला सड़कें-प्रतिबद्ध

मू .	77,07.50	64,92.31	64,94.89
पु .	- 12,15.19		
			+ 2.58

31 मार्च 2021 को ₹ 12,15.19 लाख का प्रावधान मजदूरी, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
800. अन्य व्यय  
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार  
[03] अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	3,00.00	1,58.74	1,58.74
पु .	- 1,41.26		
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,41.26 लाख का प्रावधान त्योंहारों तथा प्रदर्शनियों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू.	2,71,97.40		
पु.	- 21,66.71		
		2,50,30.69	2,50,93.06 + 62.37
31 मार्च 2021 को ₹ 21,66.71 लाख का प्रावधान मजदूरी, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 62.37 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[05] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (आधुनिकीकरण)			
मू.	6,26.69		
पु.	- 5,81.06		
		45.63	45.63 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,81.06 लाख का प्रावधान विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
मू.	10,00.00		
पु.	- 3,44.20		
		6,55.80	6,55.80 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,44.20 लाख का प्रावधान कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) महानगरीय सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार-प्रतिबद्ध			
मू.	13,53.21		
पु.	- 3,25.43		
		10,27.78	10,27.78 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,25.43 लाख का प्रावधान मजदूरी, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण			
मू.	14,00,00.00		
		10,11,46.00	10,11,46.00
पु.	- 3,88,54.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 3,88,54.00 लाख का प्रावधान राज्य सड़क विकास निधि को अनुमान से कम निधियों के अन्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)			
मू.	6,50,00.00		
		..	..
पु.	- 6,50,00.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित (₹ 6,47,49.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,50.16 लाख) किया गया। यद्यपि, 2020-21 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के ₹ 1,41,80.90 लाख प्राप्त हुए लेकिन निधि को राशि स्थानान्तरित नहीं की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
107. रेल सुरक्षा निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार-प्रतिबद्ध			
मू.	1,00.00		
		2,99.99	2,99.99
पु.	1,99.99		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



**अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)**

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
(100% केन्द्र)			
[02] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू .	1,73,49.00	..	96,43.88 + 96,43.88
पु .	- 1,73,49.00		

₹ 1,73,49.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रुझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी तथा बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

31 मार्च 2021 को ₹ 1,73,49.00 लाख का समस्त प्रावधान सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा व्यय नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा रखरखाव के तहत ₹ 96,43.88 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 96,43.88 लाख का व्यय बिना प्रावधान दर्शाता है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**6. केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:-** मोटर स्ट्रिट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 1,41,80.90 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ किन्तु केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण नहीं किया गया। वर्ष के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर मात्र ₹ 1,40,79.09 लाख व्यय हुए तथा निधि से पूरित किये गये।

31 मार्च 2021 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 13,70.57 लाख का शेष था।

2020-21 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2020-21 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

## पूँजी

### दत्तमत

- ₹ 12,95,06.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 13,20,40.80 लाख का अभ्यर्षण अत्यधिक था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 12,63,40.86 लाख, ₹ 1,86,88.73 लाख, ₹ 9,03,75.53 लाख, ₹ 4,59,97.12 लाख तथा ₹ 12,95,06.35 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.49 प्रतिशत से 36.45 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) भूमि अवाप्ति का भुगतान			
मू .	3,03.94		
पु .	- 1,92.72	1,11.22	1,11.11
			- 0.11
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू .	4,46,48.50		
पु .	- 3,35,46.18	1,11,02.32	1,11,02.32
			..
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(10) निजी जनसहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू .	6,07.88		
पु .	- 3,21.95	2,85.93	2,85.93
			..
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण			
[01] एन.सी.आर. सड़क का निर्माण कार्य			
मू .	88,61.29		
पु .	- 17,85.91	70,75.38	70,75.38
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 3,58,46.76 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

03. राज्य राजमार्ग  
337. सड़क निर्माण कार्य  
(17) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II विश्व बैंक  
[01] सड़क सुरक्षा प्रबंधन

मू .	2,78.40		
पु .	- 2,78.40	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,78.40 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[01] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,94,16.29		
पु.	- 78,46.24	1,15,70.05	1,15,70.05
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	30,39.38		
पु.	- 22,88.07	7,51.31	7,51.31
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,01,34.31 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	7,38,56.95		
पु.	- 4,21,66.83	3,16,90.12	3,16,90.12
31 मार्च 2021 को ₹ 4,21,66.83 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,30,95.29 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,90,71.54 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) शहरी सड़कें			
मू.	3,03.94		
पु.	- 1,05.45	1,98.49	1,98.49
31 मार्च 2021 को ₹ 1,05.45 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,68,06.46		
पु.	- 1,63,03.27		
		3,05,03.19	3,05,58.76
			+ 55.57
31 मार्च 2021 को ₹ 1,63,03.27 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, जिसके तथा ₹ 55.57 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	37,44.52		
पु.	- 16,81.57		
		20,62.95	20,73.01
			+ 10.06
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	9,36.13		
पु.	- 4,20.39		
		5,15.74	5,18.25
			+ 2.51
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	14,04.19		
पु.	- 6,30.58		
		7,73.61	7,77.38
			+ 3.77
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 27,32.54 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 16.34 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़के			
मू.	7,11,24.50		
पु.	- 3,06,07.50		
		4,05,17.00	4,05,17.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,06,07.50 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,82,36.28		
पु.	- 1,22,22.72	60,13.56	60,13.56
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,22,22.72 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	14,58.90		
पु.	- 9,77.14	4,81.76	4,81.76
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,64.73		
पु.	- 2,44.29	1,20.44	1,20.44
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	5,47.09		
पु.	- 3,66.43	1,80.66	1,80.66
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 15,87.86 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,46,26.33		
पु.	- 28,92.37	1,17,33.96	1,17,34.48
			+ 0.52

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू .	54,84.89		
पु .	- 10,84.65	44,00.24	44,00.43
80. सामान्य			+ 0.19
800. अन्य व्यय			
(01) मशीने और उपकरण			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	36,56.63		
पु .	- 7,23.14	29,33.49	29,33.62
			+ 0.13

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 47,00.16 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) निर्माण			
मू .	91,18.14		
पु .	19,71.85	1,10,89.99	1,10,89.99
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,71.85 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान			
मू .	60,78.76		
पु .	28,36.50	89,15.26	89,17.38
			+ 2.12

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,36.50 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	2,00,59.91	2,45,62.47	2,45,62.47
पु .	45,02.56		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,02.56 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू .	2,95,85.21	3,85,94.61	3,92,24.95 + 6,30.34
पु .	90,09.40		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90,09.40 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 6,30.34 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू .	5,30.97	23,72.78	23,72.78
पु .	18,41.81		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,41.81 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] सड़क उन्नयन परियोजना (द्विविंशतित्मः)			
मू .	3,03.94	4,22.62	4,22.62
पु .	1,18.68		..

**अनुदान संख्या 021 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[20] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	24,64.78		
		89,06.16	89,08.71
			+ 2.55
पु .	64,41.38		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65,60.06 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज			
01. सड़क तथा पुल			
800. अन्य कर्ज			
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज			
[02] राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड			
मू .	0.01		
		21,06.13	21,06.13
			..
पु .	21,06.12		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,06.12 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को ऋण जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू .	42,00.00		
		..	16,65.01
			+ 16,65.01
पु .	- 42,00.00		

₹ 42,00.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

31 मार्च 2021 को ₹ 42,00.00 लाख का समस्त प्रावधान सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा व्यय नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण के अन्तर्गत ₹ 16,65.01 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 16,65.01 लाख का व्यय बिना प्रावधान दर्शाता है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



### अनुदान संख्या 022 – क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और

2705. कमान क्षेत्र विकास

पूंजी – 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	23,36,93	23,36,93	18,82,40	- 4,54,53
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4,54,34
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,04,55,92	2,04,55,94	1,24,50,86	- 80,05,08
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				79,72,68
<b>प्रभारित</b>				
मूल	6	2,10	2,06	- 4
अनुपूरक	2,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4

**अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)**

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत (अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) मेवात विकास बोर्ड			
[01] मुख्यालय			
मू.	59.00	..	..
पु.	- 59.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 59.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2018-19 तथा 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

02. पिछड़े क्षेत्र			
105. मगरा क्षेत्र का विकास			
(01) मगरा विकास बोर्ड			
[01] मुख्यालय			
मू.	96.00	22.78	22.78
पु.	- 73.22		..

31 मार्च 2021 को ₹ 73.22 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2705. कमान क्षेत्र विकास			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	5,06.73	4,21.49	4,21.49
पु.	- 85.24		..

₹ 85.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2705. कमान क्षेत्र विकास			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[03] कृषि प्रसार-प्रतिबद्ध			
मू.	5,73.49	4,62.01	+ 0.01
पु.	- 1,11.48	4,62.02	

31 मार्च 2021 को ₹ 1,11.48 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं करने तथा जिला कार्यालय, बून्दी में वेतन एरियर का भुगतान नहीं होने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 59.57 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 51.91 लाख) किया गया।

107. गंग नहर परियोजना  
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से  
[01] निदेशन तथा प्रशासन

मू.	4,62.03	4,04.88	4,04.72	- 0.16
पु.	- 57.15			

₹ 57.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 80,05.08 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 32.40 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 37,12.97 लाख, ₹ 75,17.58 लाख, ₹ 1,21,80.83 लाख, ₹ 1,36,67.04 लाख तथा ₹ 80,05.08 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.56 प्रतिशत से 50.99 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत के कारणों में से एक भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति रहा।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डंग जिले			
101. डंग क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	3,69.00	..	..
पु.	- 3,69.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 3,69.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	4,05.00		
पु.	- 2,75.00	1,30.00	1,30.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,75.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
800. अन्य व्यय			
(02) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	70,12.00		
पु.	- 45,40.00	24,72.00	24,72.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 45,40.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 40,65.36 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,74.64 लाख) किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र का विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	42,56.00		
पु.	- 25,22.30	17,33.70	17,33.70
			..
₹ 25,22.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
108. भाखरा सिंचाई परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (भाखरा सिंचाई परियोजना)			
मू.	8,25.36		
पु.	- 1,93.16	6,32.20	6,26.43
			- 5.77
31 मार्च 2021 को ₹ 1,93.16 लाख का प्रावधान (i) (अ) कर्मचारियों/अधिकारियों का हस्तान्तरण, (ब) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्ते पर कम व्यय हुआ तथा (ii) बकाया देनदारियों का भुगतान कम हुआ क्योंकि विभाग के विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन कुछ कार्यों के संबंध में अंतिम समय विस्तार की स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 5.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 022 – (समाप्त)**

4. **मण्डी विकास निधि** – चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में *मण्डी विकास निधि* स्थापित की गयी थी।

यह निधि जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2021 को निधि में जमा शेष ₹ 4.67 लाख था जो कि वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

**अनुदान संख्या 023 – श्रम तथा रोजगार**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास तथा  
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	12,12,28,57			
अनुपूरक	..	12,12,28,57	10,39,93,61	– 1,72,34,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,72,29,10
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4			
अनुपूरक	..	4	..	– 4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	15,80,81			
अनुपूरक	10,19,19	26,00,00	6,27,80	– 19,72,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				19,72,20

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास				
01. श्रम				
101. औद्योगिक सम्बन्ध				
(03) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू .	9,52.56			
पु .	– 2,54.94	6,97.62	6,96.25	– 1.37

31 मार्च 2021 को ₹ 2,54.94 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
102. कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा			
(02) निर्माणियों के निरीक्षक			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	12,08.91		
पु .	- 1,28.68	10,80.23	10,80.23
₹ 1,28.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
01. श्रम			
103. सामान्य श्रम कल्याण			
(07) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान-प्रतिबद्ध			
मू .	5,00,00.00		
पु .	- 87,18.14	4,12,81.86	4,12,81.86
31 मार्च 2021 को ₹ 87,18.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 52,67.55 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 34,50.59 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(11) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू .	4,36,19.46		
पु .	- 83,83.69	3,52,35.77	3,52,35.77
31 मार्च 2021 को ₹ 83,83.69 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी से आर्थिक असंतुलन के कारण मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत केवल नौ माह के बेरोजगारी भत्ते के भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(08) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
[01] शिल्प प्रशिक्षण योजना-प्रतिबद्ध			
मू .	1,20,80.01		
पु .	- 19,74.76	1,01,05.25	1,01,05.25
₹ 19,74.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण होने से पदों के रिक्त रहने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगने के कारण प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन नहीं होने को आरोपित की गई।			..

## अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
03. प्रशिक्षण			
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
(04) स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फॉर इण्डस्ट्रीयल वैल्यू एन्हेसमेंट)			
[01] कौशल संवर्धन			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से राज्य सरकार को निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इस योजना में केन्द्र सरकार का 100 प्रतिशत अंशदान है। योजना में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा गठित विभागीय सोसायटी (रिसर्च सेंटर फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग) के बैंक खाते में ट्रांसफर कर व्यय करने का प्रावधान किया गया। चूंकि वेतन शीर्ष में आवंटित राशि को वेतन बिलों के माध्यम से सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित करना संभव नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] आई.ई.सी. एक्टीविटीज			

मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)			
[01] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)			
मू.	0.01	8,24.00	8,24.00
पु.	8,23.99	..	..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,23.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।



## अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) संकल्प योजना			
[01] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)			
मू.	0.02	13,27.53	13,27.53
पु.	13,27.51		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,27.51 लाख की अतिरिक्त निधियां संकल्प योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू.	17,64.55	21,89.55	21,89.58 + 0.03
पु.	4,25.00		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,25.00 लाख की अतिरिक्त निधियां नई भर्ती तथा स्थानान्तरण द्वारा 207 रिक्त पदों को भरने से वेतन तथा भत्तों पर बड़े व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(05) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.			
मू.	4,32.85	5,33.48	5,33.47 - 0.01
पु.	1,00.63		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.63 लाख की अतिरिक्त निधियां नई भर्ती तथा स्थानान्तरण द्वारा 46 रिक्त पदों को भरने से वेतन तथा भत्तों पर बड़े व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	11,63.39	13,16.54	13,16.54
पु.	1,53.15		..
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	25,89.50	29,30.36	29,30.36
पु.	3,40.86		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,94.01 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां अधिक प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 10,19.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 25,72.90 लाख, ₹ 27,45.44 लाख, ₹ 7,11.38 लाख, ₹ 31,43.96 लाख तथा ₹ 19,72.20 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 40.26 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों का निष्पादन अनुमान से कम होने के कारण बतायी गयी।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	------------------------------	-------------------

4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
203. रोजगार  
(04) प्रशिक्षण  
[01] संयंत्र एवं उपकरण

मू.	5,80.80	..	..
पु.	- 5,80.80	..	..

₹ 5,80.80 लाख का प्रावधान रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मशीनरी और उपकरणों की खरीद तथा नए आईटीआई की स्थापना के लिए मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2021 को ₹ 5,80.80 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विभाग बंद होने से मशीनरी और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में देरी तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए खरीद पर प्रतिबंध लगाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा खरीद पर प्रतिबंध में छूट के बाद, फर्मों द्वारा कमियों को पूरा नहीं करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।

2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

203. रोजगार  
(10) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.  
[01] संयंत्र एवं उपकरण

मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में नये आई.टी.आई. की स्थापना के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2021 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विभाग बंद होने से मशीनरी और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में देरी तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए खरीद पर प्रतिबंध लगाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा खरीद पर प्रतिबंध में छूट के बाद, फर्मों द्वारा कमियों को पूरा नहीं करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।

2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

## अनुदान संख्या 023 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(15) स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेन्थिंग फॉर इण्डस्ट्रीयल वैल्यू एन्हेसमेंट)			
[01] कौशल संवर्धन			
मू .	8,99.98		
अ.	10,19.19	6,27.80	..
पु .	- 12,91.37		

मार्च, 2021 में ₹ 10,19.19 लाख का अनुपूरक अनुदान कौशल संवर्धन के लिए निर्माण कार्य तथा मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

31 मार्च 2021 को ₹ 12,91.37 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 024 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,  
2202. सामान्य शिक्षा,  
2203. तकनीकी शिक्षा,  
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और  
2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और  
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,20,96,19,31	3,20,96,19,37	2,97,12,30,01	– 23,83,89,36
अनुपूरक	6			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,00,18	3,23,68	2,52,51	– 71,17
अनुपूरक	2,23,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,01,94,40	11,14,21,27	9,16,28,49	– 1,97,92,78
अनुपूरक	1,12,26,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				

1. ₹ 23,83,89.36 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3,59.57 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) सामान्य व्यय-निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	18,61.47	16,22.00	16,20.91
पु.	- 2,39.47		

₹ 2,39.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने के कारण आरोपित की गयी।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
- (01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय

मू.	6,95.02	4,60.50	4,60.35
पु.	- 2,34.52		

31 मार्च 2021 को ₹ 2,34.52 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने से अभ्यर्पित किया गया क्योंकि योजना शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत पदों को प्रतिबद्ध शीर्षों को स्थानान्तरित किया गया।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
- (03) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय-प्रतिबद्ध

मू.	1,38,29.64	1,02,42.38	1,02,42.19
पु.	- 35,87.26		

31 मार्च 2021 को ₹ 35,87.26 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
- (05) प्राथमिक पाठशालाएं (निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से)-प्रतिबद्ध

मू.	1,93,96.35	1,72,18.48	1,72,20.91
पु.	- 21,77.87		

₹ 21,77.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयीं, परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद भी, नवनियुक्त शिक्षकों की पूरी वेतन आहरित नहीं किये जाने, आश्वसित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) तथा अवकाश के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में बकाया का भुगतान नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(07) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
[01] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	26,20.35	20,41.77	20,41.56
पु .	- 5,78.58		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(08) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
[01] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	19,93.03	16,45.31	16,45.31
पु .	- 3,47.72		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 9,26.30 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
104. निरीक्षण			
(01) सामान्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	7,58.27	5,02.87	5,02.87
पु .	- 2,55.40		
₹ 2,55.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने के कारण आरोपित की गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(02) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)			
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार			
मू .	4,06,00.00	32,50.00	32,50.00
पु .	- 3,73,50.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,73,50.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी किये जाने कारण अभ्यर्पित (₹ 77,12.17 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,96,37.83 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा पर व्यय-सामान्य			
मू.	62,12,00.00	51,22,01.57	51,21,92.84
पु.	- 10,89,98.43		
			- 8.73

₹ 10,89,98.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (ii) मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने, (iii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (iv) राज्य सरकार के आदेशानुसार व्यय में 30 प्रतिशत की कटौती करने से यात्रा शुल्क के तहत व्यय कम किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 8.73 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 8.38 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डी आई ई टी) पर व्यय			
मू.	44,26.00	38,81.08	38,81.09
पु.	- 5,44.92		
			+ 0.01

₹ 5,44.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने के कारण आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	2,00,07.00	49,62.72	49,62.55
पु.	- 1,50,44.28		
			- 0.17
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	30,00.20	9,17.62	9,17.62
पु.	- 20,82.58		
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,71,26.86 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि योजना शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत पदों को प्रतिबद्ध शीर्षों को स्थानान्तरित किया गया।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू .	88,00.20		
पु .	- 65,05.55	22,94.65	22,94.40
			- 0.25

₹ 65,05.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि योजना शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत पदों को प्रतिबद्ध शीर्षों को स्थानान्तरित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[02] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,23,49.03		
पु .	- 19,54.52	1,03,94.51	1,03,89.55
			- 4.96

₹ 19,54.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने के कारण आरोपित की गयी।

₹ 4.96 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 4.85 लाख जमा कराने के कारण रही ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(14) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
[01] विद्यालय संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	20,39,10.00		
पु .	- 5,66,60.32	14,72,49.68	14,72,49.68
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 5,66,60.32 लाख का प्रावधान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निजी निक्षेप खाते में अवशेष राशि की उपलब्धता एवं राज्य सरकार द्वारा व्यय में 30 प्रतिशत कटौती के आदेश की अनुपालना में यात्रा शुल्क के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,50.32 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,65,10.00 लाख) किया गया ।

02. माध्यमिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) सामान्य व्यय निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	65,48.82		
अ .	0.01	48,68.53	48,58.75
पु .	- 16,80.30		- 9.78

₹ 16,80.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी ।

₹ 9.78 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 9.57 लाख जमा कराने के कारण रही ।



## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) साधारण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	65,09.92		
		43,82.35	43,78.93
			- 3.42
पु.	- 21,27.57		

31 मार्च 2021 को ₹ 21,27.57 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
107. छात्रवृत्तियां  
(16) सैनिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियां  
[01] सैनिक स्कूलें

मू.	2,13.93			
		1,02.50	1,02.50	..
पु.	- 1,11.43			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,11.43 लाख का प्रावधान सैनिक स्कूल झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ के छात्रों को देय छात्रवृत्ति में संशोधन नहीं करने करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय  
(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में  
अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकल वितरण

मू.	77,50.00			
		29,67.11	29,67.11	..
पु.	- 47,82.89			

31 मार्च 2021 को ₹ 47,82.89 लाख का प्रावधान 2020-21 के दौरान साइकिल का निःशुल्क वितरण की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, वर्ष के दौरान केवल 2019-20 के बकाया का भुगतान किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय  
(20) गार्गी पुरस्कार

मू.	35,00.00			
		4,50.68	4,50.68	..
पु.	- 30,49.32			

31 मार्च 2021 को ₹ 30,49.32 लाख का प्रावधान मुख्यतः गार्गी पुरस्कार योजनान्तर्गत 2020-21 के दौरान राज्य निधि की योजनाओं के स्थगित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(23) लेपटॉप वितरण			
मू.	33,12.00	..	..
पु.	- 33,12.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 33,12.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य निधि योजनाओं के स्थगित होने से लेपटॉप क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(28) बालिका विद्यालय			
[01] बालिका विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	13,78,23.78	12,24,42.04	12,24,25.67
पु.	- 1,53,81.74		- 16.37
31 मार्च 2021 को ₹ 1,53,81.74 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप वेतन तथा भत्तों पर कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 16.37 लाख की अंतिम बचत मुख्यतः राजकीय खाते में ₹ 14.67 लाख जमा कराने के कारण रही।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(29) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	31,50.00	5,17.68	5,17.68
पु.	- 26,32.32		..
31 मार्च 2021 को ₹ 26,32.32 लाख का प्रावधान कम्प्यूटर से सम्बन्धित खरीद के लिए बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(30) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरुस्कार			
[02] प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू.	3,25.00	7.59	7.59
पु.	- 3,17.41		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,17.41 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य निधि योजनाओं के स्थगित होने से स्कूटी क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) सैनिक स्कूल			
[01] सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ को सहायता			
मू .	4,50.00	1,00.00	1,00.00
पु .	- 3,50.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ की बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[04] विकलांग एकीकृत शिक्षा			
मू .	17,99.98	15,09.11	15,09.10
पु .	- 2,90.87		- 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 2,90.87 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण			
[01] उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान			
मू .	5,52.09	3,98.26	3,98.26
पु .	- 1,53.83		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,53.83 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण			
[04] अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी ई)			
मू .	7,40.00	..	..
पु .	- 7,40.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 7,40.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001. निदेशन और प्रशासन			
(02) निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	17,87.32		
		16,02.36	16,02.36
पु .	- 1,84.96		..
₹ 1,84.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(03) सुखाडिया विश्वविद्यालय को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू .	55,00.01		
		48,00.00	48,00.00
पु .	- 7,00.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 7,00.01 लाख का प्रावधान वेतन के लिए सहायतार्थ अनुदान आवश्यकतानुसार जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(04) कोटा ओपन विश्वविद्यालय को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू .	9,00.00		
		2,25.00	2,25.00
पु .	- 6,75.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 6,75.00 लाख का प्रावधान गत वर्ष के बची हुई अनुदान का समायोजन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(05) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू .	5,95.01		
		..	..
पु .	- 5,95.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,95.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	3,41.17		
पु.	- 3,04.64	36.53	36.53
31 मार्च 2021 को ₹ 3,04.64 लाख का प्रावधान राजस्थान मंत्र स्थापना के लिए मशीनरी की खरीद न होने तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(08) कोटा विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	1,35.00		
पु.	- 1,01.25	33.75	33.75
31 मार्च 2021 को ₹ 1,01.25 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का कम उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(11) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को अनुदान			
मू.	4,00.00		
पु.	- 4,00.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुदान का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(12) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को अनुदान			
मू.	4,80.00		
पु.	- 2,92.50	1,87.50	1,87.50
31 मार्च 2021 को ₹ 2,92.50 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान का उपयोग करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(14) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान			
मू.	29,00.00		
पु.	- 22,35.00	6,65.00	6,65.00
₹ 22,35.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान के उपयोग को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(17) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
[01] जगतगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू .	8,50.01	3,80.00	3,80.00
पु .	- 4,70.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,70.01 लाख का प्रावधान कोविड-19 के कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(03) राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए)			
मू .	38,06.66	32,91.19	32,90.72
पु .	- 5,15.47		- 0.47
₹ 5,15.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(10) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	4,00.00	95.77	95.77
पु .	- 3,04.23		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,04.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू .	29,71.88	5,49.33	5,49.33
पु .	- 24,22.55		..
31 मार्च 2021 को ₹ 24,22.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(12) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय			
[02] बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,60.05	4,85.89	4,85.45
पु.	- 1,74.16		- 0.44
31 मार्च 2021 को ₹ 1,74.16 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(14) राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिये)			
[01] राजकीय महाविद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,81,84.27	1,62,12.52	1,62,12.50
पु.	- 19,71.75		- 0.02
₹ 19,71.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(02) महाविद्यालय को अनुदान			
मू.	1,00.01	..	..
पु.	- 1,00.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,00.01 लाख का समस्त प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों सृजन के लिए अनुदान का उपयोग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(04) निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा द्वारा			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	8,19.31	6,66.83	6,66.81
पु.	- 1,52.48		- 0.02
31 मार्च 2021 को ₹ 1,52.48 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः नयी योजना पढ़ना लिखना अभियान से सम्बन्धित पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा योजना दिसम्बर, 2020 में शुरू की गयी थी।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(08) निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	13,17.81	11,26.15	11,26.13
पु .	- 1,91.66		- 0.02
₹ 1,91.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं करने क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(09) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	30,29.56	22,74.31	22,74.31
पु .	- 7,55.25		..
₹ 7,55.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं करने, पदों के रिक्त रहने तथा विभागीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य एवं प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ जारी नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(10) संस्कृत विद्यालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,74,22.08	1,53,29.48	1,53,32.56
पु .	- 20,92.60		+ 3.08
₹ 20,92.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) कर्मचारियों की पदोन्नति/अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण होने, (iii) नवनियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण पूर्ण वेतन आहरित नहीं किये जाने तथा (iv) आश्वासित कैरियर प्रगति (ए सी पी) के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(04) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय (प्राथमिक स्तर)			
[01] प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	23,43.22	16,13.88	16,11.70
पु .	- 7,29.34		- 2.18
31 मार्च 2021 को ₹ 7,29.34 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (ii) मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने तथा (iii) आठवीं बोर्ड परीक्षा स्थगित होने से मानदेय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	8,12.40	6,20.97	6,20.98
पु.	- 1,91.43		+ 0.01

₹ 1,91.43 लाख की अप्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) (अ) तकनीकी शिक्षा बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण होने, (ब) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (स) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित नहीं करने के कारण विभाग की विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

102. तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता  
(07) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को अनुदान

मू.	3,70.00	1,80.00	1,80.00	..
पु.	- 1,90.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,90.00 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

102. तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता  
(09) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा  
[01] राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान-प्रतिबद्ध

मू.	5,50.00	2,00.00	2,00.00	..
पु.	- 3,50.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान गत वर्ष की अनुदान के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

104. अराजकीय कालेजों तथा संस्थानों का सहायता  
(20) अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर  
[01] अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर को अनुदान

मू.	1,00.00	..	..	..
पु.	- 1,00.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान योजना/कार्य शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(02) राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति			
मू .	3,19.00	1,66.87	1,66.87
पु .	- 1,52.13		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,52.13 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(02) खेल विभाग-विविध खेल कार्यक्रम			
मू .	10,00.00	7,63.59	7,63.59
पु .	- 2,36.41		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,36.41 लाख का प्रावधान गत वर्ष की अनुदानों के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
101. व्यायाम शिक्षा			
(04) शारीरिक शिक्षा विद्यालय			
[01] शारीरिक शिक्षा विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	8,12.86	6,25.65	6,25.65
पु .	- 1,87.21		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,87.21 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों तथा मैस पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल केडेट कोर			
[02] छोटी शाखाएं-प्रतिबद्ध			
मू .	7,64.29	5,90.68	5,87.76
पु .	- 1,73.61		- 2.92
₹ 1,73.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल केडेट कोर			
[03] बड़ी शाखा-निदेशालय-प्रतिबद्ध			
मू .	25,08.65	21,05.73	21,02.42
पु .	- 4,02.92		- 3.31
₹ 4,02.92 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(03) राजस्थान भारत स्काउट्स और गाइड्स की सहायता अनुदान			
मू .	2,40.03	1,37.25	1,37.25
पु .	- 1,02.78		..
₹ 1,02.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(07) राज्य में सेना में भर्ती तैयारी हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा एवं प्रशिक्षण			
[01] महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी, सीकर का सहायता			
मू .	10,00.00	..	..
पु .	- 10,00.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य/योजना प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
104. खेल-कूद			
(01) राजस्थान स्पोर्ट्स कॉन्सिल को अनुदान			
मू .	13,73.80	4,00.00	4,00.00
पु .	- 9,73.80		..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,73.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
104. खेल-कूद			
(07) राजस्थान स्पोर्ट्स कॉन्सिल को अनुदान			
[01] राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू .	28,70.00	25,35.00	25,35.00
पु .	- 3,35.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,35.00 लाख का प्रावधान गत वर्ष की अनुदानों के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(03) संगीत नाटक अकादमी को प्रोत्साहन हेतु अनुदान			
मू .	1,45.01	35.00	35.00
पु .	- 1,10.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,10.01 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम, त्योहारों, सम्मेलनों, साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करने तथा अनुदान की सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(11) जवाहर कला केन्द्र			
मू .	6,75.00		
		2,15.00	2,15.00
पु .	- 4,60.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,60.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम, त्योहारों, सम्मेलनों, साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए जवाहर कला केन्द्र में कार्यों के निष्पादन नहीं होने के परिणामस्वरूप अनुदान सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(12) स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू .	1,90.00		
		28.56	28.56
पु .	- 1,61.44		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,61.44 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान की मंजूरी न देना तथा (ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम, त्योहारों, सम्मेलनों, साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करने कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(15) आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण-प्रतिबद्ध			
मू .	30,85.00		
		22,39.33	22,39.33
पु .	- 8,45.67		..
31 मार्च 2021 को ₹ 8,45.67 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा गैर-वेतन अनुदान की सीमा में कटौती करने, ठेकेदारों से बिल देरी से प्राप्त होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्मारकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(16) राजस्थान घरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू .	19,08.47		
		13,89.00	13,89.00
पु .	- 5,19.47		..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,19.47 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों की धीमी प्रगति, व्यय सीमा में कटौती और पिछले वर्षों की सहायता अनुदान की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(05) साधारण व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	15,49.23	13,87.63	13,87.64
पु.	- 1,61.60		+ 0.01

₹ 1,61.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण कुछ समये के लिये पदों के रिक्त रहने, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के एक कर्मचारी को पद मुक्त किया गया जो प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा था, वर्ष के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु से पद रिक्त रहने, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

103. पुरातत्व विज्ञान			
(06) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	15,36.23	7,56.37	7,56.37
पु.	- 7,79.86		..

31 मार्च 2021 को ₹ 7,79.86 लाख का प्रावधान मांडलगढ-भीलवाड़ा, मीनार-चुरु, जल महल-कुम्हेर, मठ एवं मंदिर-चणरासेल-कोटा एवं शिव मंदिर-ओसियां (जोधपुर) जैसे स्मारकों के कार्य पूर्ण होने पर अंतिम बिल प्राप्त नहीं होने तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में दिए गए नए कार्यों के बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(02) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के माध्यम से			
[01] पुस्तकालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	13,60.12	10,89.87	10,89.87
पु.	- 2,70.25		..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,70.25 लाख का प्रावधान 237 स्वीकृत पदों में से 103 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

107. संग्रहालय			
(01) संग्रहालय-प्रतिबद्ध			
मू.	9,72.12	7,61.62	7,61.61
पु.	- 2,10.50		- 0.01

₹ 2,10.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण होने, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (iii) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं होने तथा (iv) मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने के कारण आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(01) मिड डे मील			
[02] कार्यकलाप एवं गतिविधियां			
मू.	4,54,00.00	5,86,83.63	5,86,83.62
पु.	1,32,83.63		
			- 0.01

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,32,83.63 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
113. समग्र शिक्षा  
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा  
[04] राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर पर व्यय

मू.	10,15.01	12,75.45	12,75.45	..
पु.	2,60.44			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,60.44 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य सरकार द्वारा मैचिंग शेयर जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)  
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	1,29,93.41	1,75,85.54	1,75,71.76	- 13.78
पु.	45,92.13			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,92.13 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत पदों को प्रतिबद्ध शीर्षों में स्थानान्तरित करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 13.78 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 13.76 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
800. अन्य व्यय  
(14) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण-सामान्य व्यय

मू.	1,99,00.00	2,89,70.26	2,89,38.91	- 31.35
पु.	90,70.26			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90,70.26 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान आर टी ई पोर्टल पर शैक्षणिक वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित प्रथम/द्वितीय किशत की बकाया फीस के सत्यापन तथा उसके भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 31.35 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 30.81 लाख जमा कराने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण			
[01] माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा			
मू .	30,00.00		
पु .	17,95.90		
	47,95.90	47,95.90	..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,95.90 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों से सम्बन्धित वर्ष 2019-20 की बकाया राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(07) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू .	35,00.00		
पु .	29,20.36		
	64,20.36	63,16.22	- 1,04.14
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,20.36 लाख की अतिरिक्त निधियां अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्यांश जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,04.14 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 1,12.59 लाख जमा कराने के कारण रही ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(16) डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान			
मू .	0.03		
पु .	4,19.97		
	4,20.00	4,20.00	..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,19.97 लाख की अतिरिक्त निधियां विश्वविद्यालय को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू .	10,00.00		
पु .	3,38.32		
	13,38.32	13,11.81	- 26.51
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,38.32 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों का भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 26.51 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(05) पढना लिखाना अभियान			
[01] साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग के माध्यम से			
अ .	0.01		
		6,67.91	
पु .	6,67.90	6,67.91	..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,67.90 लाख की अतिरिक्त निधियां पढना लिखाना अभियान के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा राज्यांश जारी किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**प्रभारित**

- ₹ 71.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 2,23.50 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
- बचत (अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) साधारण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,00.00		
		22.55	
पु .	- 77.45	22.55	..

31 मार्च 2021 को ₹ 77.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 40.04 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 37.41 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**पूँजी**

**दत्तमत**

- मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,12,26.87 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 22,99.19 लाख, ₹ 1,44,02.96 लाख, ₹ 1,27,55.57 लाख, ₹ 1,05,98.52 लाख तथा ₹ 1,97,92.78 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.63 प्रतिशत से 49.82 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।



**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[02] प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	6,80.02		
		4,00.00	4,00.00
पु.	- 2,80.02		..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,80.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सामान्य शिक्षा  
202. माध्यमिक शिक्षा  
(14) मॉडल स्कूल  
[01] मॉडल स्कूल निर्माण कार्य

मू.	17,80.00		
		9,43.45	9,42.99
पु.	- 8,36.55		- 0.46

31 मार्च 2021 को ₹ 8,36.55 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. सामान्य शिक्षा  
202. माध्यमिक शिक्षा  
(15) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना  
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास

मू.	17,50.00		
		9,04.06	9,04.06
पु.	- 8,45.94		..

31 मार्च 2021 को ₹ 8,45.94 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. सामान्य शिक्षा  
202. माध्यमिक शिक्षा  
(17) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII के तहत निर्माण कार्य  
[01] माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण कार्य

मू.	30,00.00		
		15,00.00	15,00.00
पु.	- 15,00.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII के तहत कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(18) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	63,00.00	51,80.00	51,80.00
पु.	- 11,20.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 11,20.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के तहत कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(20) समग्र शिक्षा अभियान			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	4,20,00.00	2,64,56.76	2,64,56.76
पु.	- 1,55,43.24		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,55,43.24 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 59,47.55 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 95,95.69 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(06) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] भवन			
मू.	4,45.85	3,08.91	3,08.91
पु.	- 1,36.94		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,36.94 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(07) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	44,58.00	8,09.59	8,09.59
पु.	- 36,48.41		..
31 मार्च 2021 को ₹ 36,48.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	9,89.01	2,66.52	2,66.52
पु.	- 7,22.49		..

31 मार्च 2021 को ₹ 7,22.49 लाख का प्रावधान स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार निविदा प्राप्त नहीं होने से विद्यमान पॉलिटेक्निकों के उन्नयन एवं नवीन पॉलिटेक्निकों की स्थापना के अंतर्गत सामग्री की खरीद नही होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से -जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू.	2,86.72	1,20.00	1,20.00
पु.	- 1,66.72		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,66.72 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. कला तथा संस्कृति			
106. संग्रहालय			
(05) एस.एम.एस. टाउन हॉल तथा जलेब चौक में अन्तर्राष्ट्रीय म्यूजियम की स्थापना हेतु			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यकारी एजेंसी आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एस.एम.एस. टाउन हॉल एवं जलेब चौक में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय का काम शुरू नही होने कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(19) नाबाई आर आई डी एफ XXV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण			
मू.	1,00,00.00	2,50,00.00	2,50,00.00
अ.	1,12,26.85		..
पु.	37,73.15		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37,73.15 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(21) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निर्माण कार्य			
अ .	0.01		
		4,83.00	4,83.00
पु.	4,82.99		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,82.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(04) आई.आई.आई.टी. के निर्माण हेतु			
मू .	0.01		
		7,46.00	7,46.00
पु.	7,45.99		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,45.99 लाख की अतिरिक्त निधियां आई.आई.आई.टी. के निर्माण पर कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) सैनिक विद्यालय, चित्तोड़गढ़ को उधार			
अ .	0.01		
		3,60.00	3,60.00
पु.	3,59.99		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,59.99 लाख की अतिरिक्त निधियां पाठ्य पुस्तक मण्डल से सैनिक विद्यालय, चित्तोड़गढ़ द्वारा लिये उधार के पुर्नभुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 025 – कोषागार व लेखा प्रशासन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,15,12,86	3,15,12,86	2,75,60,43	- 39,52,43
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				39,46,69
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 39,52.43 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5.74 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन				
097. खजाना स्थापना				
(05) खजाना				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,75,49.12	1,52,22.76	1,52,22.91	+ 0.15
पु.	- 23,26.36			

₹ 23,26.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः यात्राओं, कार्यालय व्यय तथा पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 025 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(02) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण-प्रतिबद्ध			
मू.	25,92.17	22,21.41	22,21.10
पु.	- 3,70.76		
			- 0.31

31 मार्च 2021 को ₹ 3,70.76 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों, कार्यालय व्यय तथा कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

800. अन्य व्यय

(03) निदेशक, निरीक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	17,61.72	14,66.63	14,66.64
पु.	- 2,95.09		
			+ 0.01

₹ 2,95.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुल 298 स्वीकृत पदों में से 135 पदों (संयुक्त निदेशक, निजी सचिव, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी-1 तथा II, कनिष्ठ लेखाकार इत्यादि) के रिक्त रहने, (ii) समर्पित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया तथा (iii) कुछ कर्मचारियों को वेतन बकाया का भुगतान होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय

(04) राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन

परियोजना का सुदृढीकरण

(एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना)

[01] विश्व बैंक पोषित

मू.	23,07.00	9,47.84	9,47.85
पु.	- 13,59.16		
			+ 0.01

31 मार्च 2021 को ₹ 13,59.16 लाख का प्रावधान (i) वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय हुआ क्योंकि राज्य सरकार द्वारा फर्मों के पुराने अनुबंधों की अवधि कोविड-19 दिशानिर्देश जारी करने के कारण बढ़ाने और कोविड प्रभावों को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप फर्मों द्वारा तदनुसार रिपोर्टिंग इत्यादि की गई तथा कोविड प्रभावों के कारण, विस्तार पर फर्म द्वारा सहमति/अनुमोदन देने में देरी और नए अनुबंधों की कार्रवाई/प्रक्रिया को भी तत्पश्चात् चार से छः माह तक बढ़ा दिया गया, (ii) कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन नहीं होने तथा (iii) ई-खरीद में तकनीकी समस्या के कारण आबकारी एवं अन्य विभागों के लिए आई.टी. हार्डवेयर की खरीद हेतु तकनीकी बोली/वित्तीय बोली न खुलने के कारण निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
097. खजाना स्थापना			
(03) मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण			
मू.	10,00.00		
		13,00.00	13,00.00
पु.	3,00.00		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण पर बढे हुए व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
2211. परिवार कल्याण और  
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,07,11,30,98			
अनुपूरक	13	1,07,11,31,11	97,82,31,45	- 9,28,99,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				9,26,65,50
<b>प्रभारित</b>				
मूल	80,17			
अनुपूरक	..	80,17	9,27	- 70,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				70,88
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,17,79,47			
अनुपूरक	..	2,17,79,47	1,53,51,21	- 64,28,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				64,28,16
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 9,28,99.66 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,34.16 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 3,68,92.35 लाख, ₹ 4,90,25.22 लाख, ₹ 5,04,22.55 लाख, ₹ 6,92,15.44 लाख तथा ₹ 9,28,99.66 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी, जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.08 प्रतिशत से 8.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।



**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन और प्रशासन			
(03) प्रधान कार्यालय			
[01] प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू .	48,42.97	43,00.00	42,97.54
पु .	- 5,42.97		
			- 2.46

₹ 5,42.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्तियां नहीं की गयी।

- 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
- 110. अस्पताल तथा औषधालय
- (01) अध्यापन अस्पताल
- [24] महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल, उदयपुर

मू .	35,76.41	29,68.01	29,67.14
पु .	- 6,08.40		
			- 0.87

₹ 6,08.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 639 स्वीकृत पदों में से 150 पदों के रिक्त रहने, (ii) महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं करने के क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

- 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
- 110. अस्पताल तथा औषधालय
- (01) अध्यापन अस्पताल
- [39] पी.बी.एम.मैन्स अस्पताल, बीकानेर-प्रतिबद्ध

मू .	62,78.40	56,00.22	55,99.69
पु .	- 6,78.18		
			- 0.53

₹ 6,78.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

- 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
- 110. अस्पताल तथा औषधालय
- (01) अध्यापन अस्पताल
- [43] सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध

मू .	2,29,88.21	2,01,51.14	2,01,50.20
पु .	- 28,37.07		
			- 0.94

₹ 28,37.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा नई निविदाओं में तुलनात्मक कम दर प्राप्त होने को आरोपित की गयी ।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[45] जनाना अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	31,15.24		
पु.	- 3,86.14	27,29.10	27,28.97
			- 0.13

₹ 3,86.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गई तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[48] सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर-प्रतिबद्ध				
मू.	29,58.11			
पु.	- 3,35.96	26,22.15	26,22.07	- 0.08
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[49] न्यू जनाना अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध				
मू.	27,30.38			
पु.	- 2,93.03	24,37.35	24,36.38	- 0.97

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 6,28.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गई, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा (iii) चार कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[51] महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर-प्रतिबद्ध				
मू.	44,26.13			
पु.	- 4,19.21	40,06.92	40,05.08	- 1.84

₹ 4,19.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्षों में स्थानान्तरण होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[58] एस.आर.बी. भुवालका यक्षमा आरोग्य सदन बडी, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	7,60.59	6,37.29	6,37.28
पु.	-1,23.30		- 0.01

₹ 1,23.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 107 स्वीकृत पदों में से 38 पदों के रिक्त रहने, (ii) महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
110. अस्पताल तथा औषधालय  
(01) अध्यापन अस्पताल  
[61] नवीन चिकित्सालय, कोटा-प्रतिबद्ध

मू.	7,02.28	5,82.24	5,82.24	..
पु.	- 1,20.04			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,20.04 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
110. अस्पताल तथा औषधालय  
(01) अध्यापन अस्पताल  
[65] कांवटिया अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	25,47.70	22,90.56	22,89.71	- 0.85
पु.	- 2,57.14			

₹ 2,57.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा (iii) छः कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
110. अस्पताल तथा औषधालय  
(01) अध्यापन अस्पताल  
[71] श्री खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाइट अस्पताल,  
पावटा, उदयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	11,69.09	9,70.47	9,70.49	+ 0.02
पु.	- 1,98.62			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,98.62 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 119 स्वीकृत पदों में से 38 पदों के रिक्त रहने, (ii) महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[73] राजकीय जिला अस्पताल रामपुरा, कोटा-प्रतिबद्ध			
मू .	12,61.16		
पु .	- 2,28.60	10,32.56	10,32.47
			- 0.09
₹ 2,28.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[75] शिवराम नत्थूराम टांक चिकित्सालय मण्डोर, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू .	9,09.01		
पु .	- 1,33.54	7,75.47	7,75.48
			+ 0.01
₹ 1,33.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य लेखा शीर्ष में होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(02) भ्रमणशील अस्पताल			
[09] भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू .	11,43.00		
पु .	- 1,74.04	9,68.96	9,68.88
			- 0.08
₹ 1,74.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 102 स्वीकृत पदों में से 21 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[08] सामान्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
मू .	7,93,38.00		
पु .	- 95,09.76	6,98,28.24	6,98,08.38
			- 19.86
₹ 95,09.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गयी।			
₹ 19.86 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 19.86 लाख जमा कराने के कारण रही।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[13] औषधालय तथा सहायता चौकियाँ-प्रतिबद्ध			
मू .	1,22,47.80		
पु .	- 18,32.69	1,04,15.11	1,04,14.09
			- 1.02
31 मार्च 2021 को ₹ 18,32.69 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] क्षेत्रीय और जिला स्थापना			
मू .	5,79.50		
पु .	- 1,42.87	4,36.63	4,36.17
			- 0.46
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[08] क्षय क्लिनिक-प्रतिबद्ध			
मू .	41,51.58		
पु .	- 9,62.84	31,88.74	31,86.73
			- 2.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 11,05.71 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[07] क्षेत्रीय और जिला स्तरीय संस्थापना-प्रतिबद्ध			
मू .	57,66.80		
पु .	- 6,50.45	51,16.35	51,13.62
			- 2.73
₹ 6,50.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गयी।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(01) निदेशन और प्रशासन			
मू .	8,18.87		
पु .	- 1,00.39	7,18.48	7,18.10
			- 0.38
₹ 1,00.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा त्यौहारों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाए जाने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)			
मू .	18,77.39		
पु .	- 2,97.67	15,79.72	15,78.91
			- 0.81
31 मार्च 2021 को ₹ 2,97.67 लाख का प्रावधान मुख्यतः आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं होने तथा कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल तथा औषधालय			
[04] अस्पताल और औषधालय -प्रतिबद्ध			
मू .	1,22,17.99		
पु .	- 20,60.38	1,01,57.61	1,01,52.17
			- 5.44
₹ 20,60.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं होने तथा कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने को आरोपित की गयी।			
₹ 5.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(05) आयुर्वेदिक अनुसंधान			
[07] रसायन शालाएं-प्रतिबद्ध			
मू .	9,32.25		
पु .	- 1,09.52	8,22.73	8,17.47
			- 5.26
₹ 1,09.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं होने तथा कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने को आरोपित की गयी।			
₹ 5.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(06) आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायताार्थ अनुदान			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू .	17,00.00	14,57.50	14,57.50
पु .	- 2,42.50		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,42.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(04) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] अस्पताल तथा औषधालय, शहरी-प्रतिबद्ध			
मू .	19,90.86	15,79.01	15,79.02
पु .	- 4,11.85		
31 मार्च 2021 को ₹ 4,11.85 लाख का प्रावधान मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नही होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
103. यूनानी			
(04) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] यूनानी अस्पताल तथा औषधालय-प्रतिबद्ध			
मू .	11,71.10	8,74.17	8,53.74
पु .	- 2,96.93		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,96.93 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नही होने, (iii) 43 नर्स/कम्पाउण्डर के वेतन निर्धारण के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा (iv) दो कर्मचारियों को उनके पैतृक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के लिए कार्यमुक्त करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 20.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
200. अन्य पद्धतियां			
(02) प्राकृतिक चिकित्सा			
मू .	5,47.02	4,46.56	4,46.56
पु .	- 1,00.46		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,00.46 लाख का प्रावधान मुख्यतः आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं होने तथा कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(02) पी.पी.पी. मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान			
मू .	8,50.00	6,74.72	6,74.72
पु .	- 1,75.28		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,75.28 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(03) ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	23,45.78	19,64.64	19,64.63
पु .	- 3,81.14		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,81.14 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गई।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(02) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -प्रतिबद्ध			
मू .	7,08,75.61	6,18,70.12	6,18,64.53
पु .	- 90,05.49		
₹ 90,05.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गई।			
₹ 5.59 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 7.05 लाख जमा कराने के कारण रही ।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू .	2,66,73.96	2,31,04.47	2,30,98.55
पु .	- 35,69.49		
₹ 35,69.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं करने के कारण पदों के रिक्त रहने तथा जैव अपव्यय के निस्तारण के लिए बजट सीमा में कटौती को आरोपित की गयी ।			
₹ 5.92 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 5.91 लाख जमा कराने के कारण रही ।			



**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप-केन्द्र			
मू.	93,83.19		
		82,60.07	82,58.78
पु.	- 11,23.12		- 1.29

31 मार्च 2021 को ₹ 11,23.12 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गई।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	7,87,46.20		
		6,30,98.66	6,30,88.13
पु.	- 1,56,47.54		- 10.53

₹ 1,56,47.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गई।

₹ 10.53 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 14.72 लाख जमा कराने के कारण रही ।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[05] स्वास्थ्य उप-केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	86,76.20		
		57,85.09	57,84.66
पु.	- 28,91.11		- 0.43

₹ 28,91.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गई।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	20,79.81		
		16,94.52	16,92.42
पु.	- 3,85.29		- 2.10

31 मार्च 2021 को ₹ 3,85.29 लाख का प्रावधान मुख्यतः आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के प्रकरण स्वीकृत नहीं होने तथा कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,62,14.98	5,54,08.65	5,53,17.04
पु.	- 1,08,06.33		- 91.61

31 मार्च 2021 को ₹ 1,08,06.33 लाख का प्रावधान मुख्यतः आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के प्रकरण स्वीकृत नहीं होने तथा कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,07,77.94 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 28.39 लाख) किया गया।

₹ 91.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण-प्रतिबद्ध			
मू.	7,58.05	6,46.04	6,46.04
पु.	- 1,12.01		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,12.01 लाख का प्रावधान मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
103. यूनानी			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण, यूनानी-प्रतिबद्ध			
मू.	6,87.95	5,11.35	5,08.67
पु.	- 1,76.60		- 2.68

₹ 1,76.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा (iii) 38 नर्स/कम्पाउण्डर के वेतन निर्धारण के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा			
मू.	4,91.40	3,84.08	3,84.07
पु.	- 1,07.32		- 0.01

₹ 1,07.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	21,95.00		
		17,24.31	17,24.31
पु.	- 4,70.69		..

31 मार्च 2021 को ₹ 4,70.69 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा  
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर

मू.	6,48.53		
		4,73.54	4,73.54
पु.	- 1,74.99		..

₹ 1,74.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से परीक्षण के बाद नए हार्डवेयर की खरीद और आरोग्य ऑनलाइन परियोजना, ई-लाइब्रेरी हॉस्टल लेन, ई-क्लासरूम तथा सुरक्षा उपकरणों के सॉफ्टवेयर के संबंध में आपूर्ति एवं रखरखाव के प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिलने को आरोपित की गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा  
[24] रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय,  
उदयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	84,28.88		
		72,40.01	72,40.00
पु.	- 11,88.87		- 0.01

₹ 11,88.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) (अ) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 555 स्वीकृत पदों में से 174 पदों के रिक्त रहने, (ब) महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा (स) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) (अ) अध्ययन अवकाश स्वीकृति नहीं होने के परिणामस्वरूप अध्ययन अवकाश वेतन के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा (ब) सेवारत सीएस (अध्ययन के लिए स्वीकृति की पुष्टि) पीजी छात्रों के संबंध में अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रवृत्तियों तथा वजीफा पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[26] डॉ. सम्पूर्णानन्द महाविद्यालय जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू .	74,39.54		
		66,31.12	66,31.11
पु .	- 8,08.42		- 0.01
₹ 8,08.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य लेखा शीर्ष में होने को आरोपित की गयी ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू .	42,60.01		
		..	..
पु .	- 42,60.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 42,60.01 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(05) झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू .	50,40.00		
		43,40.00	43,40.00
पु .	- 7,00.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 7,00.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(06) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू .	1,56,00.01		
		90,11.50	90,11.50
पु .	- 65,88.51		..
31 मार्च 2021 को ₹ 65,88.51 लाख का प्रावधान मुख्यतः राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(08) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू .	16,48.04	..	..
पु .	- 16,48.04		
31 मार्च 2021 को ₹ 16,48.04 लाख का समस्त प्रावधान झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(09) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू .	33,20.04	17,51.61	17,51.61
पु .	- 15,68.43		..
31 मार्च 2021 को ₹ 15,68.43 लाख का प्रावधान झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू .	5,73.36	4,65.22	4,65.21
पु .	- 1,08.14		- 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 1,08.14 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(19) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू .	1,07,30.70	89,38.84	89,35.77
पु .	- 17,91.86		- 3.07
₹ 17,91.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं करने के कारण पदों के रिक्त रहने तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(20) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू .	1,31,23.00	86,86.28	86,79.83
पु .	- 44,36.72		
			- 6.45

₹ 44,36.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गयी।

₹ 6.45 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 6.53 लाख जमा कराने के कारण रही ।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(23) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू .	60,67.80	38,44.16	38,21.13
पु .	- 22,23.64		
			- 23.03
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(24) राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू .	3,91.06	2,82.47	2,82.46
पु .	- 1,08.59		
			- 0.01

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 23,32.23 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गयी।

शीर्ष "2210-06-101(23) [01]" के अंतर्गत ₹ 23.03 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 23.08 लाख जमा कराने के कारण रही।

06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[02] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी-प्रतिबद्ध			
मू .	1,21,08.31	1,03,68.97	1,03,65.39
पु .	- 17,39.34		
			- 3.58

₹ 17,39.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध नई भर्ती नहीं की गयी।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
800. अन्य व्यय			
(04) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	6,68,80.03	1,90,00.00	1,90,00.00
पु.	- 4,78,80.03		..

₹ 6,68,80.03 लाख का प्रावधान आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम मोड पर अपेक्षित प्रीमियम राशि के भुगतान के लिए अनुमानित था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से उपार्जन प्रक्रिया ने अधिक समय लिया जिससे योजना 31.01.2021 तक ट्रस्ट मोड पर संचालित की गयी, इस प्रणाली में चिकित्सा संस्थानों को केवल वास्तविक दावों का भुगतान ही किया जाना था। कोविड-19 महामारी के भय के कारण लाभार्थियों द्वारा सामान्य बीमारियों के कम उपचार लिया गया जिससे योजना पर कम व्यय हुआ। साथ ही 31.01.2021 से योजना का संचालन प्रीमियम मोड पर आरम्भ होने के कारण, वित्तीय वर्ष में चार तिमाही के स्थान पर केवल एक तिमाही का भुगतान किया गया। योजना की अवशेष राशि बैंक तथा निजी निक्षेप खातों में भी उपलब्ध थी। उपरोक्त कारणों से, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 4,78,80.03 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो 31 मार्च 2021 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,78,79.98 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.05 लाख) की गयी।

## 2211. परिवार कल्याण

001. निदेशन और प्रशासन

(02) राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो

मू.	9,73.41	8,38.00	8,38.28	+ 0.28
पु.	- 1,35.41			

₹ 1,35.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

003. प्रशिक्षण

(02) आक्जलरी नर्स, मिडवाइफ दाई और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

मू.	27,27.92	22,94.81	22,99.09	+ 4.28
पु.	- 4,33.11			

₹ 4,33.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं करने को आरोपित की गयी।

₹ 4.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं

(01) राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र

मू.	67,79.50	59,15.15	59,13.87	- 1.28
पु.	- 8,64.35			

31 मार्च 2021 को ₹ 8,64.35 लाख का प्रावधान मुख्यतः वर्ष के दौरान नवीन पदों पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं होने तथा मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की, के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[11] असफल नसबंदी प्रकरणों में मुआवजा			
मू .	4,50.00		
पु .	- 3,26.15	1,23.85	1,23.55
			- 0.30
31 मार्च 2021 को ₹ 3,26.15 लाख का प्रावधान असफल नसबंदी में मुआवजे का भुगतान वास्तविक प्रकरणों की प्राप्ति के अनुसार करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[12] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू .	48,78.00		
पु .	- 24,39.00	24,39.00	24,39.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 24,39.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए शुभ लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों से तृतीय किश्त के लिए आवेदनों की प्राप्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	66,39.73		
पु .	- 23,62.47	42,77.26	42,76.70
			- 0.56
31 मार्च 2021 को ₹ 23,62.47 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान नयी भर्ती की गयी 1,115 महिला स्वास्थ्य कर्मियों में से अधिकांश की नियुक्ति नहीं किये जाने, (ii) महंगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया जाने क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा (iii) कोविड-19 महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ कार्यालयों द्वारा एक महीने से अधिक के वेतन बिलों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां			
(01) परम्परागत गर्भ निरोधक			
मू .	14,00.00		
पु .	- 14,00.00	..	..
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 14,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार से परम्परागत गर्भ निरोधक के बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			



**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेन्स सर्विस (ई एम आर आई)			
मू .	80,61.76	66,48.00	66,48.00
पु .	- 14,13.76		..

₹ 14,13.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू .	5,30.47	6,87.22	6,87.20
पु .	1,56.75		- 0.02

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,56.75 लाख की अतिरिक्त निधियां अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) के निजी निक्षेप खाते में निधियों के हस्तान्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआईटी) में 94000 स्वास्थ्य मित्रों को बैग, आई.डी., पहचान पत्र, पुस्तिका जारी करने के लिए और डेटा प्रविष्टि कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण, सामग्री क्रय नहीं की जा सकने के परिणामस्वरूप निधियों को अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित कर दिया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना  
(03) भरपाई (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के नियुक्ताओं के सहित)-प्रतिबद्ध

मू .	12,50.01	14,45.66	14,45.66	..
पु .	1,95.65			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,95.65 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के कारण उपलब्ध कराई गयी।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[08] सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर			
मू.	14,00.02	17,24.54	17,23.63
पु.	3,24.52		
			- 0.91

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,24.52 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) नई भर्ती/पदोन्नति के कारण वेतन तथा भत्तों पर बड़े हुए व्यय, (ii) मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत जीवन रक्षक दवाइयां क्रय करने, (iii) ऑक्सीजन सिलेंडरों के फिर से भरने के बिलों के भुगतान तथा (iv) गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
110. अस्पताल तथा औषधालय  
(01) अध्यापन अस्पताल  
[14] सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर

मू.	7,90.07	9,40.00	9,40.01
पु.	1,49.93		
			+ 0.01

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,49.93 लाख की अतिरिक्त निधियां नर्स ग्रेड-II के 128 पदों पर भर्ती के कारण वेतन तथा भत्तों पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
110. अस्पताल तथा औषधालय  
(01) अध्यापन अस्पताल  
[22] मथुरा दास माथुर, अस्पताल, जोधपुर

मू.	24,52.70	29,46.45	29,45.31
पु.	4,93.75		
			- 1.14

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,93.75 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) मेडिकल अफसरों और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन तथा भत्तों, मशीनरी एवं उपकरणों तथा (ii) अस्पताल में सफाई तथा सुरक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया की निविदा सेवाओं में विस्तार पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा  
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू.	8,80.75	10,12.32	10,12.32
पु.	1,31.57		
			..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,31.57 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	9,07,97.62	16,47,44.17	16,47,44.17
पु.	7,39,46.55		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,39,46.55 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## पूँजी

## दत्तमत

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 1,80,46.32 लाख, ₹ 1,23,91.40 लाख, ₹ 71,95.86 लाख, ₹ 78,01.62 लाख तथा ₹ 64,28.26 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी, जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 29.45 प्रतिशत से 51.13 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के लिए विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(03) आयुर्वेद विभाग के माध्यम से			
मू.	1,99.90	..	..
पु.	- 1,99.90		

31 मार्च 2021 को ₹ 1,99.90 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए नये भवन के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं
110. अस्पताल और औषधालय
- (07) निर्माण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से
- [01] निर्माण कार्य

मू.	20,12.93	8,30.11	8,30.11	..
पु.	- 11,82.82			

31 मार्च 2021 को ₹ 11,82.82 लाख का प्रावधान (i) धर्मशालाओं (सराय) के निर्माण के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए निधियां जारी नहीं करने तथा (ii) पांच खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण क्रय करने हेतु मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	16,20.01		
पु.	- 4,54.39	11,65.62	11,65.62
			..
₹ 4,54.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः ठेकेदारों द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान भुगतान नहीं किया जाने और वित्त विभाग द्वारा मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों के लिए प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति देरी से जारी करने को आरोपित की गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	5,00.02		
पु.	- 1,86.68	3,13.34	3,13.34
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,86.68 लाख का प्रावधान नवीन उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृति कम प्राप्त होने, कोषालय द्वारा बिल पारित होने पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से ₹ 35.00 लाख का भुगतान नहीं होने तथा कुछ मदों की कम दर प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	17,20.42		
पु.	- 11,98.75	5,21.67	5,21.67
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 11,98.75 लाख का प्रावधान (i) संशोधित अनुमानों में बजट सीमा में कटौती होने, (ii) कार्यकारी एजेंसी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कैथ लैब जनाना विंग के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (iii) अंग प्रत्यारोपण केन्द्र के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(12) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	20,58.02		
पु.	- 12,31.66	8,26.36	8,26.36
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 12,31.66 लाख की प्रत्याशित बचत एकल निविदा पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के कारण उपकरणों की खरीद न करने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(13) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	6,35.00		
पु .	- 5,44.34	90.66	90.66
31 मार्च 2021 को ₹ 5,44.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(14) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	3,79.81		
पु .	- 1,56.33	2,23.48	2,23.48
31 मार्च 2021 को ₹ 1,56.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(16) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा			
महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	16,48.01		
पु .	- 15,83.01	65.00	65.00
31 मार्च 2021 को ₹ 15,83.01 लाख का प्रावधान चिकित्सा विभाग द्वारा सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण के लिए स्वीकृति कम जारी करने और कार्यकारी एजेंसी को कार्य पूर्ण होने के अनुपात में निधियां जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,83.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) किया गया ।			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(16) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा			
महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	10,30.00		
पु .	- 5,00.00	5,30.00	5,30.00
31 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू .	25,57.00	9,20.51	9,20.52
पु .	- 16,36.49		

31 मार्च 2021 को ₹ 16,36.49 लाख का प्रावधान (i) पी जी सीट फेज- II के अन्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कार्यों के कम निष्पादन करने, (ii) ठेकेदारों द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान भुगतान नहीं होने, (iii) आईपीडी ब्लॉक के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेन्सी का अंतिम रूप से चयन न हो पाने तथा (iv) एकल निविदा पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के कारण उपकरण का क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(15) औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण			
[01] औषधि नियंत्रक के माध्यम से			
मू .	0.06	7,75.59	7,75.59
पु .	7,75.53		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,75.53 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के लिये तथा उपकरणों के क्रय हेतु कार्यकारी एजेंसियों को भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू .	24,90.00	33,50.00	33,50.00
पु .	8,60.00		

## अनुदान संख्या 026 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	26,93.35	35,73.00	..
पु.	8,79.65	35,73.00	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,39.65 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के लिए उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 027 - पेय जल योजना**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2215. जलपूर्ति तथा सफाई  
पूंजी - 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	41,37,88,70			
अनुपूरक	2	41,37,88,72	37,35,13,93	- 4,02,74,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
				3,94,18,93
<b>प्रभारित</b>				
मूल	10,00			
अनुपूरक	1,60,48	1,70,48	1,66,01	- 4,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
				4,47

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	33,12,49,44			
अनुपूरक	4	33,12,49,48	26,74,07,02	- 6,38,42,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				
				8,25,32,74

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 4,02,74.79 लाख की अंतिम बचत में से 31 मार्च 2021 को ₹ 3,94,18.93 लाख अभ्यर्पित किये गये। दोनों राशियों में ₹ 8,55.86 लाख का अन्तर मुख्यतः ₹ 8,52.13 लाख राजकीय खाते में जमा कराने के कारण रहा।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(02) जलपूर्ति योजना, अलवर-प्रतिबद्ध			
मू.	47,13.99		
पु.	- 4,78.41	42,35.58	42,27.75
			- 7.83



## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, भरतपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	23,95.63	18,80.31	18,78.40
पु.	- 5,15.32		- 1.91
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(05) जलपूर्ति योजना, भीलवाड़ा-प्रतिबद्ध			
मू.	16,04.98	13,94.16	13,94.16
पु.	- 2,10.82		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 12,04.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने को आरोपित की गयी।

शीर्ष "2215-01-101(02)" के अंतर्गत ₹ 7.83 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 7.83 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(06) जलपूर्ति योजना, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू.	55,93.04	46,23.40	45,91.62
पु.	- 9,69.64		- 31.78

₹ 9,69.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा मार्च, 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर उनके प्रस्तुत करने के कारण बिजली बिलों का भुगतान न होने के कारण बिजली शुल्क पर कम व्यय हुआ तथा (iii) जल व्यय के बिलों का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि मार्च, 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर बिल प्रस्तुत किये गये तथा जल संसाधन विभाग द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी।

₹ 31.78 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 31.78 लाख जमा कराने के कारण रही।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(08) जलपूर्ति योजना, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	93,03.03	75,92.15	75,56.70
पु.	- 17,10.88		- 35.45

₹ 17,10.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विद्युत् प्रभार पर कम व्यय हुआ क्योंकि बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा मार्च, 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर उनके प्रस्तुत करने के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 35.45 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 35.44 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(09) जोधपुर लिफ्ट केनाल, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,52,09.09	1,34,65.96	1,34,65.33
पु.	- 17,43.13		- 0.63

31 मार्च 2021 को ₹ 17,43.13 लाख का प्रावधान विद्युत् प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा मार्च, 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर उनको प्रस्तुत करने के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं हुआ।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(10) जलपूर्ति योजना, कोटा-प्रतिबद्ध			
मू.	78,62.34	64,13.72	64,13.69
पु.	- 14,48.62		- 0.03

₹ 14,48.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विद्युत् प्रभार पर कम व्यय हुआ क्योंकि बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा मार्च, 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर उनके प्रस्तुत करने के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(11) जलपूर्ति योजना, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	65,16.23	55,21.45	53,84.15
पु.	- 9,94.78		- 1,37.30

31 मार्च 2021 को ₹ 9,94.78 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विद्युत् प्रभार पर कम व्यय हुआ क्योंकि बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा मार्च, 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर उनके प्रस्तुत करने के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,37.30 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 1,37.28 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(12) अन्य नगरीय जलपूर्ति योजनाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	6,66,18.03	5,90,33.68	5,89,48.18
पु.	- 75,84.35		- 85.50

₹ 75,84.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 85.50 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 85.45 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	17,42,80.01	16,31,47.02	16,27,33.83
पु.	- 1,11,32.99		- 4,13.19

₹ 1,11,32.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए यात्रा व्यय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 4,13.19 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 4,10.35 लाख जमा कराने के कारण रही।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(02) अभिवृद्धि ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू.	7,31.40		
		6,06.41	5,80.40
पु.	- 1,24.99		- 26.01

₹ 1,24.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयीं, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 26.01 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 26.02 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पर्यवेक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	50,06.54		
		41,52.78	41,47.44
पु.	- 8,53.76		- 5.34

₹ 8,53.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयीं, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 5.34 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 5.36 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) शिल्पशाला			
मू.	40,92.02		
		29,44.55	29,36.80
पु.	- 11,47.47		- 7.75

31 मार्च 2021 को ₹ 11,47.47 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयीं, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) ठेकेदारों द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 7.75 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 7.75 लाख जमा कराने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) निदेशन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	46,56.54		
पु.	- 7,32.83		
		39,23.71	39,21.59
			- 2.12

₹ 7,32.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. मल जल तथा सफाई  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(11) निष्पादन  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	3,30,58.76		
पु.	- 86,44.62		
		2,44,14.14	2,43,79.61
			- 34.53

31 मार्च 2021 को ₹ 86,44.62 लाख का प्रावधान मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय महंगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा माह मार्च, 2020 में 15 दिनों के लिए अस्थगित वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 34.53 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 34.23 लाख जमा कराने के कारण रही।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 6,38,42.46 लाख (इसमें विभिन्न शीर्षों के तहत जमा कराये गये ₹ 11,69.20 लाख सम्मिलित है) की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 8,25,32.74 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 8,96,22.10 लाख, ₹ 6,83,02.17 लाख, ₹ 10,43,81.89 लाख, ₹ 10,22,52.63 लाख तथा ₹ 6,38,42.46 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 17.51 प्रतिशत से 31.52 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू. 20,60.00	15,31.60	15,22.46	- 9.14
पु. - 5,28.40			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जल पूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू. 4,50.00	2,06.93	2,06.93	..
पु. - 2,43.07			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू. 25,85.00	3,78.76	3,49.19	- 29.57
पु. - 22,06.24			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 29,77.71 लाख का प्रावधान नई योजना के शुरु न होने/चालू योजना में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
शीर्ष "4215-01-101(01)[17] एवं [85] " के अंतर्गत ₹ 38.71 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 38.70 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[24] चम्बल परियोजना, भरतपुर			
मू. 4,91.51	1,37.84	1,37.84	..
पु. - 3,53.67			

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] जवाई-पाली-जालोर जलपूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना)			
मू .	6,86.00		
पु .	- 6,49.28	36.72	36.72
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[33] चूरु, झुन्झुनू जल प्रदाय योजना (आपणी योजना-फैज-11)			
मू .	2,40.00		
पु .	- 1,10.76	1,29.24	1,29.24
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू .	19,23.00		
पु .	- 8,37.75	10,85.25	10,84.93
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जल पूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू .	68,98.00		
पु .	- 38,76.38	30,21.62	29,92.94
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[84] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू .	19,46.00		
पु .	- 19,45.48	0.52	0.52

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[94] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना प्रतापगढ़ कस्बे की			
मू.	3,89.00		
		2,59.35	2,59.35
पु .	- 1,29.65		..
उपरोक्त सात शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 79,02.97 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
शीर्ष "4215-01-101(01)[61]" के अंतर्गत ₹ 28.68 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 28.67 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[45] पोकरण-फलसूंड (फलौदी) जल प्रदाय योजना			
मू .	6,86.00		
		..	..
पु .	- 6,86.00		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[81] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू .	10,30.00		
		..	..
पु .	- 10,30.00		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[05] झंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू	13,56.00		
		..	..
पु .	- 13,56.00		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 30,72.00 लाख का समस्त प्रावधान योजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, शीर्ष "4215-01-101 (01) [45] तथा [81]" के अंतर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।



## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[86] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	1,04,73.00		
पु .	- 97,86.06	6,86.94	6,73.07
			- 13.87
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(10) मूल्य हास आरक्षित निधि			
[01] मूल्य हास आरक्षित निधि के विरुद्ध जलपूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार			
मू.	67,11.15		
पु .	- 67,11.15	..	..
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,64,97.21 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
शीर्ष "4215-01-101(01)[86]" के अंतर्गत ₹ 13.87 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 13.87 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[87] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I, पार्ट- II (शहरी)			
मू.	13,55.00		
पु .	- 13,55.00	..	..
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[88] जवाई-पाली पाईपलाइन परियोजना फेज-द्वितीय, पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	8,71.00		
पु .	- 8,71.00	..	..
			..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[95] अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (शहरी)			
मू .	2,59.00	..	..
पु .	- 2,59.00	..	..
उपरोक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 24,85.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, शीर्ष "4215-01-101 (01) [88]" के अंतर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[25] उम्मेद सागर जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू .	35,00.00	2,40.00	2,40.00
पु .	- 32,60.00		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू .	2,10.01	11.02	11.02
पु .	- 1,98.99		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[48] नर्मदा-गुढामालानी जलपूर्ति योजना			
मू .	2,96.00	4.37	4.37
पु .	- 2,91.63		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[50] अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (ग्रामीण)			
मू .	4,54.00	1,65.83	1,65.83
पु .	- 2,88.17		..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[57] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (विस्तार चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना) (ग्रामीण)			
मू.	13,62.00	6,34.77	6,34.77
पु.	- 7,27.23		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[61] गरड़दा पेयजल परियोजना			
मू.	3,44.00	1,56.64	1,56.64
पु.	- 1,87.36		
उपरोक्त छः शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 49,53.38 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[59] नहरों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण (बीकानेर)			
मू.	56,40.00	32,82.55	32,82.54
पु.	- 23,57.45		
31 मार्च 2021 को ₹ 23,57.45 लाख का प्रावधान प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति कम जारी होने, कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यों की धीमी गति एवं कोषालय द्वारा बिलों को पारित किये जाने के पश्चात् तकनीकी कारणों से ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[51] बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरौही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू.	10,30.01	..	..
पु.	- 10,30.01	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 10,30.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[54] जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू .	5,30.00	..	..
पु .	- 5,30.00	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[60] झालीजी का बराना पेयजल परियोजना			
मू .	3,45.01	..	..
पु .	- 3,45.01	..	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[67] हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना, जिला कोटा			
मू .	3,24.00	..	..
पु .	- 3,24.00	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 11,99.01 लाख का समस्त प्रावधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(06) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू .	1,64.50	5.00	..
पु .	- 1,59.50	5.00	..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,59.50 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी तथा अन्य कारणों से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(12) पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्तताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू .	20,68.00	8,47.67	- 8.16
पु .	- 12,20.33	8,39.51	- 8.16

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेंट्स का सुदृढीकरण-रिजुविनेशन			
मू .	14,10.00		
पु .	- 9,57.21	4,52.79	4,51.11
			- 1.68

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 21,77.54 लाख का प्रावधान प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कम जारी होने, कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यों की धीमी गति एवं कोषालय द्वारा बिलों को पारित किये जाने के पश्चात् तकनीकी कारणों से ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "4215-01-102(12) के अन्तर्गत ₹ 8.16 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 8.16 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(85) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू	8,97.00		
पु .	- 8,52.82	44.18	44.18
			..

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(86) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू	5,98.00		
पु .	- 5,59.83	38.17	38.17
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 14,12.65 लाख का प्रावधान प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कम जारी होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू .	23,55.01		
पु .	- 6,40.57	17,14.44	17,14.44
			..

₹ 6,40.57 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	6,05.01	80.65	80.65
पु .	- 5,24.36		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(50) बाइमेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-II			
मू .	21,71.43	15,69.68	15,68.51
पु .	- 6,01.75		
01. जलपूर्ति			- 1.17
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(67) जवाई क्लस्टर परियोजना-II			
मू .	23,45.01	15,79.36	15,79.36
पु .	- 7,65.65		
01. जलपूर्ति			..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 18,91.76 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(21) जनता जल योजना

मू .	56,40.00	13,59.27	13,48.97
पु .	- 42,80.73		
			- 10.30

31 मार्च 2021 को ₹ 42,80.73 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कम जारी होने तथा कोषालय द्वारा बिलों को पारित किये जाने के पश्चात् तकनीकी कारणों से ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 33,29.93 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,50.80 लाख) किया गया।

₹ 10.30 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 10.15 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना

मू .	80,15.07	16,88.58	16,88.58
पु .	- 63,26.49		
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 63,26.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू .	73,70.00		
पु .	- 35,20.77	38,49.23	38,49.23
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(75) बांसवाड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू .	38,38.00		
पु .	- 36,87.71	1,50.29	1,50.29
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(97) राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पंचपहाड़, जिला झालावाड			
मू	2,20.00		
पु .	- 1,99.53	20.47	20.47
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 74,08.01 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2021)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(79) इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू	2,15,00.00		
पु .	- 1,54,45.47	60,54.53	60,16.17
31 मार्च 2021 को ₹ 1,54,45.47 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
₹ 38.36 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 38.37 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निरीक्षण एवं अनुश्रवण			
मू .	11,00.00		
पु .	- 4,42.44	6,57.56	6,56.84
31 मार्च 2021 को ₹ 4,42.44 लाख का प्रावधान प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कम जारी होने, कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यों की धीमी गति तथा कोषालय द्वारा बिलों को पारित किये जाने के पश्चात् तकनीकी कारणों से ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[04] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना			
मू .	11,14.00	4,76.20	4,76.20
पु .	- 6,37.80		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[05] बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना			
मू .	4,00.00	2,51.05	1,55.29
पु .	- 1,48.95		
01. जलपूर्ति			- 95.76
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[12] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू .	9,80.00	2,98.56	2,98.56
पु .	- 6,81.44		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[07] डीग पेयजल परियोजना			
मू .	18,77.00	13,42.90	13,42.90
पु .	- 5,34.10		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[07] डीग पेयजल परियोजना			
मू .	18,77.00	13,42.90	13,42.90
पु .	- 5,34.10		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[08] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबाई)			
मू .	21,50.00	3,75.94	3,75.94
पु .	- 17,74.06		
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[08] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबाई)			
मू .	21,50.00	3,75.94	3,75.94
पु .	- 17,74.06		

उपरोक्त चार शीर्षों के अंतर्गत ₹ 20,02.29 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष "4215-01-102(99) [05]" के अंतर्गत ₹ 95.76 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 95.75 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[08] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबाई)			
मू .	21,50.00	3,75.94	3,75.94
पु .	- 17,74.06		



## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[09] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबार्ड)			
मू .	1,55,98.00		
पु .	- 39,17.02	1,16,80.98	1,16,80.98
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[10] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा			
मू .	37,18.00		
पु .	- 17,30.30	19,87.70	18,00.68
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[14] चम्बल-भरतपुर क्लस्टर परियोजना-प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)			
मू .	80,43.00		
पु .	- 32,13.61	48,29.39	48,29.39
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[16] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू .	41,20.00		
पु .	- 22,43.75	18,76.25	18,76.25
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[17] बाड़मेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू .	97,64.00		
पु .	- 21,45.80	76,18.20	76,18.20

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[18] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू .	48,09.00		
पु .	- 47,65.35	43.65	43.65
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[21] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू .	20,60.01		
पु .	- 6,18.33	14,41.68	14,41.68
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[26] बीसलपुर-चाकसू परियोजना			
मू .	2,14.00		
पु .	- 1,19.51	94.49	94.49
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[28] अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू .	22,70.00		
पु .	- 9,07.58	13,62.42	13,62.42
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[28] अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू .	22,70.00		
पु .	- 9,07.58	13,62.42	13,62.42

उपरोक्त दस शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,14,35.31 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष "4215-01-102(99) [10]" के अंतर्गत ₹ 1,87.02 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 1,87.02 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[13] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	1,75,31.00		
पु .	- 58,62.49		
		1,16,68.51	1,11,50.01
			- 5,18.50
31 मार्च 2021 को ₹ 58,62.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)। ₹ 5,18.50 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 5,18.50 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[51] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय योजना			
मू .	65.00		
पु .	1,79.26		
		2,44.26	2,44.26
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[54] शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन एवं अन्य अभिकरणों पर आधारित योजनाएं (यू आई डी एस एस एम टी)			
मू .	0.01		
पु .	1,13.35		
		1,13.36	1,13.36
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[30] कोलायत (नोखा) जलपूर्ति योजना			
मू .	39.01		
पु .	2,12.04		
		2,51.05	2,51.05
			..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[41] तीवरी-मथानिया-ओसिया-बावड़ी भोपालगढ़ जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू .	77.01	2,08.63	2,08.63
पु .	1,31.62		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,36.27 लाख की अतिरिक्त निधियां अंतिम बिलों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. जलपूर्ति  
101. शहरी जलपूर्ति  
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं  
[66] डीग जल प्रदाय परियोजना

मू .	34.00	6,58.65	6,58.65	..
पु .	6,24.65			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,24.65 लाख की अतिरिक्त निधियां विशेष सहायता के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना  
[52] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी

मू .	12,06.00	28,38.60	28,38.60	..
पु .	16,32.60			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,32.60 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एन डब्ल्यू क्यू एस एम) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से उपलब्ध स्वीकृत निधियों के उपयोग हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि योजना संभवतया 31.3.2021 को बंद होनी थी।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना  
[55] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं  
कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना  
(ग्रामीण)

मू .	71,34.01	1,04,71.03	1,04,71.03	..
पु .	33,37.02			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 33,37.02 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एन डब्ल्यू क्यू एस एम) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से उपलब्ध स्वीकृत निधियों के उपयोग हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि योजना संभवतया 31.3.2021 को बंद होनी थी।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	2,64,46.00		
पु.	63,54.29	3,28,00.29	3,27,15.57
			- 84.72
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[37] देवनिया-शेरगढ़-छाबा जलपूर्ति योजना			
मू.	3,00.01		
पु.	3,45.32	6,45.33	6,45.33
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[56] चाकन बांध से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (ग्रामीण)			
मू.	1,95.01		
पु.	1,58.88	3,53.89	3,53.89
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[63] परवन-अकावाद पेयजल परियोजना			
मू.	3,44.00		
पु.	3,43.07	6,87.07	6,87.07
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72,01.56 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष "4215-01-101(01) [02]" के अंतर्गत ₹ 84.72 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 84.71 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम  
[01] अन्य ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं

मू.	3,75,41.89		
पु.	80,24.52	4,55,66.41	4,54,58.21

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80,24.52 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,08.20 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 1,07.77 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(34) सलाहकार के माध्यम से परियोजनाओं की तैयारी			
मू.	24.00		
पु.	1,39.92	1,63.92	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(44) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना (ई.ए.पी.)			
मू.	2,92.01		
पु.	5,18.51	8,10.52	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागोर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II (ई ए पी)			
मू.	1,16,98.00		
पु.	28,53.78	1,45,51.78	1,46,23.47 + 71.69
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(46) बोरावास मंडाना जल प्रदाय परियोजना			
मू.	39.01		
पु.	2,39.80	2,78.81	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू, फागी एवं बस्सी			
मू.	0.01		
पु.	3,13.55	3,13.56	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(95) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज द्वितीय (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	3,52.00		
पु.	2,42.73	5,94.73	..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(96) नर्मदा नहर में जल संसाधन विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि			
मू.	80.01	20,67.34	20,67.34
पु.	19,87.33		..
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62,95.62 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
शीर्ष "4215-01-102(45)" के अंतर्गत ₹ 71.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू.	1,10,00.00	2,19,16.92	2,19,16.91
पु.	1,09,16.92		- 0.01
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,09,16.92 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[03] जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियां			
मू.	14,26.00	24,73.39	24,73.39
पु.	10,47.39		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,47.39 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[06] चूरु-झुन्झुनु पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू.	0.02	12,50.06	12,50.06
पु.	12,50.04		..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[11] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू .	3,39.00		
पु .	11,17.22	14,56.22	14,56.22
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[15] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	9,62.00		
पु .	26,17.88	35,79.88	35,79.88
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[20] जवाई क्लस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू .	35,64.00		
पु .	37,29.47	72,93.47	72,93.47
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू .	0.02		
पु .	9,71.65	9,71.67	9,70.90
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[27] बीसलपुर फागी परियोजना			
मू .	2,14.00		
पु .	1,31.03	3,45.03	3,45.03

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 98,17.29 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



### अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(02) पाइप लाईनों द्वारा ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[03] 2215-जलपूर्ति और सफाई 02-001(09) से स्थानान्तरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)			
मू .	1,07,00.70	..	1,06,41.40 + 1,06,41.40
पु .	- 1,07,00.70		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[05] 2215-जलपूर्ति और सफाई 01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)			
मू .	91,47.01	..	91,47.00 + 91,47.00
पु .	- 91,47.01		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,98,47.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभाग द्वारा आई एफ एम एस के अन्तर्गत अंतिम अनुदान को अंतिम रूप देते समय किए जाने वाले प्रतिशतता व्ययों के समायोजन की सूचना न देने को आरोपित की गयी। यद्यपि, संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के अनुसार प्रतिशतता व्ययों का समायोजन किया गया परिणामस्वरूप उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,97,88.40 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

6. **उच्चत लेन-देन** : 2020-21 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उच्चत" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उच्चत उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है :-

लघु शीर्ष "उच्चत" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
स्टॉक	(+ 34,27.25	..	32.64	(+ 33,94.61
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 32,22.44	..	1.27	(+ 32,21.17
<b>योग</b>	<b>(+ 66,49.69</b>	<b>..</b>	<b>33.91</b>	<b>(+ 66,15.78</b>

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और  
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,53,28,80	9,16,40,30	8,72,70,09	- 43,70,21
अनुपूरक	4,63,11,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				43,70,20
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,06,00,00	3,06,00,00	1,49,94,00	- 1,56,06,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,56,06,00

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 43,70.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 4,63,11.50 लाख अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,08,23.19 लाख, ₹ 1,64,25.57 लाख, ₹ 2,42,76.27 लाख, ₹ 2,13,78.99 लाख तथा ₹ 43,70.21 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 4.77 प्रतिशत से 33.13 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।

**अनुदान संख्या 028 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय			
[03] राजीव गाँधी जल संचय योजना			
मू .	0.01		
अ.	2,99,99.99	2,61,77.31	..
पु .	- 38,22.69		

मार्च 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,99,99.99 लाख लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 38,22.69 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधियां कम जारी करने तथा जयपुर जिले के लिए आवंटित निधियों का निजी निक्षेप खाते में अंतरण नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2021 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गाँधी जल संचय योजना			
[01] जल संरक्षण योजना (सामान्य)			
मू .	68,69.00		
पु .	- 36,93.21	31,75.79	31,75.79

₹ 36,93.21 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा निधियां कम जारी करने तथा जयपुर जिले के लिए आवंटित निधियों का निजी निक्षेप खाते में अंतरण नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2021 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[01] अनुदान			
मू .	34,18.23		
पु .	- 23,24.23	10,94.00	10,94.00

31 मार्च 2021 को ₹ 23,24.23 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 21,14.72 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,09.51 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एन आर ई टी पी)			
मू .	35,00.00	22,35.52	22,35.52
पु .	- 12,64.48		..

31 मार्च 2021 को ₹ 12,64.48 लाख का प्रावधान बंद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना की केवल अवशेष राशि के उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड घटक			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू .	1,84,86.90	4,16,77.67	4,16,77.67
अ .	1,63,11.51		..
पु .	68,79.26		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 68,79.26 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतिम वर्ष होने से भारत सरकार से योजना के लिए अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराई गई।

## पूँजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
101. पंचायती राज			
(11) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
मू .	3,06,00.00	1,49,94.00	1,49,94.00
पु .	- 1,56,06.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,56,06.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि हेतु स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2217. शहरी विकास और  
3055. सड़क परिवहन  
पूँजी – 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय ,  
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय,  
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और  
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	53,36,72,35	64,25,41,15	50,47,40,45	- 13,78,00,70
अनुपूरक	10,88,68,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				13,77,47,98
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3,23	3,21	- 2
अनुपूरक	3,20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3
<b>पूँजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,82,83,44	14,79,26,30	14,18,70,75	- 60,55,55
अनुपूरक	2,96,42,86			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				52,09,21
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	17	16	- 1
अनुपूरक	16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 10,88,68.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. ₹ 13,78,00.70 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 52.72 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)**

3. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 6,26,53.32 लाख, ₹ 11,03,61.23 लाख, ₹ 10,84,18.55 लाख, ₹ 9,00,58.24 लाख तथा ₹ 13,78,00.70 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 12.96 प्रतिशत से 22.14 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
मू.	1,25,00.01	75,00.00	75,00.00
पु.	- 50,00.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 50,00.01 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	2,74.77	..	..
पु.	- 2,74.77		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,74.77 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[11] कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	3,43.45	1,37.38	1,37.38
पु.	- 2,06.07		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,06.07 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,00,00.02	49,00.00	49,00.00
पु.	- 51,00.02		..

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,00,00.02	49,00.00	49,00.00
पु.	- 51,00.02		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,02,00.04 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं  
800. अन्य व्यय  
(01) स्मार्ट सिटी  
[04] कोटा स्मार्ट सिटी

मू.	1,00,00.02	..	..
पु.	- 1,00,00.02		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,00,00.02 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

80. सामान्य  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(06) स्थानीय निकायों के संचालक  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	11,85.60	10,32.08	10,32.04	- 0.04
पु.	- 1,53.52			

₹ 1,53.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य  
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता  
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान  
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन  
के लिये प्रोत्साहन अनुदान

मू.	11,85.24	9,75.97	9,75.97	..
पु.	- 2,09.27			

31 मार्च 2021 को ₹ 2,09.27 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(29) सार्वजनिक रोशनी			
[01] विद्युत बिलों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू.	1,30,00.00	53,85.03	53,85.03
पु.	- 76,14.97		..

31 मार्च 2021 को ₹ 76,14.97 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य  
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता  
(30) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय  
[01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

मू.	89,85.49	3,43.33	3,43.33	..
पु.	- 86,42.16			

31 मार्च 2021 को ₹ 86,42.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य  
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता  
(36) स्वच्छ भारत मिशन  
[01] स्वच्छ भारत मिशन

मू.	20,47.02	..	..	..
पु.	- 20,47.02			

31 मार्च 2021 को ₹ 20,47.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य  
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता  
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना  
[01] सबके लिए आवास (शहरी)

मू.	19,30.48	11.45	11.45	..
पु.	- 19,19.03			

31 मार्च 2021 को ₹ 19,19.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(41) अन्नपूर्णा योजना			
[01] सामान्य			
मू.	20,60.70	11,11.15	11,11.15
पु.	- 9,49.55		..

31 मार्च 2021 को ₹ 9,49.55 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(47) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[01] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	1,93,01.88	2,41,11.44	2,41,11.44
अ.	2,89,21.00		..
पु.	- 2,41,11.44		

मार्च, 2021 में ₹ 2,89,21.00 लाख का अनुपूरक अनुदान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से प्राप्त निधियां की प्रत्याश में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। 31 मार्च 2021 को ₹ 2,41,11.44 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	20,00.00	16,78.50	16,51.20
पु.	- 3,21.50		- 27.30

₹ 3,21.50 लाख का प्रावधान अनुदान सीमा में कटौती करने तथा माह जनवरी एवं फरवरी, 2021 में नगर परिषदों/ नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित बिलों को सेवा प्रदाता फर्म द्वारा 31 मार्च 2021 तक प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 27.30 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	5,65,68.03	8,18,03.14	8,18,03.14
अ.	3,50,10.75		..
पु.	- 97,75.64		

मार्च 2021 में ₹ 3,50,10.75 लाख का अनुपूरक अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य सरकार से निधियां जारी होने की प्रत्याशा में लिया गया। यद्यपि, 31 मार्च 2021 को ₹ 97,75.64 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(33) सार्वजनिक रोशनी			
[01] विद्युत् बिलों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू.	1,20,00.00	82,57.50	82,57.50
पु.	- 37,42.50		..
31 मार्च 2021 को ₹ 37,42.50 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[01] स्वच्छ भारत मिशन			
मू.	48,21.96	..	..
पु.	- 48,21.96		..
31 मार्च 2021 को ₹ 48,21.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	1,18,11.03	13.47	13.47
पु.	- 1,17,97.56		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,17,97.56 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(44) अन्नपूर्णा योजना			
[01] सामान्य			
मू.	48,08.30	25,73.34	25,73.34
पु.	- 22,34.96		..
31 मार्च 2021 को ₹ 22,34.96 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्यों के प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(49) टाउन हाल निर्माण			
[01] सामान्य			
मू.	20,60.70	..	..
पु.	- 20,60.70		
31 मार्च 2021 को ₹ 20,60.70 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(51) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[01] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	4,45,45.45		
अ.	3,49,26.39	3,97,35.92	..
पु.	- 3,97,35.92		
मार्च, 2021 में ₹ 3,49,26.39 लाख का अनुपूरक अनुदान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से प्राप्त निधियां की प्रत्याश में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। 31 मार्च 2021 को ₹ 3,97,35.92 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,02,85.02 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,94,50.90 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध			
मू.	2,50,00.00		
पु.	- 1,11,74.47	1,38,25.53	..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,11,74.47 लाख का प्रावधान राजस्थान शहरी विकास निधि को निधियां कम हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(08) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00,00.04		
पु.	- 91,32.26	1,08,67.78	1,08,67.20
31 मार्च 2021 को ₹ 91,32.26 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(19) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर यू एस डी आई पी)			
[01] चतुर्थ चरण – ई ए पी			
मू.	10,64.02	4,52.97	4,52.96
पु.	- 6,11.05		- 0.01

₹ 6,11.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 89 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 64 पदों के रिक्त रहने, (ii) कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों के चौथे चरण के लिए किराए पर नए कार्यालयों का गठन नहीं किया गया जिसके लिए गार्ड और ग्रुप डी के कर्मचारियों को लगाया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध आधार पर गार्ड और ग्रुप डी के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया, इसलिए किराया और संविदात्मक सेवाओं पर कम व्यय हुआ तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए नई वस्तुओं की खरीद पर प्रतिबंध के कारण कम्प्यूटर वस्तुओं का क्रय नहीं होने को आरोपित की गयी।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,00,00.02	1,17,00.00	1,17,00.00
पु.	16,99.98		..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[01] विद्युत् प्रभार हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	21,00.00	63,46.34	63,46.34
पु.	42,46.34		..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[03] अनुरक्षण एवं मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू.	1,10.00	4,68.03	4,68.03
पु.	3,58.03		..

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[05] बल्क वाटर सप्लाई के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भुगतान करने हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	80.00	14,60.14	14,60.14
पु.	13,80.14		..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 76,84.49 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] ग्रीन टेक्स			
मू.	1,73,15.00	2,18,47.00	2,18,47.00
पु.	45,32.00		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,32.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को संग्रहण के अनुसार ग्रीन टेक्स के हस्तान्तरण करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार			
मू.	2,56,15.00	2,92,15.00	2,92,15.00
पु.	36,00.00		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार के हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(15) राजस्थान झील विकास प्राधिकरण			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	24.00	3,85.60	3,85.60
पु.	3,61.60		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,61.60 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,22,28.34	2,51,35.63	2,51,35.63
पु.	1,29,07.29		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,29,07.29 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत परिवहन विभाग को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 60,55.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 2,96,42.86 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 60,55.55 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 8,46.34 लाख अनुभ्यर्पित रही जोकि विभिन्न कारणों से राजकीय लेखे में ₹ 9,30.08 लाख की राशि जमा कराने के कारण थी तथा ऐसे प्रकरणों को अनुदान के अन्तर्गत बताया गया है।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 7,83,22.71 लाख, ₹ 5,50,84.44 लाख, ₹ 1,96,80.13 लाख, ₹ 4,89,61.28 लाख तथा ₹ 60,55.55 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 13.32 प्रतिशत से 44.94 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू.	6,87.00	45.28	45.28
पु.	- 6,41.72		..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,41.72 लाख का प्रावधान शहरी जनसहभागी योजना के अन्तर्गत कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[05] विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य			
मू.	4,80.36	..	..
पु.	- 4,80.36		
31 मार्च 2021 को ₹ 4,80.36 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)। वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर ओ बी)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	30,91.05	23,47.16	23,47.16
पु.	- 7,43.89		..
31 मार्च 2021 को ₹ 7,43.89 लाख का प्रावधान ठेकेदारों से कम बिल प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू.	0.01	..	- 1,00.05
पु.	- 0.01		- 1,00.05
₹ 1,00.05 लाख के ऋण व्यय जोधपुर क्षेत्र में कार्य के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त हुए बकाया अंशदान को जमा कराने के कारण था।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर यू एस डी आई पी)			
[01] चतुर्थ चरण (ई ए पी)			
मू.	1,64,35.00	1,41,17.91	1,40,73.96
पु.	- 23,17.09		- 43.95
31 मार्च 2021 को ₹ 23,17.09 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन तथा कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 43.95 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 43.95 लाख जमा कराने के कारण रही।			

### अनुदान संख्या 029 - ( समाप्त )

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	आधिक्य + बचत -
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड			
मू.	60,00.00		
	50,00.00	50,00.00	..
पु.	- 10,00.00		

31 मार्च 2021 को ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्ज कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	0.02		
	2,57.56	- 2,73.55	- 5,31.11
पु.	2,57.54		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,57.54 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान तथा अलवर सीवरेज वर्क्स के कार्य के सम्बन्ध में जीएसटी देयता के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 5,31.11 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 5,31.11 लाख जमा कराने के कारण रही।



अनुदान संख्या 030 – जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2404.	डेयरी विकास,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	कमान क्षेत्र विकास,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3075.	अन्य परिवहन सेवाएं,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
	4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय,
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4802.	पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
6408.	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
6425.	सहकारिता के लिए कर्ज,
6801.	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
7055.	सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

## राजस्व

## दत्तमत

मूल	1,39,48,89,03	1,43,90,94,30	1,31,73,56,31	- 12,17,37,99
अनुपूरक	4,42,05,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				12,06,37,94

## प्रभारित

मूल	9	2,59	2,56	- 3
अनुपूरक	2,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>पूँजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	34,38,36,75	34,38,36,81	21,59,07,67 – 12,79,29,14
अनुपूरक	6		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			13,02,18,18

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 4,42,05.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. ₹ 12,17,37.99 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 11,00.05 लाख अनुभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 17,34,07.01 लाख, ₹ 13,37,00.81 लाख, ₹ 7,00,22.84 लाख, ₹ 15,20,10.66 लाख तथा ₹ 12,17,37.99 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.50 प्रतिशत से 19.03 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] समग्र शिक्षा अंतर्गत जनजातियों क्षेत्र उपयोजना (टी एस पी) पर व्यय			
मू.	10,60,20.00	8,06,33.67	8,06,32.48
पु.	- 2,53,86.33		- 1.19

₹ 2,53,86.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (ii) मार्च, 2020 से सम्बन्धित अर्द्ध मासिक वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2020 में इसका भुगतान स्थगित किया गया, (iii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (iv) निजी निक्षेप खातों में निधियों की उपलब्धता होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	2,50.00	60.07	60.07
पु.	- 1,89.93		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,89.93 लाख का प्रावधान स्वीकृत पदों को प्रतिबद्ध शीर्ष में स्थानान्तरण किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
[01] विद्यालय संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,00,20.00	1,21,09.90	1,21,09.90
पु.	- 79,10.10		..
31 मार्च 2021 को ₹ 79,10.10 लाख का प्रावधान निजी निक्षेप खाते में निधियों की उपलब्धता के कारण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निजी निक्षेप खाते में निधियों का हस्तान्तरण नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 79,00.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 10.10 लाख) किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) मिड डे मील			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	1,72,00.00	1,29,69.45	1,29,69.45
पु.	- 42,30.55		..
31 मार्च 2021 को ₹ 42,30.55 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किये जा सकने के परिणामस्वरूप राज्यांश भी कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)			
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार			
मू.	1,53,00.00	7,50.00	7,50.00
पु.	- 1,45,50.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,45,50.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यालय बन्द होने से दुग्ध योजना के लागू नहीं होने से अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	1,38,07.01		
पु.	- 20,91.87	1,17,15.14	1,17,14.54
			- 0.60
31 मार्च 2021 को ₹ 20,91.87 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण			
[06] अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी ई) अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	1,63.00		
पु.	- 1,63.00	..	..
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,63.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[02] बालिका विद्यालय			
मू.	40,06.09		
पु.	- 7,78.93	32,27.16	32,27.17
			+ 0.01
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[06] लड़कों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,31,02.90		
पु.	- 88,57.36	4,42,45.54	4,42,42.61
			- 2.93
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[07] बालिका के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	54,13.70		
पु.	- 8,15.65	45,98.05	45,96.86
			- 1.19

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,04,51.94 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/ प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू.	6,50.00	..	..
पु.	- 6,50.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 6,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(11) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	16,25.00	7,52.11	7,52.11
पु.	- 8,72.89	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 8,72.89 लाख का प्रावधान साइकिल क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, वर्ष के दौरान केवल पिछले वर्ष की बकाया देनदारियों का भुगतान किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(18) लेपटॉप वितरण			
मू.	6,48.00	..	..
पु.	- 6,48.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 6,48.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की योजनाओं को स्थगित करने के परिणामस्वरूप लेपटॉप का क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(25) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	6,00.00	1,06.58	1,06.58
पु.	- 4,93.42	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,93.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	20,00.00	13,09.55	13,01.30
पु.	- 6,90.45		
31 मार्च 2021 को ₹ 6,90.45 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण महाविद्यालय स्तर की छात्र योजना के लिए शैक्षणिक उत्प्रेरण के लिए व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 8.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनूसूचित जनजातियों के लिए			
मू.	5,30.83	96.39	96.39
पु.	- 4,34.44		
31 मार्च 2021 को ₹ 4,34.44 लाख का प्रावधान कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा			
[01] गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	4,71.00	1,71.00	1,71.00
पु.	- 3,00.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	75,72.81	56,67.30	56,68.76
पु.	- 19,05.51		

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	49,19.68	36,88.27	36,88.80
पु.	- 12,31.41		
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	57,48.65	49,11.01	49,08.55
पु.	- 8,37.64		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 39,74.56 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	18,77.89	11,81.37	11,81.35
पु.	- 6,96.52		
31 मार्च 2021 को ₹ 6,96.52 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	47,15.13	35,95.53	35,94.56
पु.	- 11,19.60		
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) अन्य अस्पताल			
[01] अन्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
मू.	1,02,21.30	87,45.19	87,41.50
पु.	- 14,76.11		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 25,95.71 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अस्पताल तथा औषधालय-आयुर्वेद-प्रतिबद्ध			
मू.	41,13.45		
पु.	- 5,58.05	35,55.40	35,53.65
			- 1.75
31 मार्च 2021 को ₹ 5,58.05 लाख का प्रावधान मुख्यतः कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने तथा आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) के मामलों की स्वीकृति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) पी.पी.मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान			
मू.	6,32.50		
पु.	- 1,87.75	4,44.75	4,44.75
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,87.75 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[01] अस्पताल एवं औषधालय			
मू.	4,76.75		
पु.	- 1,54.00	3,22.75	3,22.02
			- 0.73
31 मार्च 2021 को ₹ 1,54.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने तथा आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) के मामलों की स्वीकृति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
मू.	16,27.20		
पु.	- 12,33.82	3,93.38	3,93.38
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 12,33.82 लाख का प्रावधान मुख्यतः गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[08] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी को अनुदान			
मू.	29,10.00		
पु.	- 4,90.00	24,20.00	24,20.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,90.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	5,35.00	..	..
पु.	- 5,35.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 5,35.00 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू.	36,00.00	18,12.50	18,12.50 ..
पु.	- 17,87.50		
31 मार्च 2021 को ₹ 17,87.50 लाख का प्रावधान राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	20,55.36	14,64.66	14,64.32 - 0.34
पु.	- 5,90.70		
₹ 5,90.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(07) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	42,34.37	24,98.30	24,99.71 + 1.41
पु.	- 17,36.07		
₹ 17,36.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(09) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	2,45,44.69	70,00.00	70,00.00
पु.	- 1,75,44.69		..
₹ 2,45,44.69 लाख का प्रावधान आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम मोड पर अपेक्षित प्रीमियम राशि के भुगतान के लिए अनुमानित था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से उपार्जन प्रक्रिया में अधिक समय लिया गया जिससे योजना 30.01.2021 तक ट्रस्ट मोड पर संचालित की गयी, इस प्रणाली में चिकित्सा संस्थानों को केवल वास्तविक दावों का भुगतान ही किया गया। कोविड-19 महामारी के भय से लाभार्थियों द्वारा सामान्य बीमारियों का कम उपचार लिया गया, जिससे योजना पर कम व्यय हुआ। साथ ही 31.01.2021 से योजना का संचालन प्रीमियम मोड पर प्रारम्भ होने के कारण वित्तीय वर्ष में चार तिमाहियों के स्थान पर एक तिमाही का ही भुगतान किया गया। योजना की अवशेष राशि बैंक एवं निजी निक्षेप खातों में भी उपलब्ध थी। उपरोक्त कारणों से शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,75,44.69 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,75,44.64 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.05 लाख) की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)			
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)-प्रतिबद्ध			
मू.	3,90.10	1,83.24	1,83.24
पु.	- 2,06.86		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,06.86 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[04] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू.	9,57.00	4,78.50	4,78.50
पु.	- 4,78.50		..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,78.50 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए शुभ लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों से तृतीय किश्त के आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेंस सेवा योजना			
मू.	20,83.05	16,30.00	16,30.00
पु.	- 4,53.05		..
₹ 4,53.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य निधि (निवल) में कटौती को आरोपित की गयी क्योंकि राज्य की योजना सीमा भारत सरकार की प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) से अधिक थी।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[03] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	17,66.46	67.50	67.50
पु.	- 16,98.96		..
31 मार्च 2021 को ₹ 16,98.96 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	4,01.72	..	..
पु.	- 4,01.72		..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,01.72 लाख का समस्त प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
मू.	3,78.86	2.25	2.25
पु.	- 3,76.61		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,76.61 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(41) अन्नपूर्णा योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोजना			
मू.	4,04.40	2,17.94	2,17.94
पु.	- 1,86.46		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,86.46 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	9,46.31	..	..
पु.	- 9,46.31	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,46.31 लाख का समस्त प्रावधान <i>स्वच्छ भारत मिशन</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
मू.	23,17.83	2.64	..
पु.	- 23,15.19	2.64	..
31 मार्च 2021 को ₹ 23,15.19 लाख का प्रावधान <i>प्रधानमंत्री आवास योजना</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(44) अन्नपूर्णा योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोजना			
मू.	9,43.60	5,09.17	..
पु.	- 4,34.43	5,09.17	..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,34.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(49) टाउन हाल निर्माण			
[03] जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
मू.	4,04.40	..	..
पु.	- 4,04.40	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,04.40 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(51) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[03] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	87,41.78		
		77,97.92	77,97.92
पु.	- 9,43.86		..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,43.86 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायता अनुदान			
[44] अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	3,00.00		
		..	..
पु.	- 3,00.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायता अनुदान			
[54] कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	12,90.00		
		10,30.50	10,30.50
पु.	- 2,59.50		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,59.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[55] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	5,00.00	3,00.00	3,00.00
पु.	- 2,00.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान कौशल विकास परियोजना हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[56] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुंओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाईप लाईन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु अनुदान			
मू.	10,00.00	..	..
पु.	- 10,00.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुंओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाईप लाईन तथा ड्रिप/ स्प्रिंकलर सेट हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[18] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	2,50.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,50.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,50.00 लाख का प्रावधान कौशल विकास परियोजना हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
[01] कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	3,91.25	1,90.00	1,90.00
पु.	- 2,01.25		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,01.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
[10] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	2,50.00	65.00	65.00
पु.	- 1,85.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,85.00 लाख का प्रावधान कौशल विकास परियोजना हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.)  
[11] विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत विखरी क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम

मू.	1,50.00	..	..	..
पु.	- 1,50.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से  
[01] अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा

मू.	2,85,00.00	2,30,02.93	2,30,02.32	- 0.61
पु.	- 54,97.07			

31 मार्च 2021 को ₹ 54,97.07 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण छात्रवृत्ति तथा वजीफा पर कम व्यय होने से अभ्यर्पित किया गया क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों का भौतिक संचालन देरी से शुरू होने, विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता/संबद्धता के संबंध में देरी और छात्रों को दिए जाने वाले उन्नयन प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति पोर्टल पर निरंतर तकनीकी समस्याएं से भी निधियों का पूर्ण उपयोग प्रभावित हुआ।



**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों के संचालन हेतु अनुदान			
मू. 4,56.10	3,04.56	3,04.54	– 0.02
पु. – 1,51.54			
₹ 1,51.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रावास बंद होने के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू. 6,34.58	4,58.46	4,58.30	– 0.16
पु. – 1,76.12			
₹ 1,76.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रावास बंद होने के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[08] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान			
मू. 11,00.00	7,49.66	7,49.66	..
पु. – 3,50.34			
31 मार्च 2021 को ₹ 3,50.34 लाख का प्रावधान सहरिया क्षेत्र में माँ-बाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[01] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू. 43,88.89	18,90.81	18,90.34	– 0.47
पु. – 24,98.08			
31 मार्च 2021 को ₹ 24,98.08 लाख का प्रावधान एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए वेतन तथा भत्तों, सहायतार्थ अनुदान, विद्युत शुल्क तथा पानी शुल्क, प्रशिक्षण और यात्रा, संविदा सेवाओं, पोशाक एवं खाद्य सामग्री पर आवश्यकतानुसार कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिव्यय + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[05] परियोजना निर्माण			
मू.	8,50.00	3,19.00	3,19.00
पु.	- 5,31.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 5,31.00 लाख का प्रावधान छात्रावास निर्माण एवं विद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यकतानुसार अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय सहायता अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[06] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सहरिया के माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	8,64.80	7,04.20	..
पु.	- 1,60.60		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,60.60 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अनुदान कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	15,67.50	11,68.42	11,64.28
पु.	- 3,99.08		
₹ 3,99.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रावास बन्द होने के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 4.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	78,00.01	54,84.79	54,84.79
पु.	- 23,15.22		
31 मार्च 2021 को ₹ 23,15.22 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति असंतुलित होने से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत केवल नौ महीने के बेरोजगारी भत्तों के भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[03] जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	5,09.00		
पु.	- 1,94.02	3,14.98	3,14.95
			- 0.03

31 मार्च 2021 को ₹ 1,94.02 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण साधिन के रिक्त पदों को नहीं भरने तथा जिला कार्यालय में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[28] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	45,93.00		
पु.	- 5,00.00	40,93.00	40,93.00
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 45,93.00 लाख का प्रावधान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना की दो किशतों के एकमुश्त वार्षिक भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वित्त विभाग ने टुकड़ों में भुगतान की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अंतर्गत कम व्यय हुआ तथा 31 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	3,50.00		
पु.	- 3,50.00	..	..
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये कर्ज हेतु अनुमानित था। यद्यपि, कोविड-19 महामारी के कारण संशोधित अनुमानों में अनुमानित बजट को ₹ 55.00 लाख तक कम कर दिया गया। साथ ही विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ₹ 1,25.02 करोड़ की राशि के 2,307 ऋण आवेदन बैंको को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये जिनमें से केवल ₹ 4,82.37 लाख के 121 ऋण आवेदन ही बैंको द्वारा स्वीकृत किये गये लेकिन बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायक दस्तावेजों सहित प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऋण अनुदान मांग हेतु निदेशालय को अग्रेषित नहीं किये गये परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू.	5,97.10		
		2,58.18	2,60.08
पु.	- 3,38.92		+ 1.90

31 मार्च 2021 को ₹ 3,38.92 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा  
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

मू.	37,78.54		
		33,56.77	33,56.77
पु.	- 4,21.77		..

31 मार्च 2021 को ₹ 4,21.77 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि अनुमान से कम होने तथा इसके अनुसार पेंशन के वितरण पर कम विविध व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

## 2236. पोषण

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से  
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम

मू.	12,61.21		
		6,49.51	6,53.54
पु.	- 6,11.70		+ 4.03

₹ 6,11.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से  
[14] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)

मू.	22,97.11		
		2,56.49	2,56.49
पु.	- 20,40.62		..

31 मार्च 2021 को ₹ 20,40.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[15] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू.	19,88.11		
पु.	- 5,53.24	14,34.87	14,34.82
			- 0.05
31 मार्च 2021 को ₹ 5,53.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	2,69.87		
पु.	- 2,59.99	9.88	9.88
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,59.99 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[03] जल आयोजना हेतु अनुदान			
मू.	7,15.33		
पु.	- 3,48.04	3,67.29	3,67.29
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,48.04 लाख का प्रावधान अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेंहू			
मू.	2,94.75		
पु.	- 1,80.37	1,14.38	1,14.38
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,80.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	29,35.96		
पु.	- 5,01.73	24,34.23	24,34.23
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,01.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[23] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	7,14.00	5,56.97	5,56.95
पु.	- 1,57.03		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,57.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[27] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	5,60.00	1,32.21	1,32.20
अ.	0.01		
पु.	- 4,27.80		
₹ 4,27.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[29] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	4,94.58	32.66	32.66
पु.	- 4,61.92		
31 मार्च 2021 को ₹ 4,61.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[35] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	7,65.40	3,93.34	3,93.33
पु.	- 3,72.06		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,72.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जनजाति क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	41,89.00	35,14.82	35,14.82
पु.	- 6,74.18		
31 मार्च 2021 को ₹ 6,74.18 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	12,13.21	8,33.47	8,33.16
पु.	- 3,79.74		- 0.31
31 मार्च 2021 को ₹ 3,79.74 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण लक्ष्यों के विपरीत कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारण सहाय्य कम जारी करने, (ii) कोविड-19 महामारी के कारण कृषक प्रशिक्षण तथा सेमिनार कम आयोजित करने, (iii) कोषालयों द्वारा बिलों का भुगतान ई.सी.एस. के माध्यम से नहीं करने तथा (iv) बागवानी विकास कार्यक्रम की प्रगति को राज्य की असमान कृषि जलवायु स्थितियों द्वारा प्रभावित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	35,99.16	8,41.46	8,41.46
पु.	- 27,57.70		..
31 मार्च 2021 को ₹ 27,57.70 लाख का प्रावधान कम सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि वर्ष के दौरान अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोलर पम्प सैट हेतु राज्य सरकार को भेजे गये कम्पनी के पैनल के कार्य का अन्तिमीकरण नहीं किया गया तथा कोविड-19 महामारी के कारण भी कार्य प्रभावित हुआ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	30,19.85	6,35.63	6,35.63
पु.	- 23,84.22		..
31 मार्च 2021 को ₹ 23,84.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	4,61.95	1,06.62	1,06.62
पु.	- 3,55.33		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,55.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[03] पशु पालन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,28.00	96.23	96.23
पु.	- 2,31.77		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,31.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[12] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	3,16.67	..	..
पु.	- 3,16.67	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,16.67 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[13] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,16.67	..	..
पु.	- 4,16.67	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,16.67 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[14] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के माध्यम से			
मू.	2,52.00	80.00	80.00
पु.	- 1,72.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,72.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	18,08.00	9,13.94	9,13.94
पु.	- 8,94.06	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 8,94.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[02] पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	26,70.81	15,79.52	15,79.47
पु.	- 10,91.29	..	- 0.05
₹ 10,91.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पशु चिकित्सकों तथा पशुधन परिचारकों की भर्ती नहीं करने तथा (ii) परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद भी पशुधन सहायकों तथा अन्य कर्मियों को नियमित वेतनमान का भुगतान नहीं करने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	15,92.00	13,32.60	13,32.59
पु.	- 2,59.40		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,59.40 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा नए व्यय पर लगाए प्रतिबंध के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[29] पशुधन नस्ल सुधार योजना हेतु अनुदान			
मू.	10,00.00	4,40.95	4,40.95
पु.	- 5,59.05		
31 मार्च 2021 को ₹ 5,59.05 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा नए व्यय पर लगाए प्रतिबंध के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2404. डेयरी विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू.	65,00.00	48,75.00	48,75.00
पु.	- 16,25.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 16,25.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण तथा अन्य कारणों से कोषालय द्वारा समय पर बिल पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किये गया।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) वन संरक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	13,94.81	12,06.52	11,97.89
पु.	- 1,88.29		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,88.29 लाख का प्रावधान मुख्यतः 132 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 8.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(31) समग्र सहकारिता विकास हेतु सहायता			
मू.	1,99.32	..	..
पु.	- 1,99.32	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,99.32 लाख का समस्त प्रावधान योजना के प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गांधी जल संचय योजना			
[02] जल संरक्षण योजना (अनुसूचित जनजाति)			
मू.	17,83.00	8,49.45	8,49.45
पु.	- 9,33.55		..

31 मार्च 2021 को ₹ 9,33.55 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा निधियां कम जारी करने तथा जयपुर जिले के लिए आवंटित निधियों का निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना  
(डीडीयू-जीकेवाई)
- [02] अनुदान

मू.	13,67.29	4,37.60	4,37.60	..
पु.	- 9,29.69			

31 मार्च 2021 को ₹ 9,29.69 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित निधियों पर स्पष्टता नहीं होने के परिणामस्वरूप केवल राज्यांश जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना
- [02] एन आर ई टी पी (अनुसूचित जनजातियों के लिए)

मू.	16,80.00	12,00.00	12,00.00	..
पु.	- 4,80.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 4,80.00 लाख का प्रावधान बंद हुई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना की अवशेष राशि के उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	19,08.85		
पु.	- 9,49.13	9,59.72	9,59.72
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,49.13 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल.आवास			
[03] जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	56,81.88		
पु.	- 18,82.64	37,99.24	37,99.24
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 18,82.64 लाख का प्रावधान पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,54,16.00		
पु.	- 2,07,15.24	47,00.76	47,00.76
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,07,15.24 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	8,94.24		
पु.	- 7,05.90	1,88.34	1,88.34
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 7,05.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	76,35.41		
पु.	- 37,37.18	38,98.23	38,98.23
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 37,37.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) यूनिट-II (नहर)-प्रतिबद्ध			
मू.	11,12.42		
		9,08.71	9,02.71
पु.	- 2,03.71		- 6.00
₹ 2,03.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्य भारत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा चयनित वेतन श्रृंखला में कार्य भारत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।			
₹ 6.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	6,69,46.17		
		5,61,36.11	5,61,36.11
पु.	- 1,08,10.06		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	9,52,71.05		
		8,02,81.84	8,02,81.84
पु.	- 1,49,89.21		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	5,27,62.53		
		4,21,37.34	4,21,37.34
पु.	- 1,06,25.19		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 3,64,24.46 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।

**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) बिजली शुल्क के प्रति अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	90,06.90		
		70,00.00	70,00.00
पु.	- 20,06.90		..
31 मार्च 2021 को ₹ 20,06.90 लाख का प्रावधान बिजली वितरण कम्पनी द्वारा कर के संग्रहण के अनुसार बिजली वितरण कम्पनी को विद्युत शुल्क की जगह सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई पी डी एस)			
[01] आयुक्त उद्योग विभाग			
मू.	3,50.00		
		1,50.00	1,50.00
पु.	- 2,00.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	6,01.71		
		76.94	76.94
पु.	- 5,24.77		..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,24.77 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मेलों-त्योहारों, राजस्थान दिवस आदि, और वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राज्य में कोविड-19 महामारी की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन स्थिति को देखते हुए, आयोजित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	11,22.92		
		7,90.16	7,90.16
पु.	- 3,32.76		..

₹ 3,32.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, वर्ष के दौरान मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं करने तथा कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण, पर्यटन, त्योहारों और सम्मेलनों का आयोजन कम होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] विकास केन्द्र			
मू.	2,14.00	..	..
पु.	- 2,14.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,14.00 लाख का समस्त प्रावधान सूचना, प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[31] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)

मू.	15,30.00	9,52.45	9,52.45	..
पु.	- 5,77.55			

31 मार्च 2021 को ₹ 5,77.55 लाख का समस्त प्रावधान सूचना, प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[36] स्टार्ट अप

मू.	2,79.00	46.33	46.33	..
पु.	- 2,32.67			

31 मार्च 2021 को ₹ 2,32.67 लाख का समस्त प्रावधान सूचना, प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(06) राजस्थान जन आधार योजना  
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	12,00.02	5,00.00	5,00.00	..
पु.	- 7,00.02			

31 मार्च 2021 को ₹ 7,00.02 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिये गये आर्थिक उपायों के परिणामस्वरूप 2019-20 से पूर्व नामित परिवारों के जन आधार कार्ड के मुद्रण तथा वितरण कार्य, अन्य आई.टी. कार्य, ए.टी.एम. में नकद प्रबंधन तथा स्वयं सेवा कियोस्क (शहरी तथा ग्रामीण) पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	16,72.00	25,32.00	25,32.00
पु.	8,60.00		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,60.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	21,55.00	27,55.00	..
पु.	6,00.00		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू.	72,00.00	1,04,82.29	1,04,65.35
पु.	32,82.29		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,82.29 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान आर टी ई पोर्टल पर शैक्षणिक वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित प्रथम/द्वितीय किश्त की बकाया फीस का सत्यापन एवं उसके भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।			- 16.94
₹ 16.94 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 16.95 लाख जमा कराने के कारण रही।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	71,88.65	81,57.54	79,52.58
पु.	9,68.89		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,68.89 लाख की अतिरिक्त निधियां छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों की संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			- 2,04.96
₹ 2,04.96 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 2,04.94 लाख जमा कराने के कारण रही।			

**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	21,45.00	27,94.32	27,85.90
पु.	6,49.32		
			- 8.42
<p>31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,49.32 लाख की अतिरिक्त निधियां जनजाति कल्याण निधि के तहत छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्रों की शैक्षणिक उत्प्रेरण की योजनाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p> <p>₹ 8.42 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।</p>			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	22,45.02	26,64.36	26,64.34
पु.	4,19.34		
			- 0.02
<p>31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,19.34 लाख की अतिरिक्त निधियां चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान, बैच 2019 के रेजीडेन्ट को दो साल के वजीफा का भुगतान और सीएएस (अध्ययन के लिए स्वीकृति की पुष्टि) पीजी रेजीडेन्ट को वजीफे का भुगतान बिना अध्ययन अवकाश की मंजूरी के दिये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।</p>			
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	2,27,46.16	3,44,20.00	3,44,20.00
पु.	1,16,73.84		
			..
<p>31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,16,73.84 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।</p>			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	44,19.35	63,82.47	63,82.47
पु.	19,63.12		
			..
<p>31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,63.12 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।</p>			



अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(47) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत सहायता			
[03] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत सहायता			
मू.	37,87.87	47,31.73	47,31.73
पु.	9,43.86		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,43.86 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,11,01.14	1,60,53.38	1,60,53.38
पु.	49,52.24		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,52.24 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) अनुसूचित जनजाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	7,00.00	17,67.36	17,67.36
पु.	10,67.36		..
₹ 7,00.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मामलों के सम्बन्ध में तुरन्त सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,67.36 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष से सम्बन्धित बकाया दायित्वों के भुगतान तथा अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सी सी टी एन एस) से विभागीय पोर्टल का एकीकरण से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जनजाति के लिए सहयोग योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	3,00.00	5,44.52	5,48.89
पु.	2,44.52		+ 4.37
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,44.52 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 4.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) अनुसूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	32,00.00		
पु.	51,85.66	83,85.66	84,01.21 + 15.55
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51,85.66 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान लाभार्थी बच्चों की संख्या में 58,556 से 73,912 वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 15.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[45] स्वरोजगार हेतु अनुदान			
मू.	0.01	19,58.90	19,58.90 ..
पु.	19,58.89		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,58.89 लाख की अतिरिक्त निधियां जनजाति कल्याण निधि के तहत स्वरोजगार के लिए अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	2,95.00	5,04.56	5,03.96 - 0.60
पु.	2,09.56		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,09.56 लाख की अतिरिक्त निधियां जन जाति कल्याण निधि के तहत माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्रों को शैक्षणिक उत्प्रेरण के लिए छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[18] सहरिया के लिए एकीकृत विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	22,00.00	26,99.30	26,99.30 ..
पु.	4,99.30		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,99.30 लाख की अतिरिक्त निधियां जनजाति कल्याण निधि के तहत सहरिया के लिए एकीकृत विकास परियोजना हेतु अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[13] जनजाति बालक बालिकाओं के लिए कोंचिग			
मू.	0.01	10,00.00	10,00.00
पु.	9,99.99		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	2,94.00	7,18.91	7,18.21
पु.	4,24.91		- 0.70
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,24.91 लाख की अतिरिक्त निधियां जन जाति कल्याण निधि के तहत माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्रों को शैक्षणिक उत्प्रेरण के लिए छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23) प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों हेतु सहायता			
[01] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
अ.	0.01	8,00.00	8,00.00
पु.	7,99.99		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ( पी.एम.के.वी.वाई.)			
[02] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (जनजाति क्षेत्र के लिए)			
मू.	0.01	1,62.00	1,62.00
पु.	1,61.99		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,61.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिव्यय + बचत –
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) संकल्प योजना			
[02] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (जनजाति क्षेत्र के लिए)			
मू.	0.02	1,56.47	1,56.46
पु.	1,56.45		- 0.01
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,56.45 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	23,36.33	30,43.52	30,43.52
पु.	7,07.19		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,07.19 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
मू.	1,28,38.99	1,46,49.41	1,46,15.53
पु.	18,10.42		- 33.88
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,10.42 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 33.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	1,00,00.00	1,25,01.24	1,24,99.92
पु.	25,01.24		- 1.32
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,01.24 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(28) फसल बीमा ( 50 प्रतिशत राज्यांश : 50 प्रतिशत केन्द्रीयंश)			
मू.	2,09,95.48	4,05,81.80	4,05,81.99
पु.	1,95,86.32		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,95,86.32 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			+ 0.19
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु सहायता (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	12,35.67	15,09.64	15,09.63
पु.	2,73.97		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,73.97 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 0.01
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	7,42.58	20,82.89	20,82.89
पु.	13,40.31		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,40.31 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) गोपालन विभाग			
[01] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू.	1,30,00.00	1,72,70.19	1,72,70.19
पु.	42,70.19		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42,70.19 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[03] राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट शीर्ष 8229-00-104-(02) में अन्तरण			
मू.	1,30,00.00	1,81,00.00	1,81,00.00
पु.	51,00.00		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि को निधियों के अन्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	17,00.00		
पु.	5,57.42	22,57.42	22,64.85 + 7.43
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,57.42 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 7.43 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेंट			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू.	36,99.00	59,71.66	59,71.66 ..
पु.	22,72.66		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,72.66 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंतिम वर्ष होने के कारण योजना के अन्तर्गत कार्य की प्रगति के अनुसार भारत सरकार से निधियां अधिक प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)			
मू.	10,00,00.00	10,88,73.88	10,88,73.88 ..
पु.	88,73.88		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88,73.88 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) के तहत कार्य की प्रगति अनुसार अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	0.01	2,99.56	2,99.56 ..
पु.	2,99.55		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,99.55 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(08) जिला नवाचार निधि योजना			
[03] नवाचार गतिविधियों के लिये अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
अ .	0.01		
		1,65.00	1,65.00
पु .	1,64.99		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,64.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नई गतिविधियों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

3055. सड़क परिवहन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू .	23,97.36		
		49,28.53	49,28.53
पु .	25,31.17		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,31.17 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू .	0.02		
		4,17.57	4,17.57
पु .	4,17.55		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,17.55 लाख की अतिरिक्त निधियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू .	47,90.00		
		75,03.78	75,02.04
पु .	27,13.78		- 1.74

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,13.78 लाख की अतिरिक्त निधियां कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा मुफ्त गेहूं के परिवहन, संग्रहण और वितरण पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	95,70.00		
		2,09,43.95	2,09,35.25
पु.	1,13,73.95		- 8.70

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,13,73.95 लाख की अतिरिक्त निधियां कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा मुफ्त गेहूँ के परिवहन, संग्रहण और वितरण पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 8.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## पूँजी

## दत्तमत

- ₹ 12,79,29.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 13,02,18.18 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 3,34,35.00 लाख, ₹ 6,28,26.57 लाख, ₹ 7,78,81.07 लाख, ₹ 6,37,92.59 लाख तथा ₹ 12,79,29.14 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.14 प्रतिशत से 37.21 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,31.69		
		3,93.84	3,93.84
पु.	- 5,37.85		..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,37.85 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	5,00.64		
		2,38.37	2,36.26
पु.	- 2,62.27		- 2.11

31 मार्च 2021 को ₹ 2,62.27 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।



अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	3,12.17	1,52.61	1,52.61
पु.	- 1,59.56		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,59.56 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-निर्माण कार्य			
मू.	3,75.40	1,56.89	1,62.58
पु.	- 2,18.51		+ 5.69

31 मार्च 2021 को ₹ 2,18.51 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5.69 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	3,25.00	1,67.89	1,67.89
पु.	- 1,57.11		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,57.11 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	8,49.00	1,54.18	1,54.18
पु.	- 6,94.82		..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,94.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	12,00.00	9,60.00	9,60.00
पु.	- 2,40.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,40.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	78,00.00	59,93.82	59,93.82
पु.	- 18,06.18		..
31 मार्च 2021 को ₹ 18,06.18 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	3,71.34	..	..
पु.	- 3,71.34		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,71.34 लाख का समस्त प्रावधान निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निविदायें प्राप्त नहीं होने से विद्यमान पॉलिटेक्निकों के उन्नयन एवं नवीन पॉलिटेक्निकों की स्थापना के अन्तर्गत सामग्री की खरीद नहीं होने तथा उदयपुर एवं केलवाड़ा में नवीन महाविद्यालयों के निर्माण हेतु साख सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	3,54.49	30.00	30.00
पु.	- 3,24.49		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,24.49 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	18,00.02	6,95.62	6,95.62
पु.	- 11,04.40		..
31 मार्च 2021 को ₹ 11,04.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	13,38.00	7,26.52	7,25.63
पु.	- 6,11.48		- 0.89
31 मार्च 2021 को ₹ 6,11.48 लाख का प्रावधान (i) वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित नये निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं करने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण मशीनरी तथा उपकरणों का क्रय नहीं किया गया जबकि क्रय की सभी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी लेकिन सामग्री प्राप्त नहीं होने से भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	9,50.01	3,53.80	3,53.80
पु.	- 5,96.21		..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,96.21 लाख का प्रावधान राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से कैथ लैब के सहायक उपकरण के क्रय के लिए दर अनुबंध को अंतिम रूप नहीं देने तथा जनवरी, 2021 के अंत में वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने से आधुनिकीकरण/नवीनीकरण के लिए निष्पादित कार्यों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	29,50.02	19,25.11	19,25.12
पु.	- 10,24.91		+ 0.01
₹ 10,24.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिव्यय + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	8,40.02		
पु.	- 7,59.78	80.24	80.23
			- 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 7,59.78 लाख का प्रावधान जे.के.लोन अस्पताल, कोटा में अतिरिक्त निर्माण कार्य अन्य लेखा शीर्षों के द्वारा निष्पादित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	15,00.00		
पु.	- 7,06.44	7,93.56	7,93.55
			- 0.01
₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट के लिए उपकरणों की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2021 को ₹ 7,06.44 लाख का प्रावधान (i) एकल निविदा पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के परिणामस्वरूप प्रक्रिया पूरी नहीं करने तथा (ii) ठेकेदारों द्वारा, जिसके लिए क्रय के आदेश दिये गये थे, बिलों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	9,33.39		
पु.	- 6,41.80	2,91.59	2,91.59
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 6,41.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	15,00.02		
पु.	- 15,00.02	..	..
			..
₹ 15,00.02 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य सड़क एवं विकास निगम के द्वारा 100 पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य हेतु अनुमानित था, लेकिन मेडिकल कॉलेज को नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जुलाई, 2019 में प्राप्त होने तथा अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक भूमि दिसम्बर, 2020 में आवंटित करने तथा अल्पावधि में नई आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करना संभव नहीं होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को ₹ 15,00.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस.चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	23,18.00	16,28.10	16,28.10
पु.	- 6,89.90		..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,89.90 लाख का प्रावधान (i) पीजी सीटों-द्वितीय चरण को बढ़ाने के लिए नए निर्माणों के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति कम जारी करना, (ii) ठेकेदारों से बिल प्राप्त नहीं होने, (iii) आईपीडी ब्लॉक के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी का निर्धारण नहीं करने, (iv) एकल निविदा पर अंतिम निर्णय नहीं होने के परिणामस्वरूप प्रक्रिया पूरी नहीं होने तथा (v) जिस खरीद के आदेश दिए गये थे फर्मों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II  
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू.	5,00.02	..	..
पु.	- 5,00.02		..

31 मार्च 2021 को ₹ 5,00.02 लाख का समस्त प्रावधान पी.जी. सीट्स बढ़ाने के लिये नये निर्माण कार्यों के साथ साथ मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था ।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेज का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II  
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर

मू.	5,80.01	2,64.21	2,64.21
पु.	- 3,15.80		..

31 मार्च 2021 को ₹ 3,15.80 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय  
[90] निर्माण कार्य

मू.	1,10,65.00	30,00.00	30,00.00
पु.	- 80,65.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 80,65.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[27] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज-2			
मू.	8,49.08		
		3,91.82	
पु.	- 4,57.26	3,91.82	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[30] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	8,32.01		
		4,91.81	
पु.	- 3,40.20	4,91.81	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[40] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	4,90.01		
		3,06.32	
पु.	- 1,83.69	3,06.32	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[48] बांसवाड़ा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	13,21.00		
		2,13.38	
पु.	- 11,07.62	2,13.38	..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 20,88.77 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[45] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	22,56.00		
		10,76.64	
पु.	- 11,79.36	10,76.64	..

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[52] ईसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	80,98.00		
पु.	- 58,16.82	22,81.18	22,80.47
			- 0.71

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 69,96.18 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[20] पोकरण-फलसुंड जल प्रदाय परियोजना			
मू.	28,68.00		
पु.	- 25,89.86	2,78.14	2,78.14
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 25,89.86 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[59] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	2,06.00		
पु.	- 1,97.56	8.44	8.44
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,97.56 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[73] बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू.	2,03.01		
पु.	- 2,03.01	..	..
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,03.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना अनुमोदित नहीं होने से कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2019-20 में भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	13,03.00	5,17.39	5,17.39
पु.	- 7,85.61		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[37] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	3,78.00	1,18.59	1,17.29
पु.	- 2,59.41		- 1.30
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[45] ईसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	19,98.00	1,34.98	1,34.98
पु.	- 18,63.02		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 29,08.04 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाले पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्तों को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	4,05.00	2,22.00	2,22.00
पु.	- 1,83.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,83.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	5,17.00		
पु.	- 5,06.27	10.73	10.73
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,06.27 लाख का प्रावधान (i) बहरोड़, तिजारा और खैरथल का कार्य ठेकेदारों द्वारा बीच में छोड़ देने से कार्यों का कम निष्पादन होने तथा (ii) शहरी जलपूर्ति योजनाओं, अलवर तथा राजगढ़ के समयावधि बढ़ाने के मामले लंबित होने से व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	2,03.00		
पु.	- 2,03.00	..	..
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	3,67.00		
पु.	- 3,67.00	..	..
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[46] चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट द्वितीय (शहरी)			
मू.	1,89.00		
पु.	- 1,89.00	..	..
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[47] जवांई, पाली पाईपलाईन परियोजना फेज-द्वितीय पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	1,70.00		
पु.	- 1,70.00	..	..
			..

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[56] डूंगरपुर, आसपुर एवं डोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	4,93.00	..	..
पु.	- 4,93.00	..	..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 14,22.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2019-20 के दौरान भी शीर्ष "4215-01-796(02) [40], [43], [47] तथा [56] " के अंतर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[06] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)			
मू.	4,27.00	88.57	88.57
पु.	- 3,38.43		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[07] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबार्ड)			
मू.	36,74.00	20,36.01	20,36.01
पु.	- 16,37.99		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[08] कलस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा			
मू.	8,49.00	4,83.61	4,83.61
पु.	- 3,65.39		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[12] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर कलस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग- द्वितीय (नाबार्ड)			
मू.	46,37.00	18,62.98	18,62.98
पु.	- 27,74.02		..

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[14] नर्मदा डी.आर.क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू.	8,12.00	5,50.63	5,50.63
पु.	- 2,61.37		
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[15] बाडमेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	16,75.00	10,49.41	10,49.41
पु.	- 6,25.59		
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू.	8,90.00	8.24	8.24
पु.	- 8,81.76		
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[26] अंता-मांगरेल तहसील जिला बांरा की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	4,27.00	1,06.85	1,06.85
पु.	- 3,20.15		
01. जलपूर्ति			..
उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 72,04.70 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	57,61.00	27,39.03	27,39.03
पु.	- 30,21.97		
01. जलपूर्ति			..
31 मार्च 2021 को ₹ 30,21.97 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[03] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	25,00.00	16,00.00	16,00.00
पु.	- 9,00.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 9,00.00 लाख का प्रावधान एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू.	8,00.00	..	..
पु.	- 8,00.00		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[11] खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	10,00.00	..	..
पु.	- 10,00.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान खेल सुविधाओं के विकास एवं खेलकूद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्कीम हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू.	8,00.00	..	..
पु.	- 8,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[16] बाउण्ड्रीवॉल निर्माण तथा मरम्मत			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[17] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य			
मू.	4,00.00	..	..
पु.	- 4,00.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[20] अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत माँ बाड़ी केन्द्रों का निर्माण, सुविधाओं का विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	9,90.00	6,60.00	..
पु.	- 3,30.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,30.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	8,53.14	..	..
पु.	- 8,53.14	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 8,53.14 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र तथा उपकरण			
मू.	3,50.00	..	..
पु.	- 3,50.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यालयों के बंद रहने के कारण संयंत्र तथा उपकरणों के लिए खरीद प्रक्रिया में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	2,87.77	..	..
पु.	- 2,87.77	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,87.77 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
195. सहकारिता को सहायता			
(05) जन जातियों के लिए सहकारी समितियों में विनियोजन			
[03] समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता			
मू.	3,33.32	..	..
पु.	- 3,33.32	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,33.32 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	63,00.00		
पु.	- 32,13.00	30,87.00	30,87.00
31 मार्च 2021 को ₹ 32,13.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन (राष्ट्रीय रूरुर्बन मिशन)			
मू.	14,80.00		
पु.	- 9,94.00	4,86.00	4,86.00
31 मार्च 2021 को ₹ 9,94.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
06. सीमा क्षेत्र विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	9,40.00		
पु.	- 5,75.00	3,65.00	3,65.00
31 मार्च 2021 को ₹ 5,75.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[02] बाई मुख्य नहर			
मू.	3,84.00		
पु.	- 2,53.71	1,30.29	1,30.29
31 मार्च 2021 को ₹ 2,53.71 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण, कार्यों का आवंटन जून-2020, नवंबर-2020 और फरवरी-2021 के महीनों में किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यों के लिए समय की उपलब्धता कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,16,24.00		
पु.	- 35,07.70	81,16.30	81,16.17
			- 0.13

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
34. धोलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	39,61.68	6,99.98	6,99.98
पु.	- 32,61.70		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 67,69.40 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	49,72.19	24,13.45	23,90.69
पु.	- 25,58.74		- 22.76
₹ 49,72.19 लाख का प्रावधान ब्रीक्स देशों के न्यू डवलपमेंट बैंक द्वारा पोषित इन्दिरा गाँधी मुख्य नहर, इसकी शाखाएं, वितरिकाएं तथा माइनर के पुनरुद्धार हेतु अनुमानित था। इन्दिरा गाँधी नहर फीडर के बंद होने के पश्चात् माह मार्च से मई 2020 में मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाना था लेकिन कोविड-19 को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को ₹ 25,58.74 लाख की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित की गयी।			
₹ 22.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	9,37.07	..	..
पु.	- 9,37.07		..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,37.07 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2019-20 में भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	5,18.00	2,47.43	2,47.03
पु.	- 2,70.57		- 0.40



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	5,60.00		
पु.	- 1,92.79	3,67.21	3,67.21
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	5,60.00		
पु.	- 2,84.42	2,75.58	2,75.58
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) गागरिन परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	6,30.00		
पु.	- 4,48.08	1,81.92	1,81.92
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,60.69		
पु.	- 5,08.66	52.03	52.03
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 17,04.52 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	6,50.00		
पु.	- 6,50.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,50.00 लाख का समस्त प्रावधान विश्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच परियोजना समझौता और ऋण समझौता के निष्पादन नहीं होने के परिणामस्वरूप कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	62,73.46		
पु.	- 8,66.92	54,06.54	53,95.38
			- 11.16
₹ 8,66.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्य भारत कर्मचारियों की नियमित सेवानिवृत्ति होने, (ii) चयनित वेतन श्रृंखला में कार्य भारत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
₹ 11.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[01] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	6,86.00		
पु.	- 3,55.26	3,30.74	3,30.73
			- 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 3,55.26 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से			
मू.	59,71.39		
पु.	- 46,22.39	13,49.00	13,49.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 46,22.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	57,75.00		
पु.	- 53,52.04	4,22.96	4,22.96
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	41,25.00		
पु.	- 41,25.00	..	..
		..	..

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	69,93.35		
		20,85.44	20,85.44
पु.	- 49,07.91		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,43,84.95 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती करने के परिणामस्वरूप बिजली कम्पनियों में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	97,58.00		
		19,37.44	19,37.44
पु.	- 78,20.56		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,19,62.50		
		14,88.48	14,88.48
पु.	- 1,04,74.02		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,82,94.58 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती करने के परिणामस्वरूप बिजली कम्पनियों में कम निवेश के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[03] रिफायनरी (टी एस पी)			
मू.	1,00,00.00		
		42,95.00	42,95.00
पु.	- 57,05.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 57,05.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा रिफायनरी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	1,96.00	..	..
पु.	- 1,96.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,96.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2017-18 से 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डी एम आई सी)			
[01] भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति			
मू.	17,00.00	9,99.90	9,55.97 - 43.93
पु.	- 7,00.10		
31 मार्च 2021 को ₹ 7,00.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 43.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	87,62.00	11,88.55	11,88.55 ..
पु.	- 75,73.45		
31 मार्च 2021 को ₹ 75,73.45 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 67,04.47 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 8,68.98 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	34,80.04	19,44.13	19,44.13 ..
पु.	- 15,35.91		
31 मार्च 2021 को ₹ 15,35.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	5,96.46	1,20.75	1,20.75
पु.	- 4,75.71		..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,75.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,44,93.98	60,10.07	60,10.07
पु.	- 84,83.91		..
31 मार्च 2021 को ₹ 84,83.91 लाख का प्रावधान सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	91,85.49	60,06.76	60,06.76
पु.	- 31,78.73		..
31 मार्च 2021 को ₹ 31,78.73 लाख का प्रावधान सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	7,34.84	4,10.84	4,11.15
पु.	- 3,24.00		+ 0.31
31 मार्च 2021 को ₹ 3,24.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,41,54.00	76,78.00	76,78.00
पु.	- 64,76.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 64,76.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(18) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित			
ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	35,78.76		
पु.	- 24,06.09	11,72.67	11,82.67 + 10.00
31 मार्च 2021 को ₹ 24,06.09 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 10.00 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(18) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित			
ग्रामीण सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,86.30		
पु.	- 1,92.45	93.85	94.65 + 0.80
31 मार्च 2021 को ₹ 1,92.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	26,36.86		
पु.	- 6,16.19	20,20.67	20,21.28 + 0.61
31 मार्च 2021 को ₹ 6,16.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	9,88.82		
पु.	- 2,31.07	7,57.75	7,57.98 + 0.23
31 मार्च 2021 को ₹ 2,31.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	6,59.22		
पु.	- 1,54.05	5,05.17	5,05.32 + 0.15
31 मार्च 2021 को ₹ 1,54.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	8,60.23	2,00.00	2,00.00
पु.	- 6,60.23		..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,60.23 लाख का प्रावधान (i) कार्यकारी एजेंसी से आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं होने से मेवाड़ कॉम्प्लेक्स और कृष्ण सर्किट-उदयपुर में विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृती जारी नहीं होने, (ii) सोनहरी कोठी और तेलियों का तालाब, टॉक का काम शुरू नहीं होने, (iii) नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने और कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों का कम निष्पादन होने तथा (iv) तकनीकी समस्या के कारण कोषागार में बिलों के प्रस्तुतीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	3,00.00	88.58	88.58
पु.	- 2,11.42		..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,11.42 लाख का प्रावधान (i) लोहागढ़-भरतपुर लाइट एण्ड साउंड शो के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी तथा तकनीकी समस्या के कारण कोषालय में बिलों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी आई एस			
मू.	8,30.00	3,99.99	3,99.99
पु.	- 4,30.01		..

31 मार्च 2021 को ₹ 4,30.01 लाख का प्रावधान सूचना, प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान जन आधार योजना			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	8,45.00	1,02.00	1,02.00
पु.	- 7,43.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 8,45.00 लाख का प्रावधान राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान जन आधार रजिस्ट्रार डाटा डिपोजीटरी, हार्डवेयर अपग्रेडेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, एप्लीकेशन डवलपमेंट, नये प्लेटफार्म पर माइग्रेशन की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु ₹ 8,45.00 लाख का प्रावधान अनुमानित था। यद्यपि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए आर्थिक उपायों के कारण प्रावधान में कटौती करने के कारण 31 मार्च 2021 को ₹ 7,43.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	34,11.28	..	..
पु.	- 34,11.28	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 34,11.28 लाख का समस्त प्रावधान एशियन विकास बैंक द्वारा ऋण जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) महाविद्यालय शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,10.00	7,02.01	- 1.99
पु.	2,92.01	7,00.02	..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,92.01 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	10,72.00	19,32.00	..
पु.	8,60.00	19,32.00	..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	11,52.84	20,23.00	..
पु.	8,70.16	20,23.00	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,30.16 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	0.04	2,90.11	2,90.08
पु.	2,90.07		- 0.03
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,90.07 लाख की अतिरिक्त निधियां जे.के.लोन अस्पताल, कोटा में नवजात आई.सी.यू. के लिए 40 नए बेड पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	75,25.57	89,19.16	89,02.46
पु.	13,93.59		- 16.70
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,93.59 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 16.70 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 16.70 लाख जमा कराने के कारण रही।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[16] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	23,03.00	29,39.93	29,39.93
पु.	6,36.93		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,36.93 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[69] नर्मदा नहर में जल संसाधन विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि			
मू.	16.01	3,23.84	3,23.84
पु.	3,07.83		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,07.83 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[74] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II पार्ट-बी			
मू.	2,71.05		
पु.	4,42.22	7,13.27	7,13.27
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,42.22 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	51,89.00		
पु.	7,18.88	59,07.88	58,86.62
			- 21.26
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,18.88 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 21.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू.	20,00.00		
पु.	16,99.83	36,99.83	36,99.83
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,99.83 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[04] चुरू-झुन्झुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू.	0.02		
पु.	2,12.93	2,12.95	2,12.95
			..

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[09] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू.	67.00	3,03.77	3,03.77
पु.	2,36.77		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[13] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	1,88.00	6,53.74	6,53.74
पु.	4,65.74		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[18] जवाई कलस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू.	6,73.00	14,58.00	14,58.00
पु.	7,85.00		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू.	0.02	1,76.93	1,76.93
पु.	1,76.91		
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,77.35 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	54,34.05	99,43.34	99,43.34
पु.	45,09.29		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,09.29 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण			
मू.	10,49.50	17,15.67	17,15.67
पु.	6,66.17		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,66.17 लाख की अतिरिक्त निधियां जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] नहरों का सुदृढीकरण			
मू.	3,00.00	12,33.75	12,33.75
पु.	9,33.75		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,33.75 लाख की अतिरिक्त निधियां विभाग द्वारा संचालित नहरों के सुदृढीकरण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[03] जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान			
मू.	10,00.00	18,33.61	18,33.61
पु.	8,33.61		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,33.61 लाख की अतिरिक्त निधियां विभाग द्वारा संचालित जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के पुनरुत्थान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	10,00.00	26,20.00	26,20.00
पु.	16,20.00		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,20.00 लाख की अतिरिक्त निधियां विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू.	5,00.00	30,17.00	30,17.00
पु.	25,17.00		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,17.00 लाख की अतिरिक्त निधियां एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[19] टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01	4,75.00	4,75.00
पु.	4,74.99		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,74.99 लाख की अतिरिक्त निधियां विभाग के नियंत्रण के तहत आवासीय क्वार्टरों का निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	7,35.00	11,75.05	11,75.05
पु.	4,40.05		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,40.05 लाख की अतिरिक्त निधियां जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,29.20	13,64.94	13,64.94
पु.	4,35.74		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,35.74 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः राजस्थान शहरी ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्माण कार्यों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण गोदामों का निर्माण			
मू.	2,86.00		
पु.	2,87.40	5,73.40	5,73.40
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,87.40 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु चिकित्सालय तथा पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी- XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	12,00.00	17,00.00	17,00.00
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	68.10		
पु.	3,61.36	4,29.46	4,29.46
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,61.36 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	0.01		
पु.	8,45.77	8,45.78	8,45.78
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,45.77 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) माही नहरी तंत्र का उन्नयन/पुनर्जीविकरण/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	15,00.00		
पु.	4,49.01	19,49.01	19,49.01
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,49.01 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	24,50.00		
पु.	7,38.08	31,88.08	31,88.08
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,38.08 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	17,89.38		
पु.	4,05.24	21,94.62	21,94.62
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,05.24 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	11,92.92		
पु.	3,99.48	15,92.40	16,00.12
			+ 7.72
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,99.48 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 7.72 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 030 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	39,36.64	47,90.65	48,00.65
पु.	8,54.01		+ 10.00

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,54.01 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 10.00 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

03. राज्य राजमार्ग  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना  
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)

मू.	53,12.28	69,32.64	69,32.64	..
पु.	16,20.36			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,20.36 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना  
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें  
[13] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV  
(सड़क उन्नयन परियोजना)

मू.	4,41.77	14,63.82	14,63.82	..
पु.	10,22.05			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,22.05 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान की कटौती अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[02] 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिये संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	24,15.01	..	24,15.00
पु.	- 24,15.01		+ 24,15.00

31 मार्च 2021 को ₹ 24,15.01 लाख के समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा बिना प्रावधान के ₹ 24,15.00 लाख के व्यय होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



अनुदान संख्या 031 – पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

### अनुदान संख्या 032 – नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3456. सिविल पूर्ति और  
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
पूंजी – 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर  
पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,17,04,35	6,06,79,69	5,87,91,23	– 18,88,46
अनुपूरक	2,89,75,34			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				18,62,93
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	8,68	8,38	– 30
अनुपूरक	8,67			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				17
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,24,62	4,24,62	84,21	– 3,40,41
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,40,41

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 18,88.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 2,89,75.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 18,88.46 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 18,62.93 लाख अभ्यर्पित की गई। दोनों राशियों में ₹ 25.53 लाख का अन्तर ₹ 25.24 लाख राजकीय खाते में जमा कराने के कारण था।

**अनुदान संख्या 032 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[02] जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	30,95.30		
पु.	- 3,99.60	26,95.70	26,94.44
			- 1.26
₹ 3,99.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाद्यान्न वितरण			
[08] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	0.02		
अ.	14,63.23	7,85.43	7,85.10
पु.	- 6,77.82		- 0.33

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु लिया गया ₹ 14,63.23 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 6,77.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

**पूँजी**

**दत्तमत**

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 4,17.28 लाख, ₹ 5,65.33 लाख, ₹ 3,39.28 लाख, ₹ 3,85.84 लाख तथा ₹ 3,40.41 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 77.44 प्रतिशत से 99.47 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(09) उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण			
मू.	4,18.76		
पु.	- 4,18.76	..	..

₹ 4,18.76 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना को पुनःवैध नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,38.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 80.76 लाख) किया गया ।

**अनुदान संख्या 032 – (समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(11) भार एवं माप			
[01] उपभोक्ता मामले			
मू.	0.03	80.78	80.78
पु.	80.75		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.75 लाख की अतिरिक्त निधियां कम्प्यूटरीकरण पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 033 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और  
 2236. पोषण  
 पूंजी - 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और  
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	73,03,53,42		
अनुपूरक	16,85,34,82	89,88,88,24	86,97,85,83 - 2,91,02,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			2,43,11,84
<b>प्रभारित</b>			
मूल	31		
अनुपूरक	7,75	8,06	7,76 - 30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			30
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,33,19,61		
अनुपूरक	49,43,48	2,82,63,09	2,59,19,19 - 23,43,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			23,42,97

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 2,91,02.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 16,85,34.82 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 2,91,02.41 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 47,90.57 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,64,09.69 लाख, ₹ 2,37,19.11 लाख, ₹ 5,40,76.68 लाख, ₹ 4,66,17.12 लाख तथा ₹ 2,91,02.41 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.24 प्रतिशत से 13.90 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशालय स्तर का संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	19,50.01	17,46.47	- 0.02
पु.	- 2,03.54		

₹ 2,03.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों के सेवानिवृत्त तथा स्थानांतरण होने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन  
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां

मू.	62,71.00	44,21.27	44,21.26	- 0.01
पु.	- 18,49.73			

₹ 18,49.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष के शैक्षणिक सत्र में नौ माह से अधिक समय से विभागीय छात्रावासों का संचालन बंद रहने के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय संस्थापना-प्रतिबद्ध

मू.	23,13.65	20,24.59	20,24.59	..
पु.	- 2,89.06			

₹ 2,89.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं, होने को आरोपित की गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण  
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता  
(01) अनुसूचित जाति उप परियोजना

मू.	36,00.00	..	..	..
पु.	- 36,00.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 36,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 35,19.59 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 80.41 लाख) किया गया। इसके अलावा, योजना में अनुदान का अधिकतम लाभ ₹ 10,000 होने से लाभार्थियों द्वारा रूचि नहीं दिखायी गयी, इसलिये योजना में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	39,26.76	24,07.19	24,07.19
पु.	- 15,19.57		..
₹ 15,19.57 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष के शैक्षणिक सत्र में नौ माह से अधिक समय से विभागीय छात्रावासों का संचालन बंद रहने के कारण छात्रावासों में कार्यरत जॉब बेसिस/अस्थायी रसोइयों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने, अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु अनुदान कम जारी करने एवं खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[04] देवनारायण आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों का संचालन			
मू.	7,48.32	3,23.50	3,23.49
पु.	- 4,24.82		- 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 4,24.82 लाख प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष के शैक्षणिक सत्र में नौ माह से अधिक समय से विभागीय छात्रावासों का संचालन बंद रहने के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत ( शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (मा.शि.वि.)			
मू.	6,00.50	4,37.70	4,37.70
पु.	- 1,62.80		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,62.80 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत ( शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[05] विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (प्राथमिक शिक्षा विभाग)			
मू.	7,00.00	5,29.28	5,29.28
पु.	- 1,70.72		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,70.72 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा बिलों को पारित किये जाने के पश्चात् भी बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत ( शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू.	16,00.00	85.75	85.75
पु.	- 15,14.25		..

31 मार्च 2021 को ₹ 15,14.25 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों का संचालन नहीं करने के निर्णय के परिणामस्वरूप निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(08) देवनारायण योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना  
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से)  
[01] उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन

मू.	9,54.22	8,25.46	8,25.46	..
पु.	- 1,28.76			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,28.76 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(13) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)  
[03] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना हेतु अनुदान

मू.	7,50.00	1,52.22	1,52.22	..
पु.	- 5,97.78			

31 मार्च 2021 को ₹ 5,97.78 लाख का प्रावधान स्कूटी प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया जो कि क्रय आदेश दिनांक 04.03.2021 के तहत संबंधित फर्म द्वारा 120 दिनों के भीतर आपूर्ति की जानी थी, जिसके कारण मार्च, 2021 में भुगतान नहीं किया गया।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण  
277. शिक्षा  
(02) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा

मू.	81,76.64	59,75.66	59,79.05	+ 3.39
पु.	- 22,00.98			

31 मार्च 2021 को ₹ 22,00.98 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण छात्रवृत्ति एवं वजीफा पर व्यय कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों का भौतिक संचालन देरी से शुरू हुआ, विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता/संबद्धता और छात्रों को दिए जाने वाले उन्नयन प्रमाण पत्र में विलम्ब और छात्रवृत्ति पोर्टल पर निरंतर तकनीकी समस्याएं भी निधियों के पूर्ण उपयोग को प्रभावित करने में प्रभावित हुई।



## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिये रोजगार उन्मुखी/स्वरोजगार योजना			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00		

31 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 परिस्थितियों के कारण कम संख्या में नए प्रशिक्षण बैच के शुरू होने की अपेक्षा/प्रत्याशा में, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) से वित्तीय वर्ष के अंत तक नए बैच के शुरू होने की सूचना प्राप्त नहीं होने, आरएसएलडीसी से गत वर्ष की उपलब्ध राशि ₹ 63.57 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप निधियों को आरएसएलडीसी को हस्तांतरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास			
मू.	2,24.26	1,08.06	1,07.16
पु.	- 1,16.20		- 0.90

₹ 1,16.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बालिका छात्रावास का संचालन कम अवधि अर्थात् जनवरी 2021 से हुआ क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय नहीं खुलने को आरोपित किया गया।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[09] अल्पसंख्यक बालक छात्रावास संचालन			
मू.	2,76.27	84.28	84.24
पु.	- 1,91.99		- 0.04

₹ 1,91.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बालिका छात्रावास का संचालन कम अवधि अर्थात् जनवरी 2021 से हुआ क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय नहीं खुलने को आरोपित किया गया।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान			
मू.	2,85.34	..	..
पु.	- 2,85.34		

31 मार्च 2021 को ₹ 2,85.34 लाख का समस्त प्रावधान चार दरगाहों के विकास पर व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि तीन दरगाहों बूंदी, कोटा एवं नागौर का कार्य विभिन्न कारणों से शुरू नहीं किया गया और झालावाड़ दरगाह के सम्बन्ध में किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया गया।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(45) बधिर, मूक और नेत्रहीनों के विद्यालय (आयुक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा)			
[01] बधिर, मूक और नेत्रहीनों के विद्यालयों का संचालन व्यय (आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा)-प्रतिबद्ध			
मू.	7,98.74	6,11.64	6,11.63
पु.	- 1,87.10		- 0.01
₹ 1,87.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों एवं मेस व्यवस्था पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[02] शिशु गृह/क्रेच का संचालन			
मू.	2,06.00	8.00	8.00
पु.	- 1,98.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,98.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[01] महिला विकास कार्यक्रम			
मू.	2,24.56	31.27	31.28
पु.	- 1,93.29		+ 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 1,93.29 लाख का प्रावधान इस शीर्ष के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान अन्य लेखा शीर्ष से आहरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(12) महिला स्वयं सहायता ग्रुप संस्थान			
मू.	1,56.60	49.89	52.87
पु.	- 1,06.71		+ 2.98
31 मार्च 2021 को ₹ 1,06.71 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय अमृत हाट जो कि जिला/जोनल/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है, वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों के कारण केवल जयपुर में आयोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) राज्य सूचना आयोग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,91.00		
		3,48.00	3,48.00
पु.	- 1,43.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,43.00 लाख का प्रावधान अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. समाज कल्याण  
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता  
(05) राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान  
[01] राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान-प्रतिबद्ध

मू.	5,88.50		
		4,25.15	4,25.15
पु.	- 1,63.35		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,63.35 लाख का प्रावधान अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु  
[01] संस्थापन व्यय हेतु

मू.	30,50.00		
		25,64.07	25,64.80
पु.	- 4,85.93		+ 0.73

31 मार्च 2021 को ₹ 4,85.93 लाख का प्रावधान इस शीर्ष के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान अन्य लेखा शीर्ष से आहरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु  
[26] मुख्यमंत्री राजश्री योजना

मू.	1,46,17.00		
		1,16,17.00	1,16,17.00
पु.	- 30,00.00		..

₹ 1,46,17.00 लाख का प्रावधान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना की दो किशतों के एकमुश्त वार्षिक भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वित्त विभाग ने टुकड़ों में भुगतान की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप इस शीर्ष के अन्तर्गत कम व्यय हुआ तथा 31 मार्च 2021 को ₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[36] महिला शक्ति केन्द्र			
मू.	3,68.14		
		1,11.33	1,13.33
पु.	- 2,56.81		+ 2.00

31 मार्च 2021 को ₹ 2,56.81 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से महिला शक्ति केन्द्र के विस्तार की प्राप्ति में विलम्ब हुआ जिसके कारण अस्थाई पदों की भर्ती में देरी के परिणामस्वरूप गतिविधियां समय पर संचालित नहीं हो सकी तथा (ii) विभागीय प्रस्तावों पर भारत सरकार से सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण ब्लॉक लेवल गतिविधियों का आयोजन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(19) अन्य कार्यक्रम  
[01] नशा मुक्ति कार्यक्रम

मू.	2,84.01		
		47.60	47.60
पु.	- 2,36.41		..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,36.41 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए *नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन* (एनएपीडीडीआर) योजना के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग और जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना  
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

मू.	2,00.00		
		89.26	89.26
पु.	- 1,10.74		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,10.74 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण छात्रवृत्ति एवं वजीफा पर व्यय कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों का भौतिक संचालन देरी से शुरू हुआ, विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता/संबद्धता और छात्रों को दिए जाने वाले उन्नयन प्रमाण पत्र में विलम्ब और छात्रवृत्ति पोर्टल पर निरंतर तकनीकी समस्याएं भी निधियों के पूर्ण उपयोग को प्रभावित करने में प्रभावित हुई।

**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	17,00.00	1,10.20	1,10.20
पु.	- 15,89.80		..

₹ 17,00.00 लाख का प्रावधान महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये कर्ज हेतु अनुमानित था। यद्यपि, कोविड-19 महामारी के कारण संशोधित अनुमानों में अनुमानित बजट को ₹ 2,64.00 लाख तक कम कर दिया गया। साथ ही, विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ₹ 1,25.02 करोड़ की राशि के 2,307 ऋण आवेदन बैंको को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये जिनमें से बैंक द्वारा केवल ₹ 4,82.37 लाख के 121 ऋण आवेदन ही स्वीकृत किये गये। ₹ 2,64.00 लाख के संशोधित प्रावधान में से ₹ 1,10.20 लाख का व्यय किया जिसमें केवल नोडल बैंक को ऋण अनुदान जारी करने हेतु ₹ 1,00.00 लाख भेजे गए, शामिल है क्योंकि बैंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं भेजे गए और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को योजना के पोर्टल के विकास हेतु ₹ 10.20 लाख का भुगतान किया गया। इसे देखते हुए 31 मार्च 2021 को ₹ 15,89.80 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गयी।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना  
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण

मू.	29,00.20	22,79.49	22,85.59	+ 6.10
पु.	- 6,20.71			

31 मार्च 2021 को ₹ 6,20.71 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए प्रशिक्षण, यात्रा तथा सेमिनार पर कम व्यय होने तथा कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना  
[04] जागरूकता हेतु शिक्षा

मू.	3,00.00	20.81	20.81	..
पु.	- 2,79.19			

31 मार्च 2021 को ₹ 2,79.19 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए प्रचार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना  
(01) राज्य बीमा विभाग-प्रतिबद्ध

मू.	65,00.55	57,63.71	57,50.38	- 13.33
पु.	- 7,36.84			

₹ 7,36.84 लाख की प्रत्याशित बचत मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों का निष्पादन कम होने को आरोपित की गयी।

₹ 13.33 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 8.71 लाख आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा राजकीय खाते में जमा कराये गये।

**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	14,00.01		
पु.	- 3,38.21	10,61.80	10,55.63
			- 6.17
31 मार्च 2021 को ₹ 3,38.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
[01] मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	26,75,54.28		
अ.	11,19,89.72	37,66,51.79	37,18,80.03
पु.	- 28,92.21		- 47,71.76
मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 11,19,89.72 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2021 को ₹ 28,92.21 लाख का प्रावधान लाभार्थियों की संख्या में अनुमान से कम बढ़ोतरी होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 47,71.76 लाख की अंतिम बचत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा की अनुपालन में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सहायता के लिए इस शीर्ष के तहत किए व्यय ₹ 47,60.00 लाख को श्रम विभाग को हस्तांतरित करने के कारण रही।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] जिला नाविकों, सैनिकों और विमानिकों के बोर्ड-प्रतिबद्ध			
मू.	12,69.44		
पु.	- 1,96.36	10,73.08	10,73.04
			- 0.04
₹ 1,96.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न जिला कार्यालयों में कुल 69 पद जिसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी (07), वरिष्ठ सहायक (15), कनिष्ठ सहायक (15), कल्याण व्यवस्थापक (23) एवं ग्रुप डी (09) पद रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	37,30.00		
पु.	- 9,93.52	27,36.48	27,30.18
			- 6.30
31 मार्च 2021 को ₹ 9,93.52 लाख का प्रावधान मृतक सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान उनके द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र, जो सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कम किया गया तथा लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 6.30 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में वापिस जमा कराने के कारण रही।			

**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(02) आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
[02] नवीन अंशदायी पेंशन योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	20,07.03		
		17,82.37	+ 15.45
पु.	- 2,24.66		
₹ 2,24.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा मंहगाई भत्ते की दो किश्तें जारी नहीं करने से लेन-देन में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को कम लेन देन शुल्क का भुगतान करने को आरोपित की गयी।			
₹ 15.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] एकीकृत बाल विकास योजना			
मू.	1,49,04.62		
		96,63.55	- 2.46
पु.	- 52,41.07		
₹ 52,41.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू.	15,40.64		
		10,33.87	- 0.09
पु.	- 5,06.77		
31 मार्च 2021 को ₹ 5,06.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[17] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
मू.	97,72.68		
		22,46.65	- 1.53
पु.	- 75,26.03		
31 मार्च 2021 को ₹ 75,26.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[18] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू.	83,58.61		
		65,99.83	65,97.86
पु.	- 17,58.78		- 1.97
31 मार्च 2021 को ₹ 17,58.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] जिला स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	13,30.18		
		11,73.11	11,71.44
पु.	- 1,57.07		- 1.67
₹ 1,57.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] महिला कल्याण कोष			
मू.	6,99.78		
		4,29.21	4,19.41
पु.	- 2,70.57		- 9.80
31 मार्च 2021 को ₹ 2,70.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 9.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	65,00.00		
		88,09.51	88,09.51
पु.	23,09.51		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,09.51 लाख की अतिरिक्त निधियां जिला कार्यालयों को बकाया छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए निधियां जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।



**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[04] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	10.00		
		2,50.00	..
पु.	2,40.00		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,40.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान वक्फ बोर्ड को बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभों के व्यय की पूर्ति हेतु सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन) जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(40) मानसिक पुनर्वास गृह संचालन			
मू.	8,00.00		
		11,69.26	..
पु.	3,69.26		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,69.26 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[18] महिला विकास कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू.	6,22.97		
		7,23.34	..
पु.	1,00.37		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.37 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः अन्य लेखा मदों से सम्बन्धित वेतन तथा भत्तों का आहरण इस शीर्ष के तहत करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[29] संस्थापन व्यय हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	11,15.37		
		13,28.87	+ 36.30
पु.	2,13.50		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,13.50 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः अन्य लेखा मदों से सम्बन्धित वेतन तथा भत्तों आहरण कारण इस शीर्ष के तहत करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 36.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) दिव्यांग कल्याण			
[13] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को अनुदान			
मू.	13,00.00	14,99.19	14,99.19
पु.	1,99.19		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.19 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[08] सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	8,00.00	15,95.74	15,95.76
पु.	7,95.74		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,95.74 लाख की अतिरिक्त निधियां सहयोग योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[01] नवजीवन योजनान्तर्गत छात्रावास संचालन			
मू.	1,63.14	4,39.46	4,39.46
पु.	2,76.32		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,76.32 लाख की अतिरिक्त निधियां नवजीवन योजना को सुदृढ करने हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने जिसमें पात्र परिवारों की पहचान कर योजना के विभिन्न चरणों में निहित लाभ देते हुए, सभी पात्र परिवारों को समाज की मुख्यधारा में पुनर्वासित करने तथा गत वर्ष की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] ब्लॉक स्तरीय संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	17,19.02	20,82.02	20,82.25
अ.	0.01		
पु.	3,62.99		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,62.99 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों में नवनियुक्त 240 कनिष्ठ सहायकों की पदस्थापना के कारण वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति तथा पूर्व में पदस्थापित नये कनिष्ठ लेखाकारों को उनके वेतन निर्धारण पर बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत अनुदान			
मू.	30,00.00	80,00.00	80,00.00
पु.	50,00.00		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से दुर्घटना के मामलों अधिक प्राप्त होने तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त दुर्घटना के मामलों के लिए मुख्यमंत्री राहत निधि को प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	1,14,35.90	1,58,85.66	1,58,84.73
पु.	44,49.76		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,49.76 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि होने तथा तदनुसार पेंशन के वितरण पर प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[01] मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	3,22,54.00	3,55,87.24	3,55,86.95
पु.	33,33.24		
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[01] लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	1,32,72.56	1,78,55.80	1,78,55.80
पु.	45,83.24		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 79,16.48 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(02) बलवों के प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	25.00		
पु.	1,66.26	1,91.26	1,91.26
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,66.26 लाख की अतिरिक्त निधियां बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान/क्षतिपूर्ति पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष प्रोग्राम			
मू.	1,70,00.00		
अ.	44,74.82	2,48,60.22	2,48,60.21
पु.	33,85.40		- 0.01
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 33,85.40 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## पूँजी

## दत्तमत

- ₹ 23,43.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 49,43.48 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 57,84.86 लाख, ₹ 49,39.20 लाख, ₹ 40,56.23 लाख, ₹ 31,41.31 लाख तथा ₹ 23,43.90 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.29 प्रतिशत से 57.60 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत देवनारायण छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू.	2,50.00		
पु.	- 1,17.71	1,32.29	1,32.29

31 मार्च 2021 को ₹ 1,17.71 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण देवनारायण छात्रावास भवनों के निर्माण के बिल ठेकेदारों द्वारा मंडल कार्यालयों में प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिव्यय + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम			
मू.	63,30.99		
		54,09.37	54,09.36
पु.	- 9,21.62		- 0.01

31 मार्च 2021 को ₹ 9,21.62 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के निष्पादन कम करने तथा व्यय सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,47.25 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,74.37 लाख) किया गया ।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण  
800. अन्य व्यय  
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से  
[01] छात्रावास भवन निर्माण

मू.	4,00.00			
		5.71	5.71	..
पु.	- 3,94.29			

31 मार्च 2021 को ₹ 3,94.29 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के निष्पादन कम करने तथा व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय  
02. समाज कल्याण  
103. महिला कल्याण  
(13) राजस्थान पुनर्वास संस्थान भवन का निर्माण

मू.	3,09.00			
		1,50.93	1,50.93	..
पु.	- 1,58.07			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,58.07 लाख का प्रावधान राजस्थान पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, जामडोली, जयपुर के भवन का निर्माण कार्य अनुमान से कम व्यय में पूरा होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
800. अन्य व्यय  
(09) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना  
[01] महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन निर्माण

मू.	4,00.00			
		..	..	..
पु.	- 4,00.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान पाली और अजमेर में छात्रावासों के निर्माण के लिए गठित समिति से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने और जयपुर में छात्रावास निर्माण के लिए 2019-20 एवं 2020-21 का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2015-16 से 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये गये थे ।

## अनुदान संख्या 033 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रैम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू.	15,00.00	8,61.75	8,60.82
पु.	- 6,38.25		
			- 0.93

31 मार्च 2021 को ₹ 6,38.25 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत विशेष योग्यजन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में रैम्प तथा लिफ्ट के निर्माण में धीमी गति के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,78.68 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,59.57 लाख) किया गया ।

4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
800. अन्य व्यय
- (03) भवन निर्माण

मू.	5,00.00
पु.	- 4,47.14

52.86

52.86

..

31 मार्च 2021 को ₹ 4,47.14 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू.	30,00.00	38,50.30	38,50.30
पु.	8,50.30		
			..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,50.30 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 034 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	26,90,96,70			
अनुपूरक	32,10,29,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		59,01,25,76	49,46,02,09	- 9,55,23,67
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		1	..	- 1
				8,99,14,80

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 9,55,23.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 32,10,29.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 9,55,23.67 लाख की अंतिम बचत में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा राजकीय खाते में गत वर्षों की जमा करायी गयी अवशेष राशि के ₹ 56,01.89 लाख शामिल है।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
01. सूखा				
101. आनुग्रहिक राहत				
(14) सूखा के तहत आनुग्रहिक राहत				
[02] वृद्ध, असक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत				
मू.	6,00.00			
पु.	- 6,00.00			
01. सूखा				
102. पीने के पानी की पूर्ति				
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति				
[01] ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति				
मू.	14,00.00			
पु.	- 14,00.00			
		..	- 0.21	- 0.21

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[02] नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू.	1,20.00	..	..
पु.	- 1,20.00	..	..
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[03] पशु शिविरों में जल आपूर्ति			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति			
[02] पशु पोषण केन्द्र			
मू.	10,00.00	..	- 0.01
पु.	- 10,00.00	..	- 0.01
01. सूखा			
105. पशु चिकित्सा			
(04) सूखा क्षेत्र में पशु चिकित्सा			
[01] औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[01] अन्य विशेष राहत			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 36,20.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2019-20 के दौरान भी, शीर्ष "2245-01-101(14) [02], 102(11) [01], 102(11) [02], 105(04) [01] एवं 800(03) [01]" के अंतर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था



## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[04] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति			
मू.	1,00,00.00	9,37.29	9,37.29
पु.	- 90,62.71		..
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अन्तर्गत चारे की पूर्ति			
[01] परिवहन			
मू.	36,00.00	4,82.33	4,80.03
पु.	- 31,17.67		- 2.30
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अन्तर्गत चारे की पूर्ति			
[04] पशु शिविर/गौशाला			
मू.	60,00.00	7,47.59	7,21.21
पु.	- 52,52.41		- 26.38
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[02] अग्नि सहायता			
मू.	20,00.00	3,14.90	3,14.53
पु.	- 16,85.10		- 0.37

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,91,17.89 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2245-01-104(09)[04]" के अन्तर्गत ₹ 26.38 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 26.37 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. सूखा  
800. अन्य व्यय  
(01) राहत कार्यों पर व्यय  
[27] कीट आक्रमण में व्यय

मू.	50,00.00	15.29	15.29	..
पु.	- 49,84.71			

31 मार्च 2021 को ₹ 49,84.71 लाख का प्रावधान टिड्डी आक्रमण के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[05] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू.	1,30,00.00		
अ.	15,54.01	65,49.80	63,12.50
पु.	- 80,04.21		- 2,37.30
मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा राहत कार्यों हेतु लिया गया ₹ 15,54.01 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2021 को ₹ 80,04.21 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन स्थिति लागू होने के कारण भी व्यय प्रभावित हुआ।			
₹ 2,37.30 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 2,36.58 लाख जमा कराने के कारण रही।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[06] लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू.	1,89,59.78		
पु.	- 60,12.49	1,29,47.29	1,23,39.88
			- 6,07.41
31 मार्च 2021 को ₹ 60,12.49 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण भी व्यय प्रभावित हुआ।			
₹ 6,07.41 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 6,07.41 लाख जमा कराने के कारण रही।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[07] प्रशिक्षण व्यय			
मू.	6,00.00		
पु.	- 4,44.67	1,55.33	1,55.33
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,44.67 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण पर आवश्यकतानुसार व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[01] आपात परिचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण			
मू.	60,00.00		
पु.	- 59,25.82	74.18	74.18
			..

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[04] आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण			
मू.	10,00.00		
पु.	- 7,19.25	2,80.75	2,80.65
			- 0.10

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 66,45.07 लाख का प्रावधान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[02] संबंध पक्षों/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[03] राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं के आपदा प्रबन्धन केन्द्रों को सहायता			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[05] आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2019-20 के दौरान भी उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[01] अन्य मद			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[02] अंग भंग या चक्षु क्षति पर आनुग्रहिक राहत			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[04] वृद्ध अशक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[07] जीवन बचाव हेतु नाव किराया			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[08] आवश्यक वस्तुओं की हवाई आपूर्ति			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(04) बाढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति			
[01] मानवीय जल पूर्ति			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(04) बाढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति			
[02] पशुओं के लिए जल पूर्ति			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
104. चारे की पूर्ति			
(02) आपदा से प्रभावितों को चारे की पूर्ति			
[01] आपदा से प्रभावितों को चारे की पूर्ति			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
105. पशु चिकित्सा			
(05) बाढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा			
[01] औषधियों एवं टीका दवाईयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00		
उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 14,00.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[05] कपड़े एवं बर्तन			
मू.	10,00.00	1.96	1.92
पु.	- 9,98.04		- 0.04
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[06] आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत			
मू.	2,00.00	1.20	1.16
पु.	- 1,98.80		- 0.04

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 11,96.84 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[01] सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
मू.	50,00.00		
अ.	1,50,00.00	1,20,08.36	1,14,16.20
पु.	- 79,91.64		- 5,92.16

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार हेतु लिया गया ₹ 1,50,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 79,91.64 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कारण अभ्यर्पित (₹ 39,62.52 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 40,29.12 लाख) किया गया।

₹ 5,92.16 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 5,92.16 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़, चक्रवात आदि  
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना  
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना  
[02] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय

मू.	40,00.02			
पु.	- 36,57.76	3,42.26	3,41.95	- 0.31

31 मार्च 2021 को ₹ 36,57.76 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़, चक्रवात आदि  
107. खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना  
(02) बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत  
[01] बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

मू.	6,00.00			
पु.	- 5,87.20	12.80	12.80	..

31 मार्च 2021 को ₹ 5,87.20 लाख का प्रावधान बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़, चक्रवात आदि  
109. खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना  
(02) बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत  
[01] बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत

मू.	6,00.00			
पु.	- 6,00.00	..	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,00.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
(02) बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
[01] बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
मू.	10,00.00		
पु.	- 8,40.00	1,60.00	1,60.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 8,40.00 लाख का प्रावधान बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[01] पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	20,00.00		
पु.	- 19,87.83	12.17	11.22
			- 0.95
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[02] पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	20,00.00		
पु.	- 19,71.15	28.85	28.85
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[03] पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	10,00.00		
पु.	- 10,00.00	..	..
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[04] गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	10,00.00		
पु.	- 9,56.71	43.29	43.29
			..

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[05] गम्भीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	10,00.00	97.56	97.18
पु.	- 9,02.44		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[06] गम्भीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	10,00.00	5.53	5.54
पु.	- 9,94.47		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[07] आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू.	20,00.00	60.14	58.94
पु.	- 19,39.86		

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 97,52.46 लाख का प्रावधान बाढ़ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. बाढ़, चक्रवात आदि
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता
- (09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान
- [01] बाढ़

मू.	40,00.00	2,42,95.98	2,16,39.63	- 26,56.35
अ.	2,10,00.00			
पु.	- 7,04.02			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु लिया गया ₹ 2,10,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

₹ 7,04.02 लाख की प्रत्याशित बचत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 26,56.35 लाख की अंतिम बचत मुख्यतः आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 26,49.48 लाख जमा कराने के कारण रही ।



## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	60,00.00		
अ.	1,77,50.00	97,24.05	95,56.69
पु.	- 1,40,25.95		- 1,67.36

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु लिया गया ₹ 1,77,50.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 1,40,25.95 लाख का प्रावधान ओलावृष्टि के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित (₹ 15,00.00लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,25,25.95 लाख) किया गया।

₹ 1,67.36 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 1,67.36 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			

मू.	10,00.00		
पु.	- 5,53.46	4,46.54	4,33.50
			- 13.04

31 मार्च 2021 को ₹ 5,53.46 लाख का प्रावधान शीतलहर के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 13.04 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 13.04 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			

मू.	80,00.00		
अ.	77,50.00	89,29.93	78,41.95
पु.	- 68,20.07		- 10,87.98

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु लिया गया ₹ 77,50.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 68,20.07 लाख का प्रावधान बाढ़ के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 10,87.98 लाख की अंतिम बचत मुख्यतः आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 10,87.85 लाख जमा कराने के कारण रही।

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	40,00.00		
अ.	1,10,00.00	52,49.87	51,63.13
पु.	- 97,50.13		- 86.74

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु लिया गया ₹ 1,10,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 97,50.13 लाख का प्रावधान ओलावृष्टि के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित (₹ 12,50.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 85,00.13 लाख) किया गया।

₹ 86.74 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 86.73 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	10,00.00		
पु.	- 6,95.36	3,04.64	2,95.19
			- 9.45

31 मार्च 2021 को ₹ 6,95.36 लाख का प्रावधान शीतलहर के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 9.45 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 9.45 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(11) कीट आक्रमण में व्यय			
[01] कीट आक्रमण में व्यय			
मू.	50,00.00		
पु.	- 26,74.82	23,25.18	22,59.75
			- 65.43

31 मार्च 2021 को ₹ 26,74.82 लाख का प्रावधान टिड्डी झुंड के कारण फसलों के नुकसान हेतु किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 65.43 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 65.43 लाख जमा कराने के कारण रही।



## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित कार्यो हेतु नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित कार्यो हेतु नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
193. स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य			
[02] मृत शरीरों एवं लाशों का निपटारा			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 6,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2019-20 के दौरान भी, शीर्ष "2245-02-191(02) [01], 192(02) [01] एवं 193(02) [01]" के अंतर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	10,10.01	7,67.02	7,65.98
पु.	- 2,42.99		- 1.04

₹ 2,42.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में देय महंगाई भत्तों की किश्तें जारी नहीं होने से वर्ष के दौरान बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्तों का भुगतान न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 034 – (समाप्त)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[04] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	66,00.00	1,65,75.88	1,65,75.87
पु.	99,75.88		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,75.88 लाख की अतिरिक्त निधियां अग्रिशमन वाहन और सीढ़ी क्रय करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. बाढ़, चक्रवात आदि  
282. लोक स्वास्थ्य  
(07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य  
[01] दवाईयों की पूर्ति

मू.	6,00.00	11,26,72.34	11,26,40.65	- 31.69
अ.	9,81,50.00			
पु.	1,39,22.34			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,39,22.34 लाख की अतिरिक्त निधियां कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक दवाओं आदि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 31.69 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 31.69 लाख जमा कराने के कारण रही।

5. **राज्य आपदा मोचन निधि:-** पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष के लिए अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में मौजूदा राज्य आपदा मोचन निधि को जारी रखते हुए राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) के सृजन की अनुशंसा की गयी थी जिन्हें राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एस.डी.आर.एम.एफ.) कहा जाएगा। एस.डी.आर.एफ. और एस.डी.एम.एफ. के कुल पूंजी की संबंधित निधि में केन्द्र और राज्य सरकार के 75:25 के अनुपात की वर्तमान लागत साझाकरण व्यवस्था को जारी रखने की अनुशंसा की गयी। दोनों ही निधियों को, वर्तमान अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज क्रेडिट करने एवं अनिवेशित राशि पर ब्याज देने की मौजूदा व्यवस्था के साथ ब्याज धारक निधि में रखा जायेगा। एस.डी.एम.एफ. में 31.3.2020 को अंतिम शेष 2021-22 के लिए प्रारम्भिक शेष के रूप में एस.डी.एम.एफ. को स्थानान्तरित किया जाएगा और इसी तरह 2025-26 तक। एस.डी.एम.एफ.के सृजन के सम्बन्ध में पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें 2020-21 के दौरान लागू नहीं हुई थी क्योंकि भारत सरकार ने एस.डी.एम.एफ. के लिए अंशदान नहीं दिया।

2020-21 के दौरान ₹ 28,28,25.00 लाख (जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त ₹ 68,65.00 लाख तथा गत वर्ष से सम्बन्धित केन्द्रीय हिस्सा ₹ 7,84,60.00 लाख के कम हस्तान्तरण शामिल है) को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नाम की गई तथा प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 20,88,70.92 लाख को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया।

31 मार्च 2021 को ₹ 29,79,43.68 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2020-21 के विवरण संख्या 15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 035 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,  
 2220. सूचना तथा प्रचार,  
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
 पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	5,22,22,97		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	5,22,22,97	3,82,96,79	- 1,39,26,18
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,72,43,17		
अनुपूरक	28,75,81		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)	2,01,18,98	2,01,11,24	- 7,74

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 1,47,18.60 लाख, ₹ 23,94.47 लाख, ₹ 1,33,32.36 लाख, ₹ 47,28.62 लाख तथा ₹ 1,39,26.18 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 7.27 प्रतिशत से 35.00 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001. निदेशक तथा प्रशासन			
(02) मूल्यांकन संगठन विभाग			
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	7,31.42		
पु .	- 1,50.02	5,81.40	5,80.58
			- 0.82
31 मार्च 2021 को ₹ 1,50.02 लाख का प्रावधान (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने, (iii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा (iv) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेंटल			
मू .	37,68.96		
पु .	- 6,69.02	30,99.94	30,99.94
			..
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[21] वाई-फाई हॉट स्पॉट			
मू .	1,32.00		
पु .	- 1,15.86	16.14	16.14
			..
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] जी आई एस			
मू .	10,02.00		
पु .	- 6,02.00	4,00.00	4,00.00
			..

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[28] ई-ऑफिस			
मू .	3,13.00		
पु .	- 2,90.38	22.62	22.62
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			..
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[30] राजनेट			
मू .	95,70.00	70,70.00	70,70.00
पु .	- 25,00.00		..
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[39] स्टार्ट अप			
मू .	13,59.00	2,32.23	2,32.23
पु .	- 11,26.77		..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 53,04.03 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण तथा संचार सम्बन्धी मदों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] विकास केन्द्र			
मू .	10,39.00	..	..
पु .	- 10,39.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 10,39.00 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटरीकरण तथा संचार सम्बन्धी मदों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू .	67,32.00	31,19.43	31,19.43
पु .	- 36,12.57		..
31 मार्च 2021 को ₹ 36,12.57 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण तथा उससे संबंधित संचार मदों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 19,59.34 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 16,53.23 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			



## अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[37] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	8,34.47	6,00.56	6,00.57 + 0.01
पु.	- 2,33.91		
₹ 2,33.91 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू.	7,83.87	3,38.62	3,38.60 - 0.02
पु.	- 4,45.25		
₹ 4,45.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) (अ) पदों के रिक्त रहने, (ब) कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने, (स) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किशतें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा (द) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए मितव्ययता के उपायों के कारण व्यय सीमा में कटौती करने को आरोपित की गयी।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[02] जिला सांख्यिकी कार्यालय			
मू.	31,95.14	28,18.89	28,18.88 - 0.01
पु.	- 3,76.25		
31 मार्च 2021 को ₹ 3,76.25 लाख का प्रावधान (i) (अ) पदों के रिक्त रहने, (ब) कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने, (स) मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किशतें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा (द) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए मितव्ययता के उपायों के कारण व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[05] यंग ईटर्न्स प्रोग्राम			
मू.	16,41.30	1,80.13	1,80.12 - 0.01
पु.	- 14,61.17		



**अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
01. जनगणना			
800. अन्य व्यय			
(04) जनगणना, 2021			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू .	8,26.00		
पु .	7,65.70		
	15,91.70	15,91.70	..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,65.70 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि भारत सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त निधियां सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के बचत खाते में स्थानांतरित कर दी गई ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन			

मू .	0.01		
पु .	2,03.33		
	2,03.34	2,03.34	..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,03.33 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 7.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 28,75.81 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 036 – सहकारिता**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और  
 2425. सहकारिता  
 पूंजी – 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,  
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज और  
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	34,18,20,16			
अनुपूरक	5,08,04,85	39,26,25,01	36,42,17,66	- 2,84,07,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,84,04,77
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,03,13			
अनुपूरक	..	5,03,13	2,86,08	- 2,17,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				2,17,05

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,84,07.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,08,04.85 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 036 – (क्रमशः)**

2. बचत (जो अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
मू.	5,00.00	..	..
पु.	- 5,00.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मितव्ययिता उपायों के कारण नयी मदों की खरीद पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता  
(20) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता

मू.	3,78,00.00			
अ.	57,04.85	3,88,00.00	3,88,00.00	..
पु.	- 47,04.85			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 57,04.85 लाख का प्रावधान सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान के लिए सहायता हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 47,04.85 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता  
(25) कोर बैंकिंग

मू.	22,27.75			
पु.	- 22,27.75	..	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 22,27.75 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

800. अन्य व्यय  
(02) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान

मू.	0.01			
अ.	2,09,99.99	..	..	..
पु.	- 2,10,00.00			

मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,09,99.99 लाख का प्रावधान सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2021 को ₹ 2,10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 2,02,34.94 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,65.06 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 036 – (समाप्त)

## पूंजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज			
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार			
मू.	5,00.00		
		2,83.98	2,83.98
पु.	- 2,16.02		..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,16.02 लाख का प्रावधान श्रमिकों एवं कर्मचारियों से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग द्वारा कम कर्ज स्वीकृत किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

### अनुदान संख्या 037 - कृषि

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,  
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और  
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम  
पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और  
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	26,99,15,64	35,14,52,76	31,58,83,34
अनुपूरक	8,15,37,12		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			3,52,70,79
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1,02	12,64	12,47
अनुपूरक	11,62		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			17
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,97,06,36	2,05,39,48	1,81,55,43
अनुपूरक	8,33,12		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			23,84,05
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>			
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			

- ₹ 3,55,69.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 8,15,37.12 लाख अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 3,55,69.42 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,98.63 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 3,21,99.34 लाख, ₹ 2,58,51.22 लाख, ₹ 4,93,28.42 लाख, ₹ 3,33,86.08 लाख तथा ₹ 3,55,69.42 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.12 प्रतिशत से 19.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन			
मू .	6,01.50	4,91.63	4,91.63
पु .	- 1,09.87		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,09.87 लाख का प्रावधान (i) पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप वेतन तथा भत्तों तथा (ii) कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[02] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -दलहन			
मू .	2,09.40	39.55	39.54
पु .	- 1,69.85		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,69.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
105. खाद तथा उर्वरक			
(11) खाद तथा उर्वरक योजना			
मू .	7,04.00	2,54.87	2,54.87
पु .	- 4,49.13		
31 मार्च 2021 को ₹ 4,49.13 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्य प्रभावित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
105. खाद तथा उर्वरक			
(13) उर्वरक के लिए भूमि परीक्षण प्रयोगशाला			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	11,47.20	10,17.07	10,17.06
पु .	- 1,30.13		
₹ 1,30.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं करने के कारण आरोपित की गयी।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(13) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण			
मू .	3,50.25	1,93.74	1,93.73
पु .	- 1,56.51		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,56.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			



## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[05] कृषि में ई-गवर्नेंस योजना			
मू .	2,51.80	87.22	87.22
पु .	- 1,64.58		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,64.58 लाख का प्रावधान मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
111. कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
(03) फसलों की पैदावार तथा क्षेत्रफल के अनुमानों के बारे में समय पर सूचना देने हेतु			
मू .	4,00.05	2,08.68	..
पु .	- 1,91.37		- 2,08.68
31 मार्च 2021 को ₹ 1,91.37 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष की कुल अवधि के लिये आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से कम व्यय हुआ तथा समस्त बजट प्रावधान का उपयोग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि स्कीम भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषित है इसलिए वर्ष की शेष अवधि के लिए व्यय करने हेतु भारत सरकार से पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से विभाग के बचत खाते में सीधे ही निधियां प्राप्त हुयीं। इसके अतिरिक्त पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया गया व्यय को समय समय पर इस शीर्ष से माइन्स डेबिट देते हुए राजकोष में चालान के द्वारा पुनः जमा करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप इस शीर्ष में शून्य व्यय प्रदर्शित हुआ, इसलिए ₹ 2,08.68 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहा।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू .	61,20.00	41,32.18	41,30.69
पु .	- 19,87.82		- 1.49
31 मार्च 2021 को ₹ 19,87.82 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण लक्ष्यों के विपरीत कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारण सहाय्य कम जारी करने, (ii) कोविड-19 महामारी के कारण कृषक प्रशिक्षण तथा सेमिनार कम आयोजित करने, (iii) कोषालयों द्वारा बिलों का भुगतान ई.सी.एस. के माध्यम से नहीं करने तथा (iv) बागवानी विकास कार्यक्रम की प्रगति को राज्य की असमान कृषि जलवायु स्थितियों द्वारा भी प्रभावित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान			
मू .	10,99.04	4,48.20	4,48.20
पु .	- 6,50.84		..
31 मार्च 2021 को ₹ 6,50.84 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण शेड नेट हाउस और ग्रीन हाउस की स्थापना हेतु कम सहाय्य जारी करने तथा कोषालयों द्वारा बिलों का भुगतान ई.सी.एस. के माध्यम से नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	1,83,40.34	60,19.72	60,19.72
पु.	- 1,23,20.62		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,23,20.62 लाख का प्रावधान कम सहाय्य जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,23,18.69 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1.93 लाख) किया गया। क्योंकि वर्ष के दौरान अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोलर पम्प सेट हेतु राज्य सरकार को भेजे गये कम्पनी के पैनल के कार्य का अन्तिमीकरण नहीं किया गया तथा कोविड-19 महामारी के कारण भी कार्य प्रभावित हुआ।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(37) आटोमेशन पर सहायता

मू.	7,70.70	1,21.42	1,21.42	..
पु.	- 6,49.28			

31 मार्च 2021 को ₹ 6,49.28 लाख का प्रावधान (i) फर्टीगेशन, फोलियर फर्टीलाइजेशन की नवीन क्रय की कार्यवाही तथा उनका दर अनुबन्ध वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में सम्पादित होने के कारण तथा (ii) कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यालयों के बन्द रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(04) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय

मू.	11,29.32	7,91.70	7,91.71	+ 0.01
पु.	- 3,37.62			

₹ 3,37.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए यात्रा पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[09] कृषि विस्तार सेवाएं

मू.	2,02.20	23.61	23.61	..
पु.	- 1,78.59			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,78.59 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण, यात्रा तथा सेमिनार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[11] कृषि प्रदर्शन/मिनिक्टिस

मू.	2,52.00	18.55	18.55	..
पु.	- 2,33.45			

31 मार्च 2021 को ₹ 2,33.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेंहू			
मू .	10,95.05	9,72.03	9,72.03
पु .	- 1,23.02		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,23.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू .	5,68.02	4,47.58	4,47.58
पु .	- 1,20.44		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,20.44 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू .	16,16.55	10,50.44	10,50.44
पु .	- 5,66.11		
₹ 5,66.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू .	29,29.59	5,81.44	5,81.44
पु .	- 23,48.15		
31 मार्च 2021 को ₹ 23,48.15 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[32] कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन			
मू .	2,60.00	97.65	97.65
पु .	- 1,62.35		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,62.35 लाख का प्रावधान कीट एवं बीमारियों के उन्मूलन के लिए अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[35] टिकाऊ खेती मिशन-कृषि वानिकी			
मू.	2,40.03	72.38	72.38
पु .	- 1,67.65		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,67.65 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[36] बीज विकास			
मू.	3,50.00	89.82	89.82
पु .	- 2,60.18		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,60.18 लाख का प्रावधान बीज विकास के लिए अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	62,03.24	55,48.88	55,48.88
पु .	- 6,54.36		..
₹ 6,54.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,43,36.00	1,98,57.42	1,98,57.42
पु .	- 44,78.58		..
31 मार्च 2021 को ₹ 44,78.58 लाख का प्रावधान मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती को ध्यान में रखते हुए वेतन एवं भत्तों का अनुमान पूरे वर्ष के लिये किया गया किन्तु कृषि पर्यवेक्षकों के भर्ती आदेश दिनांक 30.7.2020 को जारी किये गये क्योंकि जोधपुर उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती का संशोधित परिणाम दिनांक 21.01.2020 को घोषित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 16,26.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 28,52.31 लाख) किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) जल आयोजना हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[01] सिंचाई जल का समुचित उपयोग			
मू.	71,69.58	64,09.40	64,09.40
पु .	- 7,60.18		..
31 मार्च 2021 को ₹ 7,60.18 लाख का प्रावधान सिंचाई जल के समुचित उपयोग के लिए जल आयोजना हेतु कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	35,84.27		
पु.	- 25,86.47	9,97.80	9,97.80
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	6,66.67		
पु.	- 5,02.24	1,64.43	1,64.43
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	17,50.00		
पु.	- 17,50.00	..	..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[12] राजफेड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	25,83.33		
पु.	- 9,83.33	16,00.00	16,00.00
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[16] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	2,88.50		
पु.	- 2,13.50	75.00	75.00
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[17] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,50.22		
पु.	- 1,67.13	1,83.09	1,83.09

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[18] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के माध्यम से			
मू.	3,65.80	1,18.37	1,18.37
पु.	- 2,47.43		..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[20] कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के माध्यम से			
मू.	4,30.00	2,00.00	2,00.00
पु.	- 2,30.00		..
उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 66,80.10 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</i> के अन्तर्गत कम अनुदान जारी करने के कारण आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	76,76.72	20,36.02	20,36.03
पु.	- 56,40.70		+ 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 56,40.70 लाख का प्रावधान मुख्यतः निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	8,79.60	1,90.96	1,90.96
पु.	- 6,88.64		..
31 मार्च 2021 को ₹ 6,88.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
800. अन्य व्यय			
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मु.	1,34,23.05	1,01,86.45	1,01,86.45
पु.	- 32,36.60		..
₹ 32,36.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(40) शून्य लागत आधारित कृषि			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मु.	3,40.00	1,49.45	1,49.45
पु .	- 1,90.55		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,90.55 लाख का प्रावधान कम अनुदान जारी करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण, यात्रा तथा सेमिनार पर व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
004. अनुसंधान			
(01) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	6,50.55	3,98.50	3,98.50
पु .	- 2,52.05		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,52.02 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[01] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	5,84.84	1,92.50	1,92.50
पु .	- 3,92.34		..
₹ 3,92.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण व्यय सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[03] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	33,61.87	15,83.37	15,83.37
पु .	- 17,78.50		..
31 मार्च 2021 को ₹ 17,78.50 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) व्यय सीमा में कटौती, (ii) मितव्ययिता उपायों के कारण रिक्त पदों को भरने पर रोक तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान नहीं करने तथा (iii) पूंजीगत परिसम्पत्तियों सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[04] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	13,40.00		
पु.	- 2,50.00	10,90.00	10,90.00
₹ 2,50.00 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः बचत व्यय सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[07] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	74,00.01		
पु.	- 10,00.01	64,00.00	64,00.00
31 मार्च 2021 को ₹ 10,00.01 लाख का प्रावधान मंहगाई भत्ते का बढी दर से भुगतान नहीं करने से 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[08] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-प्रतिबद्ध			
मू.	48,50.01		
पु.	- 6,50.01	42,00.00	42,00.00
31 मार्च 2021 को ₹ 6,50.01 लाख का प्रावधान मितव्ययिता उपायों के कारण रिक्त पदों को भरने पर रोक तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण समर्पित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[09] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा-प्रतिबद्ध			
मू.	16,00.01		
पु.	- 7,00.01	9,00.00	9,00.00
31 मार्च 2021 को ₹ 7,00.01 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(01) कृषक कल्याण कोष (के-3) हेतु सहायता			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को सहायता			
मू.	80,00.00	..	..
पु.	- 80,00.00		

31 मार्च 2021 को ₹ 80,00.00 लाख का समस्त प्रावधान व्यय अन्य लेखा मद से होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] बीज एवं रोपण सामग्री			
मू.	4,12.00		
अ.	0.01	5,75.77	5,75.77
पु.	1,63.76		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,63.76 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन एवं भत्तों तथा बकाया दायित्वों के भुगतान पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु  
(प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)

मू.	62,94.77	1,25,91.59	1,25,90.90	- 0.69
पु.	62,96.82			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62,96.82 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा चालू योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन

मू.	1,13,17.08	1,62,42.65	1,62,42.63	- 0.02
पु.	49,25.57			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,25.57 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि विस्तार			
मू .	27,40.00	31,09.52	31,09.52
पु .	3,69.52		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,69.52 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू .	13,39.22	22,20.30	22,20.31
पु .	8,81.08		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,81.08 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			+ 0.01
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] टिकाउ खेती मिशन-बरानी क्षेत्र विकास			
मू .	2,79.15	4,38.67	4,38.67
पु .	1,59.52		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,59.52 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[37] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोष्टिक अनाज			
मू	5,17.67	10,48.04	10,48.04
पु .	5,30.37		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,30.37 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	62,67.08	81,46.42	81,46.43
अ.	0.01		
पु .	18,79.33		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,79.33 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन एवं चालू योजनाओं के विस्तार तथा वाहन किराये पर लेने पर अधिक व्यय होने के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			+ 0.01

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[02] उद्यानिकी विभाग के माध्यम से			
मू .	4,05.84		
पु .	1,04.20		
	5,10.04	5,10.05	+ 0.01

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,04.20 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा चालू योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
101. विपणन सुविधाएं			
(02) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को विकास योजनाओं हेतु सहायता			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, को सहायता			
अ .	0.01		
पु .	39,99.99		
	40,00.00	40,00.00	..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## पूँजी

## दत्तमत

1. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 3,56,41.55 लाख, ₹ 49,22.48 लाख, ₹ 2,34,16.87 लाख, ₹ 1,28,40.61 लाख तथा ₹ 23,84.05 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 11.60 प्रतिशत से 60.52 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[01] भवन			
मू .	4,00.00		
पु .	- 2,90.00		
	1,10.00	1,10.00	..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,90.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	6,00.00		
पु .	- 1,52.17	4,47.83	4,47.83
31 मार्च 2021 को ₹ 1,52.17 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(10) कृषि उपज मण्डी को उधार (नाबार्ड)			
[01] कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर को कर्ज			
मू .	25,50.00		
पु .	- 10,50.00	15,00.00	15,00.00
31 मार्च 2021 को ₹ 10,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू .	50,00.00		
पु .	- 50,00.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 7,82.79 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 42,17.21 लाख) किया गया जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू .	1,00.00		
पु .	5,78.20	6,78.20	6,78.20
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,78.20 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..

## अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	4,16.67		
पु.	6,03.98		
		10,20.65	10,20.65
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,03.98 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	8,00.00		
पु.	2,88.06		
		10,88.06	10,88.06
			..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[05] सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण गोदामों का निर्माण			
मू.	5,00.00		
	8,33.10		
पु.	11,19.50		
		24,52.60	24,52.60
			..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	9,00.00		
पु.	1,00.00		
		10,00.00	10,00.00
			..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[09] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	9,87.15		
पु.	8,24.32		
		18,11.47	18,11.47
			..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,31.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[06] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	10,14.10		
पु.	6,31.07		
		16,45.17	16,45.17
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,31.07 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 038 – लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और  
2702. लघु सिंचाई

पूंजी – 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,30,28,22	1,32,91,07	1,29,50,14	- 3,40,93
अनुपूरक	2,62,85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,39,93
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	4	..	- 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,74,65	1,74,65	40,65	- 1,34,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,34,00

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 2,62.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

अनुदान संख्या 038 – (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
102. भू-जल			
(01) भू-जल विभाग द्वारा संचालित कार्य			
[01] मशीनरी आदि का क्रय			
मू.	1,30.00	..	..
पु.	- 1,30.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,30.00 लाख का समस्त प्रावधान निविदाओं का तकनीकी कारणों से सही नहीं पाये जाने से निरस्तीकरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,  
 2404. डेरी विकास,  
 2405. मछली-पालन और  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा  
 पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	15,00,19,01	15,00,19,04	14,18,80,67	- 81,38,37
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				81,09,92
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,02	2,46	2,46	..
अनुपूरक	1,44			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	21,94,02	68,74,01	67,58,05	- 1,15,96
अनुपूरक	46,79,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,15,96

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 81,38.37 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 28.45 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।



**अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[13] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू .	10,39.00		
पु .	- 1,66.75	8,72.25	8,69.89
			- 2.36
31 मार्च 2021 को ₹ 1,66.75 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[01] पशुपालन विभाग-प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	19,57.59		
अ.	0.01	16,99.35	16,99.15
पु .	- 2,58.25		
			- 0.20
₹ 2,58.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने तथा आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के लाभों को जारी नहीं करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[02] पशुपालन विभाग-जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	6,89,72.18		
अ.	0.01	6,33,93.14	6,33,81.93
पु .	- 55,79.05		
			- 11.22
₹ 55,79.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 900 पशु चिकित्सकों एवं पशु परिचारकों की भर्ती न होने तथा पशुधन सहायकों तथा अन्य कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियमित वेतनमान नहीं दिए जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 11.22 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 12.90 लाख जमा कराने के कारण रही।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(17) पशु रोग नियंत्रण योजना (एस्केड)			
मू .	4,22.50		
पु .	- 2,44.20	1,78.30	1,78.30
			..
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(23) पी.पी.आर. रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मू .	2,72.60		
पु .	- 2,66.13	6.47	6.46
			- 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 5,10.33 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए नई मर्दों पर व्यय पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(23) भेड़ और बकरी आनुवंशिकता सुधार योजना			
[01] भेड़ और बकरी विकास			
मू .	6,09.61		
पु .	- 4,78.77	1,30.84	1,29.97
			- 0.87
31 मार्च 2021 को ₹ 4,78.77 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए नई मदों पर व्यय पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा			
(01) निदेशालय पशुपालन विभाग			
[01] पशु बीमा			
मू .	2,00.00		
पु .	- 2,00.00	..	..
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना में बदलाव के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2404. डेयरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू .	70,00.00		
पु .	- 17,50.00	52,50.00	52,50.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 17,50.00 लाख का प्रावधान राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2405. मछली पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	9,86.82		
पु .	- 1,76.48	8,10.34	8,10.27
			- 0.07
₹ 1,76.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य (05) पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू .	1,12,07.99	1,42,58.89	1,42,52.78
पु .	30,50.90		
			- 6.11

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,50.90 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान, आश्वासित केरियर प्रगति और परिवीक्षा के पूरा होने पर कर्मचारियों के वेतन का नियमितीकरण के कारण वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 6.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2403. पशु-पालन			
102. पशु तथा भैंस विकास (16) पशुधन नस्ल सुधार योजना [01] स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से			
मू .	10,00.00	11,57.33	11,07.33
पु .	1,57.33		
			- 50.00

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,57.33 लाख की अतिरिक्त निधियां गोपालन विभाग की सेक्स सॉर्टेड सीमैन स्कीम तथा जे के ट्रस्ट के बकाया बिलों के भुगतान के लिए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत स्थानांतरण प्रविष्टि के माध्यम से गोपालन विभाग की सेक्स सॉर्टेड सीमैन योजना के लिए नये "शीर्ष 2403-102(27) [01]" में ₹ 50.00 लाख के व्यय के हस्तान्तरण के कारण रही लेकिन प्रावधान अपरिवर्तित रहा।

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. निम्नलिखित शीर्षों में, व्यय एक लेखा शीर्ष से दूसरे शीर्ष में हस्तान्तरित किया गया लेकिन प्रावधान अपरिवर्तित रहा जिसके परिणामस्वरूप पहले शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत प्रदर्शित हुई और बाद के शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य प्रदर्शित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य (15) पशु चिकित्सालय एवं उप-केन्द्रों का निर्माण- नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXV [01] निर्माण कार्य			
मू .	0.01	6,00.00	..
अ .	16,79.98		
पु .	- 10,79.99		
			- 6,00.00

## अनुदान संख्या 039 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(16) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक्स, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उपकेन्द्रों/औषधालयों का निर्माण- नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.-XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
अ .	0.01		
पु .	13,99.99	14,00.00	20,00.00 + 6,00.00

उपरोक्त दोनों शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः अंतिम बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 040 – राजकीय उपक्रम**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2852. उद्योग

पूंजी – 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,31,53			
अनुपूरक	..	1,31,53	1,19,71	- 11,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				11,83
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	- 24,50	- 24,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1
<b>टिप्पणी तथा टीका:</b>				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				

- ₹ 24.50 लाख का ऋण व्यय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड से राजस्थान सरकार के हिस्से के विनिवेश के कारण था।

**अनुदान संख्या 041 – सामुदायिक विकास**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	56,56,08,48	66,02,71,02	44,32,19,51	- 21,70,51,51
अनुपूरक	9,46,62,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				21,70,16,82
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	7,42	7,41	- 1
अनुपूरक	7,41			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,39,75	2,39,75	2,39,75	..
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 9,46,62.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 21,70,51.51 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 34.69 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(08) जिला आयोजना कार्यालय				
[01] मुख्य आयोजना कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	15,35.32	12,55.10	12,54.41	- 0.69
पु.	- 2,80.22			

**अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)**

31 मार्च 2021 को ₹ 2,80.22 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	96,85.66	49,49.49	49,49.49
पु.	- 47,36.17		

31 मार्च 2021 को ₹ 47,36.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास			
[01] सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,88,30.28	1,92,77.81	1,92,77.81
पु.	- 95,52.47		

31 मार्च 2021 को ₹ 95,52.47 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	7,72,44.00	1,55,42.70	1,55,42.70
पु.	- 6,17,01.30		

31 मार्च 2021 को ₹ 6,17,01.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	45,37.43	16,19.33	16,19.33
पु.	- 29,18.10		

31 मार्च 2021 को ₹ 29,18.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) तदर्थ सहायतार्थ अनुदान			
[02] संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	12,25,00.00	8,22,00.00	8,21,67.83
पु.	- 4,03,00.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 4,03,00.00 लाख का प्रावधान गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 32.17 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 32.17
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,87,42.64	1,97,79.98	1,97,79.98
पु.	- 1,89,62.66		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,89,62.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) तदर्थ सहायता			
[01] हैण्ड पम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)-प्रतिबद्ध			
मू.	1,09,50.00	81,00.00	81,00.00
पु.	- 28,50.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 28,50.00 लाख का प्रावधान गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू.	10,27,50.03	9,92,05.12	9,92,05.12
अ.	9,46,62.54		
पु.	- 9,82,07.45		
मार्च, 2021 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ग्राम पंचायतों की सहायता हेतु लिया गया ₹ 9,46,62.54 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,82,07.45 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,37,53.43 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,44,54.02 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			



**अनुदान संख्या 041 - (समाप्त)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	12,62,84.90	14,92,15.86	14,92,15.86
पु .	2,29,30.96		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,29,30.96 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को अधिक निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता  
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान  
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू .	0.01	15,20.68	15,20.68	..
पु .	15,20.67			

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,20.67 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

### अनुदान संख्या 042 – उद्योग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,  
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,  
 2852. उद्योग और  
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं  
 पूंजी - 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,  
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज,  
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज और  
 7453. विदेश व्यापार निर्यात संवर्धन के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,09,56,11		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		3,09,56,11	2,56,17,81 - 53,38,30
<b>प्रभारित</b>			
मूल	3		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		3	.. - 3
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	54,87,06		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)		54,87,06	26,29,78 - 28,57,28
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>			

#### राजस्व

##### दत्तमत

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 52,58.21 लाख, ₹ 11,29.15 लाख, ₹ 36,40.28 लाख, ₹ 1,01,19.43 लाख तथा ₹ 53,38.30 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.20 प्रतिशत से 23.61 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 042 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(17) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू.	6,50.00	3,59.56	3,59.56
पु.	- 2,90.44		

₹ 2,90.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

105. खादी ग्रामोद्योग

(05) खादी तथा ग्रामोद्योग

[01] राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान-प्रतिबद्ध

मू.	32,50.00	24,12.50	24,12.50
पु.	- 8,37.50		

31 मार्च 2021 को ₹ 8,37.50 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण कम अनुदान जारी करने तथा गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2852. उद्योग

80. सामान्य

001. निदेशन तथा प्रशासन

(04) जिला उद्योग केन्द्र-प्रतिबद्ध

मू.	39,16.68	31,50.82	31,50.82
पु.	- 7,65.86		

₹ 7,65.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा बढी हुई दर पर महंगाई भत्तों का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2020-21 में देय महंगाई भत्तों की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य

001. निदेशन तथा प्रशासन

(08) आयुक्त, उद्योग विभाग

[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध

मू.	14,84.63	12,70.77	12,70.77
पु.	- 2,13.86		

₹ 2,13.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा बढी हुई दर पर महंगाई भत्तों का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2020-21 में देय महंगाई भत्तों की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 042 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(25) राजस्थान वित्त निगम			
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना हेतु सहायता			
मू.	8,99.99	6,75.00	6,75.00
पु.	- 2,24.99		..

31 मार्च 2021 को ₹ 2,24.99 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण की कम स्वीकृति और तदनुसार निधियों के कम वितरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(27) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई पी डी एस)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा अनुदान			
मू.	11,50.00	8,00.00	8,00.00
पु.	- 3,50.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता			
(04) अपग्रेडेशन ऑफ इण्डस्ट्रीयल इफ्ल्यूएंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी			
[01] रीको को सहायता			
मू.	75,00.01	..	..
पु.	- 75,00.01		..

31 मार्च 2021 को ₹ 75,00.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 21,07.09 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 53,92.92 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	29,86.00	57,86.00	57,86.00
पु.	28,00.00		..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 042 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	47,50.00	67,00.00	..
पु.	19,50.00		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
105. खादी ग्रामोद्योग			
(03) खादी वस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु सहायता-प्रतिबद्ध			
मू.	15,00.00	20,00.00	..
पु.	5,00.00		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 02.10.2019 से 28.02.2020 तक खादी के कपड़ों की बिक्री पर 35 प्रतिशत की दर से छूट की बकाया राशि का भुगतान करने के परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान खादी के कपड़ों की अप्रत्याशित बिक्री होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## पूँजी

## दत्तमत

- ₹ 28,57.28 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 13.50 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 48.54 लाख, ₹ 42,52.66 लाख, ₹ 4,11,47.40 लाख, ₹ 76,35.15 लाख तथा ₹ 28,57.28 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 33.29 प्रतिशत से 94.94 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(24) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी एम आई सी)			
मू.	43,00.00	24,89.20	- 13.51
पु.	- 18,10.80		

₹ 18,10.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः डी एम आई सी परियोजना के अन्तर्गत कुशखेडा-भिवाडी-नीमराना निवेश क्षेत्र में पांच गावों की भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान कम करने को आरोपित की गयी क्योंकि वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती की गयी।

₹ 13,51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 042 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज			
60. अन्य			
800. अन्य कर्ज			
(03) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना			
[01] दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर परियोजना (डी एम आई सी)			
मू.	10,00.00	..	..
पु.	- 10,00.00	..	..

₹10,00.00 लाख का प्रावधान भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण को ₹ 5,00.00 लाख का ब्याज मुफ्त ऋण तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को ₹ 5,00.00 लाख का ऋण हेतु अनुमानित था। चूंकि, बी.आई.डी.ए. के पास निधियां उपलब्ध थी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भी बी.आई.डी.ए. द्वारा ऋण की आवश्यकता प्रस्तुत नहीं की थी, ऋण जारी नहीं किया गया रीको द्वारा भी ऋण की मांग नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 043 – खनिज

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2802. पेट्रोलियम और  
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग  
 पूंजी – 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर  
 पूंजीगत परिव्यय और  
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,62,97,57	1,62,97,57	1,26,91,03	- 36,06,54
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				36,02,72
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	4	..	- 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,06,52,67	2,06,52,67	72,59,95	- 1,33,92,72
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,33,92,72

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 36,06.54 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3.82 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 41,01.62 लाख, ₹ 20,12.13 लाख, ₹ 3,51.77 लाख, ₹ 58,39.00 लाख तथा ₹ 36,06.54 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 2.47 प्रतिशत से 29.78 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 043 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग-प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	25,34.11	19,92.27	19,92.26
पु.	- 5,41.84		

₹ 5,41.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा कोविड-19 महामारी के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ, (ii) कर्मचारियों की मृत्यु के कारण तथा सेवानिवृत्ति के बाद कार्य भारित कर्मचारियों के पदों का समाप्त होना तथा (iii) राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से खनिजों के रासायनिक विश्लेषण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[02] खान एवं भू-विज्ञान विभाग-जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,15,05.76	89,50.15	89,46.35
पु.	- 25,55.61		

₹ 25,55.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा कोविड-19 महामारी के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ, (ii) कर्मचारियों की मृत्यु के कारण तथा सेवानिवृत्ति के बाद कार्य भारित कर्मचारियों के पदों का समाप्त होना तथा (iii) संविदा सेवाओं की सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) खनिज सघन पूर्वोक्षण, सर्वेक्षण एवं मानचित्रण योजना			
[02] खान एवं भू-विज्ञान विभाग-जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय			
मू.	19,15.67	15,11.39	15,11.39
पु.	- 4,04.28		

31 मार्च 2021 को ₹ 4,04.28 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी तथा कोविड-19 महामारी के कारण समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ तथा (ii) समय पर ठेके पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ड्रिलिंग कार्य निष्पादित करने की स्वीकृति समय से प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित की गयी।



**अनुदान संख्या 043 – (समाप्त)**

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 1,55,47.13 लाख, ₹ 3,78,22.85 लाख, ₹ 94,36.08 लाख, ₹ 13,22.55 लाख तथा ₹ 1,33,92.72 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.62 प्रतिशत से 93.66 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच. पी. सी. एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[01] रिफायनरी			
मू.	2,00,00.00		
पु.	- 1,27,40.05	72,59.95	72,59.95
			..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,27,40.05 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा रिफायनरी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय**

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास
004. अनुसंधान तथा विकास
- (07) मार्इनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय
- [02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से

मू.	5,00.00			
पु.	- 5,00.00	..	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2016-17 से 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

**अनुदान संख्या 044 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण  
पूंजी – 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	30,17,95	30,17,95	26,81,91	– 3,36,04
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				3,25,01
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1,82	1,81	– 1
अनुपूरक	1,81			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	50,00	50,00	..	– 50,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				50,00

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 3,36.04 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 3,25.01 लाख अभ्यर्पित किये गये। दोनों राशियों में ₹ 11.03 लाख का अन्तर राजकीय खाते में ₹ 11.02 लाख जमा किये जाने के कारण रहा ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
103. सरकारी मुद्रणालय				
(01) मुद्रण कार्य				
[01] राजकीय मुद्रण-प्रतिबद्ध				
मू.	27,16.91	24,11.77	24,00.73	– 11.04
पु.	– 3,05.14			

## अनुदान संख्या 044 – (समाप्त)

₹ 3,05.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 2020-21 के दौरान 16 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, एक कर्मचारी की मृत्यु होने तथा एक कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) ठेकेदारों से बिल प्राप्त नहीं होने तथा (iii) लेखन सामग्री पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 11.04 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 11.02 लाख जमा किये जाने के कारण रही।

### पूंजी

#### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
103. सरकारी मुद्रणालय			
(01) मुद्रण कार्य			
[02] आधुनिक मुद्रण यंत्र			
मू.	50.00	..	..
पु.	- 50.00	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 045 – राज्य कर्मचारियों को ऋण  
(समस्त दत्तमत)

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 046 – सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2700. मुख्य सिंचाई,  
 2701. मध्यम सिंचाई और  
 2702. लघु सिंचाई  
 पूंजी – 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	22,60,29,30		
अनुपूरक	5	22,60,29,35	20,62,90,45 – 1,97,38,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1,66,56,76
<b>प्रभारित</b>			
मूल	8		
अनुपूरक	3,74,59	3,74,67	3,57,98 – 16,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			16,69
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	23,45,12,34		
अनुपूरक	..	23,45,12,34	18,59,85,24 – 4,85,27,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			4,21,55,60
<b>प्रभारित</b>			
मूल	2		
अनुपूरक	10,07	10,09	10,08 – 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 1,97,38.90 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 30,82.14 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अभियन्ता एवं संबंधित कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	6,37.93	5,13.71	5,13.72
पु.	- 1,24.22		

31 मार्च 2021 को ₹ 1,24.22 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव एवं मरम्मत
- (03) पंजाब सरकार द्वारा व्यय (ए.जी. मिमोज के माध्यम से)
- [01] अन्य रखरखाव व्यय -प्रतिबद्ध

मू.	2,00.00	23.01	23.01	..
पु.	- 1,76.99			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,76.99 लाख का प्रावधान ए.जी. पंजाब से पंजाब सरकार के ए.जी. मिमो प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) राणा प्रताप सागर बांध
- [01] अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	1,84.61	..	..	..
पु.	- 1,84.61			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,84.61 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना पर पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि केवल ऐसी चालू परियोजनाओं को पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित करने की गणना के लिए शामिल किया गया, जिनका समायोजन वर्ष के दौरान या तो ऋण शेष था अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी ऋण पर ब्याज चुकाया जा रहा था।

03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)
- [01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध

मू.	1,00,00.00	94,66.24	81,87.22	- 12,79.02
पु.	- 5,33.76			

31 मार्च 2021 को ₹ 5,33.76 लाख का प्रावधान भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड को निर्माण सम्बन्धित राज्य सरकार का हिस्सा कार्यों के निष्पादन के अनुसार जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 12,79.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(09) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[01] मरम्मत एवं रखरखाव-प्रतिबद्ध			
मू.	1,65.00	50.91	50.91
पु.	- 1,14.09		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,14.09 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (01) अनुरक्षण व्यय
- [01] इन्दिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध

मू.	12,06.00	8,28.14	7,96.18	- 31.96
अ.	0.01			
पु.	- 3,77.87			

31 मार्च 2021 को ₹ 3,77.87 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब भाग) के रखरखाव कार्य के निष्पादन हेतु कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन एवं भत्तों के भुगतान के समायोजन के संबंध में एजी पंजाब से एजी मीमो की कम प्राप्ति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 31.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	20,09.45	14,09.45	14,09.45	..
पु.	- 6,00.00			

₹ 20,09.45 लाख का प्रावधान सरहिंद फीडर/इंदिरा गांधी नहर फीडर के रिलाइनिंग कार्य के सम्बन्ध में पंजाब सरकार को भुगतान की गई राजस्थान सरकार की हिस्सा राशि पर पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु अनुमानित था। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन मूल अनुमान से कम था क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 के दौरान पंजाब सरकार को कम हिस्सा राशि का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को ₹ 6,00.00 लाख का अभ्यर्पण रहा।

22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (02) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	10,63.60	..	..	..
पु.	- 10,63.60			

31 मार्च 2021 को ₹ 10,63.60 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना पर पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि केवल ऐसी चालू परियोजनाओं को पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित करने की गणना के लिए शामिल किया गया, जिनका समायोजन वर्ष के दौरान या तो ऋण शेष था अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी ऋण पर ब्याज चुकाया जा रहा था।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निष्पादन (यूनिट-1)-प्रतिबद्ध			
मू.	7,91.00	6,33.98	6,32.59
पु.	- 1,57.02		
₹ 1,57.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 71 स्वीकृत पदों में से 26 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
35. धौलपुर लिफ्ट			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	34,55.22	21,13.16	22,00.45
पु.	- 13,42.06		
31 मार्च 2021 को ₹ 13,42.06 लाख का प्रावधान मूल अनुमानों की तुलना में पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन की कम राशि होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमान से अधिक था परिणामस्वरूप ₹ 87.29 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
36. जयसमन्द ई.आर.एम.			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,74.95	6,58.89	4,33.65
पु.	- 16.06		
31 मार्च 2021 को ₹ 16.06 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
₹ 2,25.24 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण को अनुदान			
मू.	5,08.00	2,88.00	2,88.00
पु.	- 2,20.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,20.00 लाख का प्रावधान राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर के निजी निक्षेप खातों में अव्ययित राशि की उपलब्धता होने के परिणामस्वरूप कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2700. मुख्य सिंचाई			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया-प्रतिबद्ध			
मू.	53,05.41		
पु.	- 2,47.49	50,57.92	46,49.70
			- 4,08.22

31 मार्च 2021 को ₹ 2,47.49 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण कार्य बाधित रहा।

₹ 4,08.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2701. मध्यम सिंचाई			
02. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,52.86	..	..
पु.	- 3,52.86	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 3,52.86 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना के पूंजी लेखे पर ब्याज प्रभारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि केवल ऐसी चालू परियोजनाओं को पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित करने की गणना के लिए शामिल किया गया, जिनका समायोजन वर्ष के दौरान या तो ऋण शेष था अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी ऋण पर ब्याज चुकाया जा रहा था।

2019-20 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	16,72.17	..	..
पु.	- 16,72.17	..	..

31 मार्च 2021 को ₹ 16,72.17 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना के पूंजी लेखे पर ब्याज प्रभारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि केवल ऐसी चालू परियोजनाओं को पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित करने की गणना के लिए शामिल किया गया, जिनका समायोजन वर्ष के दौरान या तो ऋण शेष था अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी ऋण पर ब्याज चुकाया जा रहा था।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[01] निदेशन तथा प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	33,61.00	29,32.18	29,28.04
पु.	- 4,28.82		- 4.14

₹ 4,28.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 464 स्वीकृत पदों में से 114 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 4.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	84,87.83		
		76,10.65	- 13.92
पु.	- 8,77.18		

₹ 8,77.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 1,917 स्वीकृत पदों में से 550 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 13.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[04] रूपांकन-प्रतिबद्ध			

मू. 4,72.85

3,61.23

3,61.23

..

पु. - 1,11.62

₹ 1,11.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 53 स्वीकृत पदों में से 24 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य			
002. आँकड़ा संग्रहण			
(02) लघु सिंचाई गणना			

मू. 6,60.10

1,37.63

1,37.63

..

पु. - 5,22.47

31 मार्च 2021 को ₹ 5,22.47 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने, सभी जिलों के प्रथम जल निकायों की जनगणना 2017-18 एवं लघु सिंचाई जनगणना के सम्बन्ध में सूचनाओं के डाटा एंट्री तथा वैधीकरण कार्य हेतु भारत सरकार से अधिकतम दर की तुलना में खुली निविदा के अन्तर्गत कम दर प्राप्त होने और फर्म द्वारा डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			

मू. 24,25.02

20,21.98

20,19.25

- 2.73

पु. - 4,03.04

₹ 4,03.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण के लिए कार्य की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला परिषदों को अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,25.00		
पु.	- 1,16.76	3,08.24	3,08.24

31 मार्च 2021 को ₹ 1,16.76 लाख का प्रावधान पंचायतों में कार्यरत जल संसाधन विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान हेतु पंचायतों के निजी निक्षेप खातों में अनुदान के आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) उपनिवेशन योजनाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	17,64.06		
पु.	- 1,58.30	16,05.76	16,05.74

₹ 1,58.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण वैपकोस लिमिटेड द्वारा सिद्धमुख क्षेत्र में सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा न करने के परिणामस्वरूप जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ एवं वैपकोस लिमिटेड के बीच अनुबंध के अनुसार भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।।

2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य हेतु पंचायत समितियों को अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			

मू.	9,80.00		
पु.	- 3,50.28	6,29.72	6,29.72

31 मार्च 2021 को ₹ 3,50.28 लाख का प्रावधान पंचायतों में कार्यरत जल संसाधन विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान हेतु पंचायतों के निजी निक्षेप खातों में आवश्यकतानुसार अनुदान हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	44,99.50		
पु.	- 4,27.20	40,72.30	40,63.18

₹ 4,27.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से पदों के रिक्त रहने तथा चयनित ग्रेड वेतन में कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 9.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम			
मू.	68,94.50	25,12.30	25,12.29
पु.	- 43,82.20		- 0.01

₹ 43,82.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

3. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	12,56.25	13,77.71	12,10.69
पु.	1,21.46		- 1,67.02

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,21.46 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना पर कार्यों के अधिक निष्पादन की प्रत्याशा में पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वर्ष के दौरान परियोजना पर कार्यों का निष्पादन कम हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,67.02 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4. **उच्चत लेन-देन:** "उच्चत" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के "अनुदान संख्या 019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (4) में स्पष्ट की गयी है।

2020-21 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उच्चत" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उच्चत" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नाम (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नाम	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नाम (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
<b>राजस्व *</b>				
स्टॉक	(+) 4,98.66	83.93	81.16	(+) 4,95.89
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,74.66	1,18.03	86.41	(+) 2,43.04
<b>योग</b>	<b>(+) 7,73.32</b>	<b>2,01.96</b>	<b>1,67.57</b>	<b>(+) 7,38.93</b>

\* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उच्चत लेन-देन सम्मिलित हैं।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

### पूंजी

#### दत्तमत

1. ₹ 4,85,27.10 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 63,71.50 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,39,58.98 लाख, ₹ 2,35,52.90 लाख, ₹ 2,39,13.44 लाख, ₹ 2,61,52.82 लाख तथा ₹ 4,85,27.10 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 13.79 प्रतिशत से 20.69 प्रतिशत के बीच थी। बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	23,47.00	19,16.31	19,16.31
पु.	- 4,30.69		
₹ 4,30.69 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने में देरी होने को आरोपित की गयी।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[05] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	18,28.01	6,69.92	6,69.92
पु.	- 11,58.09		
31 मार्च 2021 को ₹ 11,58.09 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए निविदा प्रक्रिया में देरी होने से कार्य आदेश जून-2020, नवम्बर-2020 तथा फरवरी-2021 के महीनों में दिए गए जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यों के लिए समय की कम उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू.	27,87.43	21,45.27	21,41.81
पु.	- 6,42.16		
₹ 6,42.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[15] पन्ना लाल बारूपाल जलोत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)			
मू.	29,66.35	24,39.08	24,37.78
पु.	- 5,27.27		
31 मार्च 2021 को ₹ 5,27.27 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 1.30
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	45,38.25	39,69.92	39,33.00
पु.	- 5,68.33		
31 मार्च 2021 को ₹ 5,68.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 36.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			- 36.92
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत नहरों के पुनरुद्धार/नवीनीकरण कार्य			
[02] द्वितीय चरण की नहरों का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता इ.गा.न.प., जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	8,21.00	39.46	39.46
पु.	- 7,81.54		
31 मार्च 2021 को ₹ 7,81.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			..
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई पंजाब के माध्यम से)			
मू.	2,05,00.00	72,00.00	72,00.00
पु.	- 1,33,00.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,33,00.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण फीडर के बंद नही होने परिणामतः रिलाइनिंग कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

**अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.                                   2,21,00.00			
पु.                                   - 1,87,74.24	33,25.76	33,49.98	+ 24.22

31 मार्च 2021 को ₹ 1,87,74.24 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों की धीमी गति होने तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,71,47.99 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 16,26.25 लाख) किया गया।

₹ 24.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.                                   10,20.00			
पु.                                   - 2,63.02	7,56.98	7,62.49	+ 5.51

31 मार्च 2021 को ₹ 2,63.02 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 5.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.                                   22,44.00			
पु.                                   - 2,56.06	19,87.94	19,79.28	- 8.66

31 मार्च 2021 को ₹ 2,56.06 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 8.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	2,63,33.43	1,25,49.65	1,24,41.21
पु.	- 1,37,83.78		- 1,08.44
₹ 1,37,83.78 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण इंदिरा गांधी मुख्य नहर, इसकी वितरिकाओं और माइनर्स के पुनर्जीवीकरण कार्यों का निष्पादन कम होने को आरोपित की गयी, क्योंकि कार्य मार्च, 2020 से मई, 2020 के बीच नहर के बंद होने के दौरान निष्पादित किया जाना था।			
₹ 1,08.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	21,97.50	10,68.55	10,65.10
पु.	- 11,28.95		- 3.45
31 मार्च 2021 को ₹ 11,28.95 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारी के वेतन भत्ते)			
मू.	24,49.35	18,30.02	18,30.02
पु.	- 6,19.33		..
₹ 6,19.33 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			



**अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	27,18.99		
		13,29.54	13,39.21
पु.	- 13,89.45		+ 9.67
31 मार्च 2021 को ₹ 13,89.45 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति होने तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 9.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	30,60.00		
		8,64.69	8,70.99
पु.	- 21,95.31		+ 6.30
31 मार्च 2021 को ₹ 21,95.31 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति होने तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 6.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	34,50.00		
		..	..
पु.	- 34,50.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 34,50.00 लाख का समस्त प्रावधान विश्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच परियोजना समझौता और ऋण समझौते पर हस्ताक्षर न होने के कारण काम शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	30,33.92		
		16,45.86	16,37.82
पु.	- 13,88.06		- 8.04
31 मार्च 2021 को ₹ 13,88.06 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 8.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[02] मुख्य लेखा शीर्ष 2701 से स्थानांतरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,98.08		
पु.	- 1,03.99	1,94.09	2,06.47 + 12.38
31 मार्च 2021 को ₹ 1,03.99 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 12.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] निष्पादन (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से)			
मू.	2,57,76.01		
पु.	- 1,83,19.11	74,56.90	74,56.90 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,83,19.11 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,76,14.60 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 7,04.51 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
101. सतही जल			
(12) जल संरक्षण उपकर निधि से पोषित कार्य			
[01] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	10,58.17		
पु.	- 3,80.93	6,77.24	6,77.24 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,80.93 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य			
[03] अन्य जिले			
मू.	16,53.12		
पु.	- 6,01.58	10,51.54	10,59.20 + 7.66
31 मार्च 2021 को ₹ 6,01.58 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति होने तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 7.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फलोदी लिफ्ट योजना)			
मू.	7,54.95	10,22.10	10,12.25
पु.	2,67.15		
			- 9.85
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,67.15 लाख की अतिरिक्त निधियां पंपिंग स्टेशनों पर पानी की आपूर्ति में वृद्धि के कारण बिजली की अधिक खपत होने तथा बकाया देनदारियों के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 9.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[01] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट			
मू.	0.01	7,36.76	7,36.76
पु.	7,36.75		
			..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[02] पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट			
मू.	0.01	24,25.54	24,25.54
पु.	24,25.53		
			..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[03] डॉ. करणी सिंह लिफ्ट			
मू.	0.01	24,41.78	24,41.78
पु.	24,41.77		
			..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56,04.05 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान तथा कार्यों की त्वरित प्रगति के लिए उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत नहरों के पुनरोद्धार/नवीनीकरण कार्य			
[01] द्वितीय चरण की नहरों के पुनरोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता इगानप, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	4,45.01	11,73.28	11,73.28
पु.	7,28.27		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,28.27 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निष्पादन			
मू.	1,96.05	6,08.42	6,06.11
पु.	4,12.37		
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निर्माण कार्य			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	60.62	11,25.51	11,23.66
पु.	10,64.89		
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	0.03	7,66.17	7,64.91
पु.	7,66.14		
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[02] गुजरात सरकार की निर्माण कार्य में हिस्सा राशि			
मू.	0.01	12,41.00	12,41.00
पु.	12,40.99		

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[03] नर्बदा प्राधिकरण की हिस्सा राशि			
मू.	0.01		
पु.	4,31.39	4,31.40	..
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन			
[01] सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम			
मू.	0.04	24,43.46	24,43.45 - 0.01
पु.	24,43.42		
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63,59.20 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से नर्बदा नहर परियोजना के बकाया केन्द्रीय अंश की प्राप्ति हेतु उपलब्ध करवायी गयी क्योंकि परियोजना का कार्य 2019-20 में पूर्ण हो गया था।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन एवं प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,57,56.89	6,66,69.46	6,46,49.94 - 20,19.52
पु.	1,09,12.57		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,09,12.57 लाख की अतिरिक्त निधियां सौंपे गए कार्यों के बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 20,19.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन एवं प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 में स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)			
मू.	31,31.11	31,31.11	35,77.06 + 4,45.95
₹ 4,45.95 लाख का अंतिम आधिक्य स्थापना पर हुए आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण रहा।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पार्वती परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			

मू. 2,50.00

3,91.13

3,93.98

+ 2.85

पु. 1,41.13

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,41.13 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)

001. निदेशन तथा प्रशासन

(01) निदेशन तथा प्रशासन

मू. 3,71.50

13,06.10

13,06.10

..

पु. 9,34.60

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,34.60 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)

001. निदेशन तथा प्रशासन

(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय

मू. 36.50

1,54.02

1,64.65

+ 10.63

पु. 1,17.52

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,17.52 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 10.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)

001. निदेशन तथा प्रशासन

(01) निदेशन तथा प्रशासन

[01] निर्माण कार्य

मू. 27,23.37

1,13,56.30

1,13,59.45

+ 3.15

पु. 86,32.93

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 86,32.93 लाख की अतिरिक्त निधियां सौंपे गए कार्यों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[04] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	8,56.78		
पु.	2,07.59	10,64.37	10,80.71 + 16.34

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,07.59 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 16.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

101. सतही जल			
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	12,38.33		
पु.	1,63.26	14,01.59	14,00.63 - 0.96

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,63.26 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	4,33.42		
पु.	2,03.90	6,37.32	6,36.98 - 0.34

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,03.90 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(01) घग्घर बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्य मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,65.81		
पु.	2,66.26	4,32.07	4,32.07 ..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,66.26 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।





## अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन  
 पूंजी - 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	53,55,58			
अनुपूरक	1	53,55,59	24,31,94	- 29,23,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				29,23,64
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	31,18,10			
अनुपूरक	..	31,18,10	24,59,63	- 6,58,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				6,58,47

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :****राजस्व****दत्तमत**

1 बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन				
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) पर्यटन विभाग				
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	15,09.97			
पु.	- 2,82.45	12,27.52	12,27.51	- 0.01

₹ 2,82.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (ii) नियमितीकरण आदेश विलम्ब से जारी होने के कारण वेतन निर्धारण आदेशों में विलम्ब के कारण बकाया का भुगतान नहीं होने, (iii) तकनीकी कारणों के कारण कोषालयों में बिलों को प्रस्तुत नहीं करने, (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए मेलों-त्योहारों तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन नहीं होने तथा (v) मितव्ययिता उपायों को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 047-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	34,54.61	8,27.62	8,27.62
पु.	- 26,26.99		..

31 मार्च 2021 को ₹ 26,26.99 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी कोविड दिशा-निर्देशों के अनुपालना में तथा कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, मेलों-त्योहारों, राजस्थान दिवस आदि का आयोजन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 25,95.80 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 31.19 लाख ) किया गया ।

## पूंजी

## दत्तमत

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 28,04.47 लाख, ₹ 30,71.81 लाख, ₹ 16,12.97 लाख, ₹ 25,19.90 लाख तथा ₹ 6,58.47 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 21.12 प्रतिशत से 81.59 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों के अनुमान से कम निष्पादन के कारण रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	23,97.90	4,89.64	4,89.64
पु.	- 19,08.26		..

31 मार्च 2021 को ₹ 19,08.26 लाख का प्रावधान (i) कार्यकारी एजेंसी से गबदी तालाब-झालावाड़ की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होने, (ii) पारिस्थितिक पार्क, लक्ष्मणगढ़ (सीकर), सुजानगंगा-भरतपुर और साइनेज बोर्ड आदि का कार्य शुरू नहीं करने, (iii) नगर पालिकाओं तथा पंचायत चुनाव आचार संहिता के लागू होने के कारण विकास कार्यों के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत नहीं करने तथा (iv) कोविड-19 महामारी तथा तकनीकी समस्या के कारण कोषालय में बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,08.27 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 14,99.99 लाख ) किया गया ।

**अनुदान संख्या 047-(समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	7,20.16		
		4,69.99	..
पु.	- 2,50.17		

31 मार्च 2021 को ₹ 2,50.17 लाख का प्रावधान (i) जिला बारां से पुरातत्व विभाग को काकुनी एवं भांडेवरा का कार्य प्रारंभ करने के वचनपत्र की प्राप्ति नहीं होने, (ii) गंगलाव तालाब, जोधपुर के विकास कार्यों के लिए निधियों का हस्तान्तरण नहीं होने, (iii) नगर पालिकाओं तथा पंचायत चुनाव आचार संहिता के लागू होने के कारण अन्य विकास कार्यों के शुरू होने में देरी होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी तथा तकनीकी समस्या के कारण कोषालय में बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7452. पर्यटन के लिए कर्ज			
60. अन्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उधार			
मू.	0.01		
		15,00.00	..
पु.	14,99.99		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के निजी निक्षेप खाते में संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति हेतु ऋण हस्तांतरण के लिए उपलब्ध करायी गयी ।

**अनुदान संख्या 048 – विद्युत् (समस्त दत्तमत)**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2801. बिजली और  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा  
 पूंजी – 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
मूल	1,04,27,41,67	1,04,27,41,73	88,15,72,60	– 16,11,69,13
अनुपूरक	6			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				16,11,69,12
<b>पूंजी</b>				
मूल	13,33,43,89	13,33,43,89	3,00,04,52	– 10,33,39,37
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				10,33,39,37

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2801. बिजली				
80. सामान्य				
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (43) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान [01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता				
मू.	29,01,00.07	24,26,70.83	24,26,70.83	..
पु.	– 4,74,29.24			

## अनुदान संख्या 048-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	22,86,37.61	18,46,67.07	18,46,67.07
पु.	- 4,39,70.54		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 9,13,99.78 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	41,28,41.19	34,99,40.35	34,99,40.35
पु.	- 6,29,00.84		..

31 मार्च 2021 को ₹ 6,29,00.84 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,84,27.13 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 44,73.71 लाख) किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(44) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	4,37,47.80	3,40,00.00	3,40,00.00
पु.	- 97,47.80		..

31 मार्च 2021 को ₹ 97,47.80 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा संगृहित कर के अनुरूप विद्युत् शुल्क के एवज में विद्युत् वितरण कम्पनी को सब्सिडी जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(45) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	6,33.76	12,51.04	12,51.04
पु.	6,17.28		..

## अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(45) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	3,98.47		
		5,69.24	5,69.24
पु.	1,70.77		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,88.05 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा कम्पाउंडिंग शुल्क की वसूली के अनुसार कम्पाउंडिंग शुल्क की एवज में सब्सिडी जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(49) ग्रिड से जुड़े हुए पम्प सेटों के सौर ऊर्जाकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		13,91.00	13,91.00
पु.	13,90.99		..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(49) ग्रिड से जुड़े हुए पम्प सेटों के सौर ऊर्जाकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		3,86.00	3,86.00
पु.	3,85.99		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,76.98 लाख की अतिरिक्त निधियां कुसुम योजना को लागू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(50) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		13,35.14	13,35.14
पु.	13,35.13		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,35.13 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु नई प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना के माध्यम से सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 048-(क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,11,75.00		
पु.	- 1,89,12.28	22,62.72	22,62.72
31 मार्च 2021 को ₹ 1,89,12.28 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः राजस्थान राज्य विद्युत् निगम लिमिटेड में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,51,25.00		
पु.	- 1,51,25.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,51,25.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा व्यय नहीं करने के परिणामतः कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	3,50,22.86		
पु.	- 2,72,08.30	78,14.56	78,14.56
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	2,50,99.52		
पु.	- 1,49,69.24	1,01,30.28	1,01,30.28

## अनुदान संख्या 048-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	2,05,03.14		
		72,29.76	72,29.76
पु.	- 1,32,73.38		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 5,54,50.92 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः बिजली कम्पनियों में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	1,36,44.87		
		..	..
पु.	- 1,36,44.87		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,36,44.87 लाख का प्रावधान एशियन विकास बैंक द्वारा ऋण जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



अनुदान संख्या 049 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को  
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं  
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	15,07	15,07	6,95	- 8,12
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				8,13

अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	22,89,01,35	22,89,01,36	21,42,96,75	- 1,46,04,61
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				1,46,04,60
<b>पूंजी</b>				
मूल	6,89,70	10,29,70	10,29,70	..
अनुपूरक	3,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 10,06,53.65 लाख, ₹ 7,86,28.65 लाख, ₹ 1,20,34.30 लाख, ₹ 81,33.12 लाख तथा ₹ 1,46,04.61 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.54 प्रतिशत से 40.16 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम निधियां प्राप्त होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार				
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण				
[02] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (सामान्य)				
मू.	10,51,00.00	9,30,27.38	9,30,27.38	..
पु.	- 1,20,72.62			

₹ 1,20,72.62 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 051 – अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन,  
 2029. भू-राजस्व,  
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,  
 2041. वाहन कर,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2203. तकनीकी शिक्षा,  
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,  
 2205. कला एवं संस्कृति,  
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
 2211. परिवार कल्याण,  
 2217. शहरी विकास,  
 2220. सूचना तथा प्रचार,  
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,  
 2236. पोषण,  
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,  
 2401. फसल कृषि-कर्म,  
 2403. पशु-पालन,  
 2404. डेरी विकास,  
 2405. मछली-पालन,  
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,  
 2425. सहकारिता,  
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
 2505. ग्राम रोजगार,  
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,  
 2701. मध्यम सिंचाई,  
 2702. लघु सिंचाई,  
 2705. कमान क्षेत्र विकास,  
 2801. बिजली,  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,  
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,  
 2852. उद्योग,  
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,  
 3055. सड़क परिवहन,  
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,  
 3452. पर्यटन,  
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
 3456. सिविल पूर्ति और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- पूँजी – 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
दत्तमत			
मूल	1,51,96,04,32	1,72,03,81,94	1,54,87,34,46 - 17,16,47,48
अनुपूरक	20,07,77,62		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			17,12,23,04
<b>पूंजी</b>			
दत्तमत			
मूल	46,54,92,73	46,54,92,80	26,81,51,11 - 19,73,41,69
अनुपूरक	7		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)			19,88,70,74

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 17,16,47.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2021 में लिया गया ₹ 20,07,77.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
2. ₹ 17,16,47.48 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,24.44 लाख अनुभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 12,45,04.60 लाख, ₹ 8,66,63.79 लाख, ₹ 7,23,09.59 लाख, ₹ 20,28,07.99 लाख तथा ₹ 17,16,47.48 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.02 प्रतिशत से 14.55 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना रहा।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[02] समग्र शिक्षा अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	15,05,20.00		
अ.	0.02	11,17,27.38	11,17,26.54
पु.	- 3,87,92.64		- 0.84

₹ 3,87,92.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने, (ii) मार्च, 2020 से सम्बन्धित आधे माह के वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये गये तथा (iii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
113. समग्र शिक्षा
- (02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा
- [02] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय

मू.	12,03.00			
पु.	- 1,96.29	10,06.71	10,06.69	- 0.02

31 मार्च 2021 को ₹ 1,96.29 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से समर्पण अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं होने तथा मार्च, 2020 से सम्बन्धित आधे माह के वेतन बिल मार्च, 2021 के अन्तिम कार्य दिवसों में पारित नहीं किये गये क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2020 में इसका भुगतान स्थगित करते हुए नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मिड डे मील			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	1,87,00.00	1,63,44.61	1,63,44.61
पु.	- 23,55.39		

31 मार्च 2021 को ₹ 23,55.39 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम कार्य दिवस पर भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया जा सका परिणामतः राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(06) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)  
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार

मू.	1,67,00.00	10,00.00	10,00.00	..
पु.	- 1,57,00.00			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,57,00.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों के बंद होने से *दुग्ध योजना* के क्रियान्वयन नहीं होने से अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
107. छात्रवृत्तियां  
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां  
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां

मू.	85,80.00	75,24.62	73,62.22	- 1,62.40
पु.	- 10,55.38			

₹ 10,55.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान वास्तविक संख्या में प्राप्त दावों के अनुसार करने को आरोपित की गयी।

₹ 1,62.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

02. माध्यमिक शिक्षा  
113. समग्र शिक्षा  
(01) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा  
[02] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जातियों के लिए

मू.	1,89,18.01	1,69,21.29	1,69,21.50	- 0.21
पु.	- 19,96.72			

₹ 19,96.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण			
[05] अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी.टी.ई.)- अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	1,97.00	..	..
पु.	- 1,97.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,97.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अनुसूचित जाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू.	8,50.00	..	..
पु.	- 8,50.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 8,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	21,25.00	10,16.35	..
पु.	- 11,08.65	10,16.35	..
31 मार्च 2021 को ₹ 11,08.65 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान साइकिल का क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, वर्ष के दौरान केवल गत वर्ष के बकाया दायित्वों का भुगतान किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) लेपटोप वितरण			
मू.	8,40.00	..	..
पु.	- 8,40.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 8,40.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की योजनाओं को स्थगित करने के परिणामतः लेपटॉप का क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	7,50.00	1,37.03	1,37.03
पु.	- 6,12.97		
31 मार्च 2021 को ₹ 6,12.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः सूचना, प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	7,43.42	1,35.00	1,35.00
पु.	- 6,08.42		
31 मार्च 2021 को ₹ 6,08.42 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण			
मू.	1,50.00	..	..
पु.	- 1,50.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)। वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
05. भाषा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिये)			
[02] संस्कृत स्कूल			
मू.	17,03.45	13,91.76	13,91.76
पु.	- 3,11.69		

31 मार्च 2021 को ₹ 3,11.69 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि 2020-21 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तें वर्ष के दौरान जारी नहीं की गयी, (ii) नये चयनित अध्यापकों के पूरे वेतन की निकासी नहीं की गयी क्योंकि परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी उनका वेतन निश्चित नहीं किया गया तथा (iii) आश्वासित कैरियर प्रगति (ए सी पी) इत्यादि के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2205. कला एवं संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	3,98.76	..	..
पु.	- 3,98.76	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,98.76 लाख का समस्त प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी के कारण भवानी नाट्यशाला-झालावाड़, चनेरी-पनेरी-झालावाड़, रामगढ़ फोर्ट-बारा, मंदिर समूह-आवा-कोटा के निर्माण कार्यों को अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक रोके जाने, (ii) जुलाई, 2020 से वित्तीय वर्ष के अंत तक किए गए कार्यों के लिए ठेकेदारों से बिल प्राप्त नहीं होने तथा (iii) दिसम्बर, 2020 में जारी सुखमहल-बूंदी और चौरासी खंबों की छतरी के नए कार्य आदेश के बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	43,10.10	33,52.81	..
पु.	- 9,57.29	33,52.81	..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,57.29 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा जैव अवशिष्ट के निस्तारण की व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू.	23,05.20	6,21.20	..
पु.	- 16,84.00	6,21.20	..
31 मार्च 2021 को ₹ 16,84.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[08] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी को अनुदान			
मू.	21,50.00	19,28.71	..
पु.	- 2,21.29	19,28.71	..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,21.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	2,68.00	..	..
पु.	- 2,68.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,68.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू.	48,00.00	24,50.00	..
पु.	- 23,50.00	24,50.00	..
31 मार्च 2021 को ₹ 23,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	46,68.40	31,35.98	- 0.48
पु.	- 15,32.42	31,35.50	..
31 मार्च 2021 को ₹ 15,32.42 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत चिकित्सा केन्द्रों में पदों के रिक्त रहने तथा कोविड-19 महामारी के कारण चिकित्सा केन्द्रों में उपभोज्य एवं अभिकर्मकों का क्रय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	3,27,26.25	90,00.00	..
पु.	- 2,37,26.25	90,00.00	..
₹ 3,27,26.25 लाख का प्रावधान आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम मोड पर अपेक्षित प्रीमियम राशि के भुगतान के लिए अनुमानित था। परन्तु अपरिहार्य कारणों से उपार्जन प्रक्रिया में अधिक समय लग गया इसलिए योजना को 30.01.2021 तक ट्रस्ट मोड पर संचालित किया गया, जिसमें चिकित्सा संस्थानों को केवल वास्तविक दावों का भुगतान किया गया। कोविड-19 महामारी के भय से हितग्राहियों द्वारा सामान्य रोगों का कम उपचार लिया गया, जिसके कारण योजना पर कम व्यय हुआ। तत्पश्चात् 30.01.2021 से प्रीमियम मोड पर योजना का संचालन प्रारम्भ होने के कारण वित्तीय वर्ष में चार तिमाहियों के स्थान पर एक तिमाही का ही भुगतान किया गया। योजना की अवशेष राशि बैंक एवं निजी निक्षेप खाते में भी उपलब्ध थी। उपरोक्त कारण से शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 2,37,26.25 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2021 को अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित (₹ 2,37,26.20 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.05 लाख) किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[04] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू.	12,65.00		
		6,32.50	6,32.50
पु.	- 6,32.50		..
31 मार्च 2021 को ₹ 6,32.50 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए शुभ लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों से तृतीय किश्त के लिए आवेदन के प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना			
मू.	27,55.19		
		21,59.00	21,59.00
पु.	- 5,96.19		..
₹ 5,96.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	23,33.05		
		89.17	89.17
पु.	- 22,43.88		..
31 मार्च 2021 को ₹ 22,43.88 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	5,31.34		
		..	..
पु.	- 5,31.34		..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,31.34 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	5,01.10	2.97	2.97
पु.	- 4,98.13		..

31 मार्च 2021 को ₹ 4,98.13 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य  
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,  
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता  
(41) अन्नपूर्णा योजना  
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना

मू.	5,34.90	2,87.58	2,87.58	..
पु.	- 2,47.32			

31 मार्च 2021 को ₹ 2,47.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(39) स्वच्छ भारत मिशन  
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)

मू.	12,51.65	..	..	..
पु.	- 12,51.65			

31 मार्च 2021 को ₹ 12,51.65 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना  
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना

मू.	30,65.70	3.49	3.50	+ 0.01
पु.	- 30,62.21			

31 मार्च 2021 को ₹ 30,62.21 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(44) अन्नपूर्णा योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	12,48.10		
पु.	- 5,75.01	6,73.09	6,73.09 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,75.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(49) टाउन हॉल का निर्माण			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये उप-योजना			
मू.	5,34.90		
पु.	- 5,34.90	..	.. ..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,34.90 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(51) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	1,15,62.74		
पु.	- 12,48.40	1,03,14.34	1,03,14.34 ..
31 मार्च 2021 को ₹ 12,48.40 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) संबल ग्रामों के विकास हेतु अनुदान			
मू.	2,00.00		
पु.	- 2,00.00	..	.. ..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संबल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में अवशेष राशि की उपलब्धता तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आवासीय विद्यालय			
[01] आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	32,03.05	23,59.42	23,59.41
पु.	- 8,43.63		- 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 8,43.63 लाख का प्रावधान (i) बाड़मेर में दो नये आवासीय विद्यालयों का संचालन न होने के परिणामतः कार्यालय व्यय तथा खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व संचालित आवासीय विद्यालयों का आंशिक संचालन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा			
मू.	4,47,32.00	2,35,69.54	2,35,69.52
पु.	- 2,11,62.46		- 0.02
31 मार्च 2021 को ₹ 2,11,62.46 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण छात्रवृत्ति तथा वजीफों पर कम व्यय होने से अभ्यर्पित किया गया क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों का भौतिक संचालन देरी से शुरू होने, विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता/संबद्धता के संबंध में देरी और छात्रों को दिए जाने वाले उन्नयन प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति पोर्टल पर निरंतर तकनीकी समस्याएं से भी निधियों का पूर्ण उपयोग प्रभावित हुआ।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	1,02,00.01	67,62.14	67,62.14
पु.	- 34,37.87		..
31 मार्च 2021 को ₹ 34,37.87 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति से उभरने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत केवल नौ महीने के बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[27] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	57,90.00	47,90.00	47,90.00
पु.	- 10,00.00		..

₹ 57,90.00 लाख का प्रावधान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना की दो किशतों के एकमुश्त वार्षिक भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वित्त विभाग ने टुकड़ों में भुगतान की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अंतर्गत कम व्यय हुआ तथा 31 मार्च 2021 को ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	4,50.00	..	..
पु.	- 4,50.00		
₹ 4,50.00 लाख का प्रावधान महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये कर्ज हेतु अनुमानित था। यद्यपि, कोविड-19 महामारी के कारण संशोधित अनुमानों में अनुमानित बजट को ₹ 74.00 लाख तक कम कर दिया गया। साथ ही, विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ₹ 1,25.02 करोड़ की राशि के 2,307 ऋण आवेदन बैंकों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये जिनमें से बैंक द्वारा केवल ₹ 4,82.37 लाख के 121 ऋण आवेदन ही स्वीकृत किये गये। परन्तु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण अनुदान की मांगों हेतु संबंधित दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदनों को निदेशालय को प्रेषित नहीं किये गये परिणामतः ₹ 4,50.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू.	7,67.70	5,22.92	5,25.04
पु.	- 2,44.78		- 2.12
31 मार्च 2021 को ₹ 2,44.78 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण से बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
[01] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	39,08.00	12,25.47	12,24.68
पु.	- 26,82.53		- 0.79
31 मार्च 2021 को ₹ 26,82.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
[01] प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	18,52.61	12,83.15	12,83.15
पु.	- 5,69.46		..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,69.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[04] जल आयोजना हेतु अनुदान			
मू.	17,46.08	3,90.82	3,89.82
पु.	- 13,55.26		
31 मार्च 2021 को ₹ 13,55.26 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[14] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेंहू			
मू.	3,45.73	97.02	97.02
पु.	- 2,48.71		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,48.71 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	3,42.01	1,33.88	1,33.89
पु.	- 2,08.13		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,08.13 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[24] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	6,55.40	71.64	71.64
अ.	0.01		
पु.	- 5,83.77		
₹ 5,83.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021) ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	7,12.50	1,23.93	1,23.93
पु.	- 5,88.57		
31 मार्च 2021 को ₹ 5,88.57 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			



**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[30] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	10,31.05		
पु.	- 5,48.35	4,82.70	4,82.80 + 0.10

31 मार्च 2021 को ₹ 5,48.35 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से  
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन

मू.	16,66.81		
पु.	- 8,94.74	7,72.07	7,72.07 ..

31 मार्च 2021 को ₹ 8,94.74 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण लक्ष्यों के विपरीत कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारण सहाय्य कम जारी करने, (ii) कोविड-19 महामारी के कारण कृषक प्रशिक्षण तथा सेमिनार कम आयोजित करने, (iii) कोषालयों द्वारा बिलों का भुगतान ई.सी.एस. के माध्यम से नहीं करने तथा (iv) बागवानी विकास कार्यक्रम की प्रगति को राज्य की अनचाही कृषि वातावरण स्थितियों द्वारा भी प्रभावित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से  
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु  
(प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)

मू.	16,36.26		
पु.	- 4,66.38	11,69.88	11,69.89 + 0.01

31 मार्च 2021 को ₹ 4,66.38 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित ड्रिप संयंत्रों की प्रति इकाई लागत प्रचलित लागत से कम होने के कारण कृषकों को कम अनुदान स्वीकृत किये गये परिणामतः कृषकों द्वारा कम रुझान दर्शाया गया तथा कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने, (ii) सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए कोई विशेष श्रेणी अनुदान निर्धारित नहीं किये गये परिणामतः कम व्यय होने, (iii) कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कम व्यय होने तथा (iv) कोषालयों द्वारा बिलों का भुगतान ई.सी.एस. के माध्यम से नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से  
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता

मू.	47,60.61		
पु.	- 40,81.43	6,79.18	6,79.18 ..

31 मार्च 2021 को ₹ 40,81.43 लाख का प्रावधान कम सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि वर्ष के दौरान अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोलर पम्प सैट हेतु राज्य सरकार को भेजे गये कम्पनी के पैनल के कार्य का अन्तिमीकरण नहीं किया गया तथा कोविड-19 महामारी के कारण कार्य प्रभावित हुआ।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[13] स्वचालन पर सहायता			
मू.	2,00.05	5.61	5.61
पु.	- 1,94.44		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,94.44 लाख का प्रावधान (i) फर्टीगेशन, फोलियर फर्टीलाइजेशन की नवीन प्रोक्योरमेन्ट कार्यवाही तथा उनका दर अनुबन्ध वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में सम्पादित होने के कारण तथा (ii) कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यालयों के बन्द रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] बागवानी विभाग के माध्यम से			
मू.	10,00.75	1,77.42	1,77.42
पु.	- 8,23.33		..
31 मार्च 2021 को ₹ 8,23.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	10,00.00	..	..
पु.	- 10,00.00		..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[08] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	5,00.00	..	..
पु.	- 5,00.00		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	32,68.95	8,86.21	8,84.21
पु.	- 23,82.74		- 2.00
31 मार्च 2021 को ₹ 23,82.74 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	28,68.42	5,26.78	5,26.78
पु.	- 23,41.64		..
31 मार्च 2021 को ₹ 23,41.64 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग			
[03] पशु पालन विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	33,32.87		
		23,55.00	23,55.00
पु.	- 9,77.87		..
₹ 9,77.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग			
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	15,00.00		
		11,89.78	11,80.65
पु.	- 3,10.22		- 9.13
31 मार्च 2021 को ₹ 3,10.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 9.13 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2404. डेरी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू.	65,00.00		
		48,75.00	48,75.00
पु.	- 16,25.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 16,25.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी तथा अन्य कारणों से कोषालय द्वारा समय पर बिल पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गांधी जल संचय योजना			
[03] जल संरक्षण योजना (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	13,48.00		
		6,60.67	6,60.67
पु.	- 6,87.33		..
31 मार्च 2021 को ₹ 6,87.33 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण वित्त विभाग द्वारा निधियां कम जारी करने तथा जयपुर जिले के लिए आवंटित निधियों का निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[03] अनुदान			
मू.	20,50.93		
पु.	- 13,94.53	6,56.40	6,56.40
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 13,94.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रत्याशित निधियों पर स्पष्टता नहीं होने के परिणामस्वरूप केवल राज्यांश जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (अनुसूचित जातियों के लिए )			
मू.	18,20.00		
पु.	- 7,85.51	10,34.49	10,34.49
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 7,85.51 लाख का प्रावधान बंद हुई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना की केवल अवशेष राशि के ही उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)			
मू.	5,14,00.00		
अ.	1,93,26.08	6,11,35.35	6,11,35.35
पु.	- 95,90.73		..
मार्च, 2021 में ₹ 1,93,26.08 लाख का अनुपूरक अनुदान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुदान जारी करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2021 को ₹ 95,90.73 लाख का प्रावधान कार्यों की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	25,45.14		
पु.	- 12,20.18	13,24.96	13,24.96
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 12,20.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास			
[02] विशिष्ट संघटक योजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	75,75.84	50,65.62	50,65.62
पु.	- 25,10.22		..
31 मार्च 2021 को ₹ 25,10.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,73,40.00	26,82.61	26,82.61
पु.	- 1,46,57.39		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,46,57.39 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	11,92.32	2,50.83	2,50.83
पु.	- 9,41.49		..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,41.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	1,01,80.55	51,97.64	51,97.64
पु.	- 49,82.91		..
31 मार्च 2021 को ₹ 49,82.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	0.01		
अ.	1,42,82.45	..	..
पु.	- 1,42,82.46		..
मार्च, 2021 में ग्राम पंचायतों को अनुदानों हेतु लिया गया ₹ 1,42,82.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि चोदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण ₹ 1,42,82.46 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित (₹ 71,67.17 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 71,15.29 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	2,70,00.01		
अ.	2,52,38.82	2,60,68.50	2,60,68.50
पु.	- 2,61,70.33		..
मार्च, 2021 में ग्राम पंचायतों को अनुदानों हेतु लिया गया ₹ 2,52,38.82 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण ₹ 2,61,70.33 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2021 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सर्वेक्षण (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,96.59	..	..
पु.	- 5,96.59	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 5,96.59 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	1,15,80.30	90,00.00	90,00.00
पु.	- 25,80.30		..
31 मार्च 2021 को ₹ 25,80.30 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कंपनी को विद्युत् शुल्क के एवज में कर संग्रहण के अनुसार विद्युत् वितरण कंपनी को सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(27) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू.	2,00.00	2.23	2.23
पु.	- 1,97.77		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,97.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(17) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई पी डी एस)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा अनुदान			
मू.	5,00.00	2,50.00	2,50.00
पु.	- 2,50.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	23,42.92	18,11.41	18,11.40
पु.	- 5,31.51		- 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 5,31.51 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा मेले, त्यौहारों और सम्मेलनों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] जी.आई.एस.			
मू.	2,65.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,65.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,65.00 लाख का प्रावधान सूचना, प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण पर व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] विकास केन्द्र			
मू.	2,75.00	..	..
पु.	- 2,75.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,75.00 लाख का समस्त प्रावधान सूचना, प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	19,38.00		
पु.	- 8,58.72	10,79.28	10,79.28
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[36] स्टार्ट अप			
मू.	3,59.00		
पु.	- 3,45.94	13.06	13.06
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 12,04.66 लाख का प्रावधान सूचना, प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जन आधार योजना			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	19,60.02		
पु.	- 11,43.02	8,17.00	8,17.00
31 मार्च 2021 को ₹ 11,43.02 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए आर्थिक उपायों के परिणामस्वरूप 2019-20 से पूर्व नामांकित परिवारों को जन आधार कार्ड के मुद्रण तथा वितरण कार्य, अन्य सूचना और प्रौद्योगिकी, ए टी एम में नकद प्रबंधन तथा स्वयं सेवा कियोस्क (शहरी तथा ग्रामीण) पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	23,42.00		
पु.	6,40.00	29,82.00	29,82.00



**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	30,00.00		
		34,50.00	
पु.	4,50.00		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,90.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू.	91,00.00		
		1,32,55.56	
पु.	41,55.56		- 14.18
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,55.56 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान शिक्षा के अधिकार (आर टी आई) पोर्टल पर शैक्षणिक वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित प्रथम/द्वितीय किश्त की बकाया फीस का सत्यापन एवं उसके भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 14.18 लाख की अंतिम बचत राजकीय खाते में ₹ 13.97 लाख जमा कराने के कारण रही।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जाति के लिये)			
मू.	12,92.60		
		17,65.36	
पु.	4,72.76		- 1.23
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,72.76 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	14,00.00		
		16,87.02	
पु.	2,87.02		- 33.23
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,87.02 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 33.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) पढ़ना लिखना अभियान			
[01] साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के माध्यम से			
अ .	0.01		
पु .	1,92.75	1,92.76	1,92.76
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,92.75 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजना पढ़ना लिखना अभियान के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू .	3,03,28.22	4,82,55.59	4,82,55.59
पु .	1,79,27.37		
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,79,27.37 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू .	58,45.48	84,42.09	84,42.09
पु .	25,96.61		
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,96.61 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(47) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू .	50,10.22	62,58.65	62,58.65
पु .	12,48.43		
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,48.43 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,46,83.48		
अ.	43,98.66	2,12,33.81	..
पु.	21,51.67		

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,51.67 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (11) अनुसूचित जाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान

मू.	28,00.00		
		64,38.33	..
पु.	36,38.33		

₹ 28,00.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के तहत मामलों में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36,38.33 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष से संबंधित बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु तथा अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ विभागीय पोर्टल के एकीकरण के कारण लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (13) अनुसूचित जातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान

मू.	60,00.00		
		1,35,82.34	1,35,82.26
पु.	75,82.34		- 0.08

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75,82.34 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान लाभार्थी बच्चों की संख्या में 85,299 से 1,14,984 की वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (15) अनुसूचित जातियों के लिए सहयोग योजना अंतर्गत अनुदान

मू.	4,00.00		
		8,42.73	8,42.33
पु.	4,42.73		- 0.40

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,42.73 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) अंतर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	18,25.00	23,55.00	23,55.00
पु.	5,30.00		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,30.00 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने तथा बकाया प्रकरणों के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(26) ऋण माफी हेतु अनुदान			
[01] अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम			
मू.	0.01	6,29.00	6,29.00
पु.	6,28.99		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,28.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार के निर्णय की अनुपालना में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ₹ 2.00 लाख की सीमा तक का ऋण, ब्याज और शास्ति यदि कोई हो, को माफ करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)			
[03] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	0.01	2,14.00	2,14.00
पु.	2,13.99		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,13.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) संकल्प योजना			
[03] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	0.02	3,02.01	3,02.01
पु.	3,01.99		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,01.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[08] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	52,48.07	64,76.00	64,75.82
पु.	12,27.93		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,27.93 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	26,12.40	36,36.41	36,36.85
पु.	10,24.01		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,24.01 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	31,30.27	41,21.40	41,20.66
पु.	9,91.13		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,91.13 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	8,48.76	18,50.10	18,50.11
पु.	10,01.34		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,01.34 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अभिकरण से			
[17] पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	35,55.60	48,81.22	48,80.62
पु.	13,25.62		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,25.62 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः नई भर्ती के कारण वेतन तथा भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) गोपालन विभाग			
[01] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू.	1,30,00.00	1,65,24.07	1,64,98.01
पु.	35,24.07		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,24.07 लाख की अतिरिक्त निधियां गौशाला की सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर पशुओं की वास्तविक संख्या के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 26.06 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[03] राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट			
शीर्ष 8229-00-104-(02) में अन्तरण			
मू.	1,30,00.00	1,75,00.00	1,75,00.00
पु.	45,00.00		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर मांगों में वृद्धि होने के पश्चात् राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि को निधियों का अन्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	0.01	4,07.69	4,07.69
पु.	4,07.68		
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,07.68 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(08) जिला नवाचार निधि योजना			
[02] नवाचार गतिविधियों के लिये अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
अ .	0.01		
		2,47.50	
पु .	2,47.49	2,47.50	..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,47.49 लाख की अतिरिक्त निधियां नई गतिविधियों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विद्युत चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू .	1,67.76		
		3,31.16	
पु .	1,63.40	3,31.16	..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,63.40 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपाउंडिंग शुल्क की वसूली के अनुसार कंपाउंडिंग शुल्क की वसूली की एवज में सहाय्य जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
3055. सड़क परिवहन			
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू .	31,74.33		
		65,24.84	
पु .	33,50.51	65,24.84	..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 33,50.51 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के तहत अधिक निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू .	0.02		
		5,75.32	
पु .	5,75.30	5,75.32	..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,75.30 लाख की अतिरिक्त निधियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	73,70.00		
पु.	41,17.11	1,14,87.11	1,14,84.58
			- 2.53

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,17.11 लाख की अतिरिक्त निधियां कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क गेहूँ के परिवहन, संग्रहण और वितरण पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 19,73,41.69 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 19,88,70.74 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 5,76,10.24 लाख, ₹ 16,64,97.88 लाख, ₹ 13,33,90.32 लाख, ₹ 9,84,63.22 लाख तथा ₹ 19,73,41.69 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.49 प्रतिशत से 42.39 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का अधिकांश कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/न होना था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,17.02		
पु.	- 11,78.00	39.02	39.02
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 11,78.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] जेल भवन का निर्माण			
मू.	2,82.69		
पु.	- 2,62.77	19.92	19.92
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,62.77 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			



**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	3,80.81		
		2,19.24	2,15.78
पु.	- 1,61.57		- 3.46

31 मार्च 2021 को ₹ 1,61.57 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-निर्माण कार्य			

मू. 4,80.00

2,10.50

2,17.50

+ 7.00

पु. - 2,69.50

31 मार्च 2021 को ₹ 2,69.50 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 7.00 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			

मू. 4,25.00

2,19.55

2,19.55

..

पु. - 2,05.45

31 मार्च 2021 को ₹ 2,05.45 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			

मू. 10,61.00

1,92.68

1,92.68

..

पु. - 8,68.32

31 मार्च 2021 को ₹ 8,68.32 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	15,00.00	12,60.00	12,60.00
पु.	- 2,40.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,40.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	1,02,00.00	74,28.44	74,28.44
पु.	- 27,71.56		..
31 मार्च 2021 को ₹ 27,71.56 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) भवन			
मू.	4,15.01	..	..
पु.	- 4,15.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 4,15.01 लाख का समस्त प्रावधान भरतपुर महाविद्यालय भवन के निर्माण तथा नवीनीकरण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	3,58.76	..	..
पु.	- 3,58.76		..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,58.76 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) औषधालय तथा सहायता चौकियां			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	56,22.00	35,00.00	35,00.00
पु.	- 21,22.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 21,22.00 लाख का प्रावधान धौलपुर में 400 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए आयोजना विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,22.00		
पु.	- 5,04.97	1,17.03	1,17.03
31 मार्च 2021 को ₹ 5,04.97 लाख का प्रावधान राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन नहीं करने के कारण खटकड़, बूंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का कार्य शुरू नहीं होने तथा पांच खाद्य प्रयोगशालाओं में उपकरण की खरीद हेतु मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	11,00.00		
पु.	- 7,24.04	3,75.96	3,75.95 - 0.01
31 मार्च 2021 को ₹ 7,24.04 लाख का प्रावधान (i) नये निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) दरों की कम प्राप्ति के कारण कुछ उपकरणों की कम खरीद होने, (iii) चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह के नवीनीकरण कार्य के लिए स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा (iv) पंचायती राज चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	10,40.00		
पु.	- 8,42.72	1,97.28	1,97.28
31 मार्च 2021 को ₹ 8,42.72 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा निविदाओं के निरस्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	6,00.02		
पु.	- 2,75.89	3,24.13	3,24.13
₹ 2,75.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद होने तथा फर्म द्वारा सामग्री की पूर्ति नहीं करने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	8,50.01	2,93.58	2,93.58
पु.	- 5,56.43		..

31 मार्च 2021 को ₹ 5,56.43 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा  
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा

मू.	16,00.02	8,99.94	8,99.92	- 0.02
पु.	- 7,00.08			

31 मार्च 2021 को ₹ 7,00.08 लाख का प्रावधान नवीन चिकित्सालय में द्वितीय तल के निर्माण हेतु निधियां कम जारी होने तथा चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में चारदीवारी के नवीनीकरण कार्यों के लिए समय विस्तार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट  
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू.	9,00.00	5,39.87	5,39.87	..
पु.	- 3,60.13			

31 मार्च 2021 को ₹ 3,60.13 लाख का प्रावधान स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट के लिए उपकरणों के क्रय के लिए एकल निविदा पर अंतिम निर्णय न लेने के परिणामस्वरूप प्रक्रिया के पूर्ण नहीं किये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(04) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू.	1,71.40	..	..	..
पु.	- 1,71.40			

31 मार्च 2021 को ₹ 1,71.40 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	27,00.02		
		8,84.67	8,82.17
पु.	- 18,15.35		- 2.50

₹ 18,15.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति कम जारी करने को आरोपित की गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II  
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर

मू.	13,50.00		
		8,93.57	8,93.56
पु.	- 4,56.43		- 0.01

31 मार्च 2021 को ₹ 4,56.43 लाख का प्रावधान (i) पीजी सीट-द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्यकारी अभिकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन करने, (ii) ठेकेदारों द्वारा बिलों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान भुगतान नहीं होने, (iii) आईपीडी ब्लॉक के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी का अंतिमीकरण नहीं करना तथा (iv) एकल निविदा प्रक्रिया के निरस्त होने के कारण उपकरणों की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय  
[90] निर्माण कार्य

मू.	1,47,50.00		
		40,00.00	40,00.00
पु.	- 1,07,50.00		..

31 मार्च 2021 को ₹ 1,07,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय  
01. जलपूर्ति  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति  
[13] नर्मदा जल प्रदाय परियोजना (एफ.आर.) नाबाई

मू.	2,12.01		
		20.85	20.85
पु.	- 1,91.16		..

₹ 1,91.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[14] पोकरण-फलसूंड जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	38,05.00	4,10.88	4,10.88
पु.	- 33,94.12		..
31 मार्च 2021 को ₹ 33,94.12 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों के कम निष्पादन होने तथा भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[19] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-2			
मू.	12,63.49	4,85.65	4,85.65
पु.	- 7,77.84		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	10,43.01	6,25.75	6,25.75
पु.	- 4,17.26		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[44] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	5,77.01	3,86.82	3,86.82
पु.	- 1,90.19		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 13,85.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[49] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	30,74.00	14,39.32	14,39.32
पु.	- 16,34.68		..

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[52] बांसवाड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	18,22.00	4,90.14	4,90.14
पु.	- 13,31.86		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[56] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	1,07,95.00	30,40.24	29,91.78
पु.	- 77,54.76		- 48.46
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[83] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (विस्तार चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना) (ग्रामीण)			
मू.	3,55.00	1,65.45	1,65.45
पु.	- 1,89.55		..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,09,10.85 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
शीर्ष "4215-01-789(01) [56]" के अंतर्गत ₹ 48.46 लाख की अंतिम बचत ₹ 48.46 लाख राजकीय खाते में जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[63] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	2,75.00	1.01	1.01
पु.	- 2,73.99		..

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[64] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	1,84.00	11.26	11.26
पु.	- 1,72.74		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 4,46.73 लाख का प्रावधान प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कम जारी करने तथा कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[78] बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू.	2,67.01	..	..
पु.	- 2,67.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 2,67.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[04] जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना			
मू.	1,78.00	9.80	9.80
पु.	- 1,68.20		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	17,99.00	7,38.48	7,38.48
पु.	- 10,60.52		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 12,28.72 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[29] पोकरण-फलसूंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	1,78.00	..	..
पु.	- 1,78.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,78.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	5,35.00	3,16.19	3,16.19
पु.	- 2,18.81		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[37] टोंक, देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	4,99.00	1,61.57	1,61.57
पु.	- 3,37.43		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	6,58.00	27.50	1.27
पु.	- 6,30.50		- 26.23

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 11,86.74 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "4215-01-789(02) [44]" के अंतर्गत ₹ 26.23 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जल पूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	2,67.00	..	..
पु.	- 2,67.00	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	5,08.00	..	..
पु.	- 5,08.00	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[46] चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट द्वितीय (शहरी)			
मू.	3,53.00	..	..
पु.	- 3,53.00	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[47] जवाई, पाली पाईपलाईन परियोजना, फेज-द्वितीय, पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	2,26.00	..	..
पु.	- 2,26.00	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[56] झूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	6,10.00	..	..
पु.	- 6,10.00	..	..

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 19,64.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

2019-20 के दौरान भी, शीर्ष "4215-01-789(02) [40], [43], [47] एवं [56] " के अंतर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[45] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	27,28.00		
		1,77.99	1,77.99
पु.	- 25,50.01		..
31 मार्च 2021 को ₹ 25,50.01 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[02] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	2,91.00		
		1,23.68	1,23.68
पु.	- 1,67.32		..
₹ 1,67.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[06] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)			
मू.	5,82.00		
		79.67	79.67
पु.	- 5,02.33		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[07] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबार्ड)			
मू.	49,24.00		
		30,42.19	30,42.19
पु.	- 18,81.81		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[08] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन			
मू.	11,34.00		
		6,36.76	6,36.76
पु.	- 4,97.24		..

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[10] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	2,55.00		
		77.03	77.03
पु.	- 1,77.97		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[12] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर-क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)			
मू.	65,62.00		
		25,47.49	25,47.49
पु.	- 40,14.51		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[14] नर्मदा डी.आर.क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू.	10,68.00		
		7,15.37	7,15.37
पु.	- 3,52.63		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[15] बाड़मेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	24,10.00		
		15,08.83	15,08.83
पु.	- 9,01.17		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू.	11,41.00		
		11.39	11.39
पु.	- 11,29.61		..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[19] नागौर लिफ्ट योजना-चरण प्रथम			
मू.	5,35.01		
		3,57.28	3,57.28
पु.	- 1,77.73		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[26] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	5,92.00		
		1,23.53	1,23.53
पु.	- 4,68.47		..
उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 1,01,03.47 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	77,41.00		
		35,26.25	35,26.25
पु.	- 42,14.75		..
31 मार्च 2021 को ₹ 42,14.75 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	1,78.00		
		11.75	11.75
पु.	- 1,66.25		..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,66.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			



### अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

31 मार्च 2021 को ₹ 5,50.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में नये आई टी आई के लिए मशीनरी तथा उपकरण की खरीद हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2021 को ₹ 5,48.85 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विभाग के बन्द होने के कारण, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद प्रक्रिया में देरी होने तथा राज्य में वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा खरीद पर रोक लगाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। तत्पश्चात् वित्त विभाग द्वारा क्रय पर रोक में छूट के पश्चात वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि फर्म द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया। विभाग में नये निदेशक द्वारा इसी अवधि में प्रभार लिये जाने से जेम पोर्टल पर निदेशक के पंजीयन में देरी भी एक कारण रहा।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	81,00.00		
पु.	- 41,31.00	39,69.00	39,69.00
31 मार्च 2021 को ₹ 41,31.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	18,95.00		
पु.	- 12,53.00	6,42.00	6,42.00
31 मार्च 2021 को ₹ 12,53.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
06. सीमा क्षेत्र विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	11,75.00		
पु.	- 7,05.00	4,70.00	4,70.00
31 मार्च 2021 को ₹ 7,05.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा केवल राज्यांश व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[02] बाई मुख्य नहर			
मू.	5,05.00		
पु.	- 3,32.66	1,72.34	1,72.34
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 3,32.66 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी हुई इसलिये, जून-2020, नवंबर-2020 और फरवरी-2021 के महीनों में कार्य आदेश प्रदान किये गये, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यों के लिए समय की कम उपलब्धता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[03] द्वितीय चरण की नहरों का नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV के तहत नहरों के पुनरुद्धार/नवीनीकरण कार्य मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	1,79.00		
पु.	- 1,69.45	9.55	9.55
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,69.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	45,00.00		
पु.	- 27,00.00	18,00.00	18,00.00
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 27,00.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण फीडर के बंद नहीं होने के परिणामस्वरूप रिलाइनिंग कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,60,88.00		
पु.	- 29,60.10	1,31,27.90	1,29,31.37
			- 1,96.53
₹ 29,60.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी गति तथा बिलों को कोषालय द्वारा पारित किये जाने पर भी आर.बी.आई. द्वारा बिलों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से नहीं करने को आरोपित की गयी।			
₹ 1,96.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			



**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य			
मू.	64,38.32		
पु.	- 55,57.98	8,80.34	8,86.75
			+ 6.41
31 मार्च 2021 को ₹ 55,57.98 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी गति तथा तदनुसार आनुपातिक व्ययों के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 6.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण(वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य			
मू.	2,70.00		
पु.	- 1,56.44	1,13.56	1,14.38
			+ 0.82
31 मार्च 2021 को ₹ 1,56.44 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	65,64.38		
पु.	- 32,88.20	32,76.18	31,69.73
			- 1,06.45
31 मार्च 2021 को ₹ 32,88.20 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लाकडाउन की स्थिति के कारण इंदिरा गांधी मुख्य नहर, इसकी वितरिका तथा माइन्स के रीजनरेशन कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि कार्यों का निष्पादन मार्च, 2020 से मई, 2020 के मध्य नहर के बंद होने के दौरान किया जाना था।			
₹ 1,06.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य			
मू.	6,30.00		
पु.	- 3,13.12	3,16.88	3,19.19
			+ 2.31

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	7,20.00		
पु.	- 2,81.09	4,38.91	4,40.18 + 1.27
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	7,20.00		
पु.	- 3,67.86	3,52.14	3,54.70 + 2.56
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) गागरिन परियोजना			
मू.	8,10.00		
पु.	- 5,81.10	2,28.90	2,30.56 + 1.66
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 15,43.17 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	9,00.00	..	..
पु.	- 9,00.00	..	..
31 मार्च 2021 को ₹ 9,00.00 लाख का समस्त प्रावधान विश्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में परियोजना समझौते और ऋण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[03] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	8,82.00		
पु.	- 5,39.39	3,42.61	3,45.11 + 2.50
31 मार्च 2021 को ₹ 5,39.39 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता कार्यक्रम) के माध्यम से			
मू.	78,98.10		
पु.	- 62,02.03	16,96.07	16,96.07
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 62,02.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) जल संरक्षण उपकर निधि से पोषित कार्य			
[01] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,78.00		
पु.	- 1,42.63	1,35.37	1,23.76
			- 11.61
31 मार्च 2021 को ₹ 1,42.63 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 11.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,15,50.00		
पु.	- 1,09,07.68	6,42.32	6,42.32
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 1,09,07.68 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् निगम में कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	82,50.00		
पु.	- 82,50.00	..	..
			..
31 मार्च 2021 को ₹ 82,50.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किया गया जिसके कारण कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,12,19.14	17,40.00	17,40.00
पु.	-1,94,79.14		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,94,79.14 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् निगम में कम निवेश होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,52,07.13	26,81.28	26,81.28
पु.	-1,25,25.85		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,25,25.85 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् निगम में कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,53,84.36	19,13.76	19,13.76
पु.	-1,34,70.60		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,34,70.60 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् निगमों में कम निवेश होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[02] रिफायनरी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	2,00,00.00	70,67.00	70,67.00
पु.	-1,29,33.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,29,33.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा रिफायनरी में कम निवेश करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 86,63.30 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 42,69.70 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	2,95.00	..	..
पु.	- 2,95.00		
31 मार्च 2021 को ₹ 2,95.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान और पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2019-20 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी.एम.आई.सी.)			
[01] भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति			
मू.	30,00.00	15,00.00	14,99.09
पु.	- 15,00.00		- 0.91
31 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती करने के कारण डी.एम.आई.सी. परियोजना के अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र में पांच गांवों की भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का कम भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	1,15,89.50	17,88.21	17,88.21
पु.	- 98,01.29		..
31 मार्च 2021 को ₹ 98,01.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	49,88.62	26,90.16	26,96.86
पु.	- 22,98.46		+ 6.70
31 मार्च 2021 को ₹ 22,98.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. – XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	7,88.94	1,63.98	1,63.98
पु.	- 6,24.96		
31 मार्च 2021 को ₹ 6,24.96 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,91,71.19	82,80.89	82,80.97
पु.	- 1,08,90.30		
31 मार्च 2021 को ₹ 1,08,90.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,21,49.65	79,33.41	79,33.33
पु.	- 42,16.24		
31 मार्च 2021 को ₹ 42,16.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	9,71.97	5,43.34	5,42.63
पु.	- 4,28.63		
31 मार्च 2021 को ₹ 4,28.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	3,64.49	2,03.75	2,04.01
पु.	- 1,60.74		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 5,89.37 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,87,21.50	1,00,83.00	1,00,83.00
पु.	- 86,38.50		..
31 मार्च 2021 को ₹ 86,38.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित			
ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	47,33.63	15,44.40	15,54.31
पु.	- 31,89.23		+ 9.91
31 मार्च 2021 को ₹ 31,89.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 9.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित			
ग्रामीण सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,78.69	1,23.60	1,24.40
पु.	- 2,55.09		- 0.80
31 मार्च 2021 को ₹ 2,55.09 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	36,12.21	28,28.23	28,30.38
पु.	- 7,83.98		+ 2.15

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	13,54.58		
पु.	- 2,93.99	10,60.59	10,61.39
			+ 0.80
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 10,77.97 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	9,03.08		
पु.	- 1,96.02	7,07.06	7,07.60
			+ 0.54
31 मार्च 2021 को ₹ 1,96.02 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	12,43.34		
पु.	- 6,78.65	5,64.69	5,64.69
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	3,97.33		
पु.	- 2,63.05	1,34.28	1,34.28
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 9,41.70 लाख का प्रावधान नगरपालिकाओं तथा पंचायत चुनाव आचार संहिता लगाये जाने के कारण कार्यों के कम निष्पादन होने, कोविड-19 महामारी तथा तकनीकी समस्या के कारण कोषालयों को बिलों का प्रस्तुतिकरण न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी.आई.एस.			
मू.	10,50.00		
पु.	- 5,50.01	4,99.99	4,99.99
			..



**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[34] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	10,45.00	8,00.00	8,00.00
पु.	- 2,45.00		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को ₹ 7,95.01 लाख का प्रावधान सूचना, प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान जन आधार योजना			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	11,76.00	1,63.00	1,63.00
पु.	- 10,13.00		..
31 मार्च 2021 को ₹ 11,76.00 लाख का प्रावधान राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु नये प्लेटफार्म पर राजस्थान जन आधार रेजिडेंट डाटा डिपोजिटरी, हार्डवेयर अपग्रेडेशन सिस्टम साफ्टवेयर, लाइसेंस, एप्लीकेशन डवलपमेंट, माइग्रेशन की मरम्मत तथा रखरखाव हेतु अनुमाति था। यद्यपि, कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मितव्ययता के कारण बजट में कटौति के कारण ₹ 10,13.00 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2021 को अभ्यर्पित किया गया।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	73,09.85	..	..
पु.	- 73,09.85		..
31 मार्च 2021 को ₹ 73,09.85 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	3,69.76	12,53.35	12,53.35
पु.	8,83.59		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,83.59 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	8,90.00		
पु.	8,60.00	17,50.00	17,50.00
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	9,99.81		
पु.	8,70.19	18,70.00	18,70.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,30.19 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	0.04		
पु.	4,99.98	5,00.02	5,00.00
			- 0.02

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,99.98 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जे.के.लोन अस्पताल, कोटा के निजी निक्षेप खाते में निधियां हस्तान्तरण की गयी क्योंकि नियो नटाल आई सी यू हेतु 36 नये बेड एवं मद्र वार्ड हेतु 20 नये बेड के निर्माण के लिए वित्त विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति 31.03.2021 को प्राप्त हुई तथा (ii) पी जी सीट- फेज द्वितीय के तहत 4-डी सोनोग्राफी मशीन के क्रय हेतु कोई निविदा प्राप्त न होने तथा आपूर्ति आदेश जारी करने के लिये 01.04.2021 को पुनः निविदा के अंतिमीकरण के कारण निजी निक्षेप खाते में निधियों का अन्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी।

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	1,00,00.00		
पु.	18,23.37	1,18,23.37	1,18,05.89
			- 17.48

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,23.37 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 17.48 लाख की अंतिम बचत राजकीय लेखे में ₹ 17.48 लाख जमा कराने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	30,39.00		
		37,99.98	
पु.	7,60.98		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[74] नर्मदा नहर में जल संसाधन विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि			
मू.	21.01		
		5,35.65	
पु.	5,14.64		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[79] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी			
मू.	3,65.98		
		9,79.13	
पु.	6,13.15		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,88.77 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	68,65.00		
		82,77.78	
पु.	14,12.78		- 9.58
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,12.78 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 9.58 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू.	26,00.00		
		49,84.20	
पु.	23,84.20		- 1.83
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,84.20 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परियोजना			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[04] चूरु-झुन्झुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू.	0.02		
		2,90.07	2,90.07
पु.	2,90.05		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[09] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू.	88.00		
		3,95.01	3,95.01
पु.	3,07.01		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[13] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबाई)			
मू.	2,50.00		
		8,84.36	8,84.36
पु.	6,34.36		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[18] जवाई क्लस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू.	9,30.00		
		19,22.50	19,22.50
पु.	9,92.50		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू.	0.02		
		2,51.12	2,32.16
पु.	2,51.10		- 18.96

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,75.02 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अंतर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "4215-01-789(03) [22]" के अंतर्गत ₹ 18.96 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	71,87.88		
पु.	59,64.19	1,31,52.07	1,31,52.07
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59,64.19 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[06] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,64.25		
पु.	2,50.89	7,15.14	7,15.14
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,50.89 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशु चिकित्सालय तथा पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी- XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	10,00.00		
पु.	22,00.00	32,00.00	32,00.00
			..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	81.95		
पु.	4,94.88	5,76.83	5,78.19
			+ 1.36
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,94.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[12] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	0.01		
पु.	5,34.46	5,34.47	5,34.47 ..
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[13] डॉ. करणी सिंह लिफ्ट (कोलायत लिफ्ट) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	0.01		
पु.	5,34.99	5,35.00	5,35.00 ..
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[17] नाबाई द्वितीय चरण की नहरों का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	80.01		
पु.	2,49.69	3,29.70	3,29.70 ..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,19.14 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021) ।			
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	0.01		
पु.	14,28.35	14,28.36	14,28.33 – 0.03

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,28.35 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2019-20 में पूर्ण हुए परियोजना के कार्य हेतु भारत सरकार से नर्मदा नहर परियोजना के बकाया केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	31,50.00		
पु.	9,48.96	40,98.96	41,72.24 + 73.28

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,48.96 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान तथा तदनुसार प्रतिशतता व्यय के अधिक समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 73.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,08.00		
पु.	3,14.06	4,22.06	4,25.13 + 3.07

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,14.06 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	23,66.81		
पु.	4,76.48	28,43.29	28,43.29 ..

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,76.48 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	15,77.88		
पु.	7,08.67	22,86.55	23,06.66 + 20.11

31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,08.67 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 20.11 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।

**अनुदान संख्या 051 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	52,06.99	63,69.66	63,69.66
पु.	11,62.67		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,62.67 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	75,89.58	98,89.29	98,89.29
पु.	22,99.71		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,99.71 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[13] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	6,33.27	20,77.90	20,77.90
पु.	14,44.63		..
31 मार्च 2021 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,44.63 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।			

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौति अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[65] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता व्यय			
मू.	17,87.01	..	17,87.00
पु.	- 17,87.01		+ 17,87.00

31 मार्च 2021 को ₹ 17,87.01 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 17,87.00 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2021)।



परिशिष्ट

## अनुदान संख्या और नाम

## बजट अनुमान

		राजस्व	पूंजी
		(₹ सहस्र में)	
001.	राज्य विधान मंडल	..	..
003.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	..	..
004.	जिला प्रशासन	..	..
005.	प्रशासनिक सेवाएं	..	..
006.	न्याय प्रशासन	..	..
007.	निर्वाचन	..	..
008.	राजस्व	..	..
009.	वन	64,76,01	..
010.	विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012.	अन्य कर	63,47,45	30,00,03
013.	आबकारी	..	..
014.	बिक्री कर	1,47,28,59	..
015.	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016.	पुलिस	5,00	..
019.	लोक निर्माण कार्य	4,47,28,78	1,62,01
021.	सड़कें एवं पुल	1,34,18,62	14,08,14,50
022.	क्षेत्र का विकास	..	3
023.	श्रम तथा रोजगार	..	..
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	..	..
025.	कोषालय व लेखा प्रशासन	..	..
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027.	पेय जल योजना	2,46,86,43	67,11,19
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1	..
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	7,37,18,51	4
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,70,97,39	2,80,46,01
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	69,54,58	1,32,41
	<i>दत्तमत</i>	1	..
	<i>प्रभारित</i>	..	..
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	13,40,00,00	..
037.	कृषि	..	..
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	..	..
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	2,48,07,68	..
043.	खनिज	9	5,62,65
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	..	..
046.	सिंचाई	2,84,32,67	25,09,40
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,82,84,38	3,71,24,51
	<b>दत्तमत</b>	<b>41,36,86,24</b>	<b>21,90,62,78</b>
	<b>कुल वसूलियां</b>	<b>1</b>	<b>..</b>
	<i>प्रभारित</i>	..	..

शिष्ट  
सारांश में उल्लिखित)  
के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
राजस्व	पूंजी	वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
1,09	..	+ 1,09	..
7,41	..	+ 7,41	..
19,79	..	+ 19,79	..
8,79	..	+ 8,79	..
32,14	..	+ 32,14	..
39	..	+ 39	..
1,34,57	..	+ 1,34,57	..
1,44,39,35	..	+ 79,63,34	..
..	..	- 1	..
22,07,37	4,62,10	- 41,40,08	- 25,37,93
5,61	..	+ 5,61	..
1,38,14,71	..	- 9,13,88	..
14	..	+ 11	..
23,88	..	+ 18,88	..
3,13,62,80	62,45	- 1,33,65,98	- 99,56
94,08,84	7,91,29,53	- 40,09,78	- 6,19,84,97
..	..	..	- 3
1,80	..	+ 1,80	..
8,73,52	..	+ 8,73,52	..
1,90	..	+ 1,90	..
47,27	..	+ 47,26	..
2,39,99,32	33,90	- 6,87,11	- 66,77,29
2,61,77,31	..	+ 2,61,77,30	..
6,03,82,92	..	- 1,33,35,59	- 4
2,44,63,57	1,46,35,06	+ 73,66,18	- 1,34,10,95
61,99,82	91,15	- 7,54,76	- 41,26
..	..	- 1	..
21,09,81,11	..	+ 7,69,81,11	..
29,95	..	+ 29,95	..
16	..	+ 16	..
2,36,39,03	..	- 11,68,65	..
31,53	..	+ 31,44	- 5,62,65
4,88	..	+ 4,88	..
2,46,37,91	45,50,65	- 37,94,76	+ 20,41,25
2,52,22,47	1,95,96,36	+ 69,38,09	- 1,75,28,15
<b>49,81,61,36</b>	<b>11,85,61,20</b>	<b>+ 8,44,75,12</b>	<b>- 10,05,01,58</b>
..	..	- 1	..





© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक  
**2021**

[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

---

[agaerajasthan@cag.gov.in](mailto:agaerajasthan@cag.gov.in)